सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिये

संख्या-1

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

विषय-सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-1		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन		1
प्रस्तावना	1.1	5
सरकारी कम्पनियाँ	1.2	5
सांविधिक निगम	1.3	26
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	1.4	33
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	1.5	40
राजस्थान वित्त निगम	1.6	44
राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	1.7	48
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएँ	2	51
राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसी)	2अ	53
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) - औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत क्रियाकलाप	2ब	87
अध्याय-3		
सांविधिक निगम से सम्बन्धित समीक्षा	3	115
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल - सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह-प्रथम चरण		
अध्याय-4		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अन्य रुचिकर प्रकरण	4	139
सरकारी कम्पनियाँ	4अ	143
सांविधिक निगम	4ब	155

अनुबन्ध

विषय-सूची		पृष्ठ संख्या
I.	ऐसी कम्पनियों का विवरण-पत्र जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं थीं।	191
II.	31 मार्च 1998 को अद्यतन पूँजी, बजट से जावक, बजट से दिया गया ऋण एवं बकाया ऋण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	192
III.	सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम जिनके नवीनतम वर्ष के लेखों को 30 सितम्बर 1998 तक अन्तिम रूप दिया जा चुका था।	194
IV.	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य, प्राप्त गारण्टी तथा वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	198
V.	वर्ष 1997-98 के दौरान विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की उपयोजित क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	199
VI.	सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके नवीनतम वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।	200
VII.	31 मार्च 1998 को निजी निक्षेप खाते में पड़े हुए ऋण, इक्विटी एवं अन्य को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	202

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल सहित सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों के परिणामों का उल्लेख किया जाता है और यह प्रतिवेदन मार्च 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखापरीक्षा परिणाम भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार में दिये जाते हैं।

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन की जाती है। ऐसी छः कम्पनियां हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं है क्योंकि उनमें सरकार या सरकारी स्वामित्व/नियन्त्रण वाली कम्पनियां/निगमों द्वारा 51 प्रतिशत से कम अंशों को धारित किया गया है जैसा कि अनुबन्ध-I में दर्शाया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सनदी लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित लेखों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राजस्थान सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय अन्तर्विष्ट हैं। अध्याय-1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों के सामान्य पहलुओं से सम्बन्धित है।

अध्याय-2 में दो समीक्षायें - (i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत क्रियाकलाप व (ii) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसी), अन्तर्विष्ट हैं। रीको से सम्बन्धित समीक्षा यह उजागर करती है कि रीको राज्य में औद्योगिक उन्नयन हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी पीछे रही है। उपयुक्तता/उचित मालिकाना हक, आवश्यकता सुनिश्चित किये बिना ही भूमि को अधिग्रहित करने एवं भूमि के विकास में विलम्ब से जहां एक ओर राज्य में उद्योगों का विकास अवरुद्ध हुआ वहीं दूसरी ओर कम्पनी को इसके परिणामस्वरूप हानि उठानी पड़ी। आरएसएचडीसी से सम्बन्धित समीक्षा यह उजागर करती है कि बुनकरों के लाभार्थ कोई भी योजना पूरी तरह क्रियान्वित नहीं की जा सकी एवं प्राप्त निधियों का उपयोग कम्पनी के अपने ही खर्चों को पूरा करने के लिए अपवर्तन कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। हाथकरघा बुनकरों के विकास के लिए प्राप्त अर्थ साहाय्य का पर्याप्त उपयोग करने के बाद भी कम्पनी द्वारा उठाई गई लगातार हानि ने अपनी स्वयं की पूँजी को समाप्त कर दिया था जो कम्पनी के कमजोर प्रबन्धन को दर्शाता है।

अध्याय-3 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह-प्रथम चरण की समीक्षा अन्तर्विष्ट है। यह समीक्षा उजागर करती है कि परियोजना के क्रियान्वयन में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप राज्य की जनता को ऊर्जा से वंचित रहना पड़ा जो कि बिजली की भारी कमी का सामना कर रही है।

अध्याय-4 में हानि, मितव्ययता या कुशलता की कमी इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अन्तर्विष्ट हैं। इस खण्ड में ऐसे मामले प्रतिवेदित हैं जो वर्ष 1997-98 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, और वे भी हैं जो पहले ध्यान में तो आये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं है। वर्ष 1997-98 के बाद की अवधि के मामले भी जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सामान्य

31 मार्च 1998 को राजस्थान में 19 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) तथा चार सांविधिक निगम थे। इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी 293.72 करोड़ रुपये थी जिसमें वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 287.31 करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार द्वारा 4.03 करोड़ रुपये एवं अन्य द्वारा 2.38 करोड़ रुपये निवेशित थे। वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार ने पाँच सरकारी कम्पनियों से 6.43 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया (वर्ष 1996-97 में 6 कम्पनियों से 6.50 करोड़ रुपये के लाभांश के समक्ष) जो इसकी कुल इक्विटी पर 2.24 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक है।

(अनुच्छेद 1.2.1, 1.2.5.2, 1.3.1 एवं अनुबन्ध **II**)

- *मार्च 1998 के अंत में 15 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) के विरुद्ध 1057.86 करोड़ रुपये की राशि के कुल ऋण बकाया थे। सात कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों का पुनर्भुगतान एवं छः कम्पनियों के प्रकरण में ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत था। 31 मार्च 1998 को ऐसी प्रत्याभूतियों की 798.31 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।*

(अनुच्छेद 1.2.2, 1.2.3 एवं अनुबन्ध **II** व **IV**)

- *उन्नीस सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) में से 11 ने वर्ष 1997-98 के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था (सितम्बर 1998)। इनमें से छः ने कुल 44.61 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जबकि पाँच अन्य की कुल हानि 47 लाख रुपये थी। शेष आठ कम्पनियों के लेखे एक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार, छः सरकारी कम्पनियों की संचित हानि (33.98 करोड़ रुपये) उनकी प्रदत्त पूंजी (13.32 करोड़ रुपये) से अधिक हो चुकी थी।*

(अनुच्छेद 1.2.4 तथा 1.2.5.3)

- राज्य के चार निगमों में से राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 1997-98 के लेखों को अंतिम रूप दिया था तथा 15.38 करोड़ रुपये की हानि उठाई। निगम की संचित हानि 74.87 करोड़ रुपये थी जो उसकी प्रदत्त पूँजी (67.53 करोड़ रुपये) के क्षरण की पराकाष्ठा थी जबकि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम तथा राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम ने अपने 1996-97 के लेखों को अंतिम रूप दिया था तथा क्रमशः 63.22 करोड़ रुपये, 4.04 करोड़ रुपये एवं 2.22 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष/लाभ अर्जित किया था।

(अनुच्छेद 1.4 से 1.7)

- दो सरकारी कम्पनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा से निम्नांकित प्रकट हुआ:

2अ. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसी)

- इस कम्पनी का निगमन मार्च 1984 में राज्य में विभिन्न हाथकरघा योजनाओं को क्रियान्वित करने एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुनकरों को समुचित प्रशिक्षण, आधुनिक करघे, कच्चा माल, वित्तीय एवं विपणन सहायता आदि उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से किया गया था।

(अनुच्छेद 2अ.1 व 2अ.2)

- कम्पनी वर्ष 1988-89 से लगातार हानि उठा रही थी एवं वर्ष 1996-97 के अन्त तक उसकी संचित हानि 9.58 करोड़ रुपये हो गई थी जिसने उसकी प्रदत्त पूँजी (5.40 करोड़ रुपये) का समग्र क्षय कर दिया था।

(अनुच्छेद 2अ.6)

- 8.06 करोड़ रुपये की निधियों के कम प्रापण एवं 2.64 करोड़ रुपये की निधियों का अन्य कार्यों में उपयोग हेतु अपवर्तन करने के कारण कम्पनी द्वारा यार्न/करघे, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराकर बुनकरों के जीवन स्तर को उँचा उठाने का यथार्थ उद्देश्य अधिकांशतः अप्राप्य रहा।

(अनुच्छेद 2अ.8 व 2अ.9)

- योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बुनकरों की यार्न की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य के विपरीत, 45.05 लाख रुपये की राशि का लाभ सामान्य श्रेणी के 3883 बुनकरों को भी दे दिया गया था।

{अनुच्छेद 2अ.9.1.2 **(i)**}

- अभिलेखों के अनुचित संधारण एवं वसूली हेतु प्रयास नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 21.63 लाख रुपये के देनदार डूबत एवं संदिग्ध मान लिये गये। इसके अतिरिक्त बुनकरों को यार्न की आपूर्ति पर अनुपयुक्त अनुश्रवण के कारण निष्क्रिय बुनकरों के पास पड़े हुए यार्न (58.80 लाख रुपये) की वसूली की संभावनाएँ क्षीण हो गई।

{अनुच्छेद 2अ.10.3.3 व 2अ.11**(i)**(ब)}

- यद्यपि कम्पनी के पास विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत लाभदायक विकल्प चुनने का अवसर था, फिर भी उसने अमितव्ययी विकल्प का चयन किया जिसके परिणामस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2अ.13.1)

- उत्पादन में कमी एवं मानकों के अनुसार कपड़ा उत्पादित करने में कम्पनी की असफलता के कारण सरकार ने 17.92 लाख रुपये की अर्थ साहाय्य अस्वीकृत कर दी/रोक दी।

(अनुच्छेद 2अ.13.2)

2ब. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) - औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत क्रियाकलाप

- राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से खनिज विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को हस्तान्तरित कर एक अलग कम्पनी (राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) बनने के बाद जनवरी 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) अस्तित्व में आई। कम्पनी के निगमन का मुख्य उद्देश्य भूमि को अधिग्रहित कर, उसका विकास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को सृजित करके राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना था।

(अनुच्छेद 2ब.1 एवं 2ब.2)

- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्ययों में वृद्धि तथा सेवा प्रभारों की तदर्थ आधार पर वसूली, औद्योगिक क्षेत्रों की अनुरक्षण लागत के समानुपाती नहीं होने के कारण कम्पनी को 1995-96 से 1996-97 के दौरान आधारभूत क्रियाकलापों पर 6.17 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

(अनुच्छेद 2ब.5)

- अतिक्रमण/मालिकाना हक पर विवाद आदि के कारण 30.44 करोड़ रुपये की भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका। कम्पनी को, अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण, 2.90 करोड़ रुपये के विकास प्रभारों की हानि भी वहन करनी पड़ी।

{अनुच्छेद 2ब.8.1.4 एवं 2ब.8.1.4(अ) व (ब)}

- एक से नौ वर्षो की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी 254.66 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि (21,168.71 एकड़) का विकास आरम्भ नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2ब.8.2.1)

- कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण से 17.09 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध कर दी यद्यपि विद्यमान भूमि को विकसित किया जाना अभी भी शेष था।

(अनुच्छेद 2ब.8.1.6)

- कार्य आदेश में जोखिम एवं लागत से सम्बन्धित धारा का समावेश नहीं किये जाने के कारण 76.41 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2ब.10.1)

3. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह-प्रथम चरण की समीक्षा में निम्नांकित प्रकट हुआ:

- राजस्थान सरकार ने राजस्थान में ऊर्जा की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए नवम्बर 1992 एवं अगस्त 1994 में सूरतगढ़ में 1253.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, जो कि अन्तिम रूप से बढ़कर जुलाई 1997 में

*2282.49 करोड़ रुपये कर दी गई, प्रथम चरण में 250 मेगावाट की दो ईकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया। इकाई-**I** एवं **II** क्रमश: जून 1996 एवं दिसम्बर 1996 में चालू होनी थी; किन्तु केवल इकाई-**I** ही 10 मई 1998 को तेल ईंधन द्वारा चालू की जा सकी थी एवं इकाई-**II** का कार्य प्रगति पर था।*

(अनुच्छेद 3.1)

- *दरों एवं अवधि जिसके लिए ब्याज देय था, की जाँच किये बिना भूमि के मुआवजे इत्यादि के भुगतान के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये का अधिक/अतिरिक्त भुगतान हुआ एवं इससे 41.06 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।*

(अनुच्छेद 3.5.2.1)

- *स्टील एवं सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं करने के कारण मण्डल द्वारा आरएसबीसीसी को बिक्री कर एवं सेन्टेज प्रभारों के 60.86 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।*

{अनुच्छेद 3.5.3 **(iv)**}

- *इकाई-**I** के चालू होने में मार्च 1997 के बाद की देरी के कारण मण्डल को 'भेल' को देय उपरिव्यय प्रभारों के रूप में 84 लाख रुपये की अतिरिक्त देयता स्वीकार करनी पड़ी।*

(अनुच्छेद 3.5.4.2)

- *मार्शलिंग यार्ड हेतु रेल टॉप लेवल के पृथक परिमाण उपलब्ध करने/निर्धारित करने के परिणामस्वरूप मण्डल को 2.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।*

(अनुच्छेद 3.6.1)

- *परियोजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब के कारण परियोजना लागत 1253.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 2282.49 करोड़ रुपये हो गई, परिणामस्वरूप 1.86 रुपये प्रति इकाई के औसत विक्रय मूल्य के समक्ष उत्पादन लागत 2.54 करोड़ रुपये प्रति इकाई तक बढ़ गई।*

(अनुच्छेद 3.7)

4. *विविध रुचिकर प्रकरण*

– *परिशोधित स्प्रिट की दरों में वृद्धि को स्वीकार कर लेने के कारण, जिसके लिए कम्पनी (राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड) निविदा की शर्तों के अनुसार बाध्य नहीं थी, 1.59 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।*

(अनुच्छेद 4अ.1.2)

– *बिक्री की साख नीति की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड को 90.34 लाख रुपये की हानि हुई।*

(अनुच्छेद 4अ.2.1)

– *'बॉक्सन' वैगनों की खरीद के प्रकरण में निर्णय लेने में असाधारण देरी के परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड को 2.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।*

(अनुच्छेद 4अ.2.2)

– *ऊर्जा क्रय अनुबन्धों में विभिन्न त्रुटियाँ होने के कारण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को उनके क्रियान्वयन में भारी वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा। स्वतंत्र उर्जा उत्पादकों को आवश्यक ईंधन आवंटित नहीं करने से, समय पर पूर्ण करना एवं अपेक्षित उत्पादन आरंभ करना भी प्रभावित होगा।*

(अनुच्छेद 4ब.1.6)

– *राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को नगद जमानत राशि के अनियमित समायोजन, न्यूनतम प्रभारों, ऊर्जा गुणक अधिभार एवं ईंधन अधिभार तथा बकाया देयताओं की वसूली नहीं किये जाने के कारण 4.73 करोड़ रुपये की हानि हुई।*

(अनुच्छेद 4ब.1.7)

– *तृतीय पक्ष दुर्घटनाओं के लिए बीमा आवरण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन में देरी के कारण राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को दुर्घटना दावों के 3.02 करोड़ रुपये की बचत से वंचित होना पड़ा।*

(अनुच्छेद 4ब.2.2)

अध्याय-1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

1.2 सरकारी कम्पनियाँ

1.3 सांविधिक निगम

- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
- राजस्थान वित्त निगम
- राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

अध्याय -1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

अनुच्छेद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	5
1.1	प्रस्तावना	5
1.2	सरकारी कम्पनियाँ	5
1.2.1	सामान्य अवलोकन	5
1.2.2	सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	6
1.2.3	प्रत्याभूति, बजट से जावक, बकाया का अधित्याग तथा निजी निक्षेप खाता	9
1.2.4	लेखों को अन्तिम रूप देना	14
1.2.5	कार्यचालन परिणाम	15
1.2.6	सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशों की पुनर्खरीद	23
1.2.7	सांविधिक लेखापरीक्षकों के ध्यान में आये महत्त्वपूर्ण बिन्दु	23
1.2.8	क्षमता उपयोजन	24
1.2.9	विदेश यात्राओं पर व्यय	24
1.2.10	619 बी कम्पनियां	25
1.2.11	अन्य निवेश	25
1.3	सांविधिक निगम	26
1.3.1	सामान्य पहलू	26
1.3.2	निवेश	27
1.3.3	निगमों का लाभ/हानि	28
1.3.4	लेखों को अन्तिम रूप देना	28
1.3.5	ऋणों पर प्रत्याभूति, इक्विटी एवं ऋणों का बजट से जावक तथा निजी निक्षेप खाता	29
1.3.6	अर्थ-साहाय्य	32
1.3.7	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम	32
1.4	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	33
1.5	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	40
1.6	राजस्थान वित्त निगम	44
1.7	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	48

अध्याय 1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

सांविधिक निगमों में से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे उनसे संबंधित अधिनियमों के अनुसार केवल सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के लेखों की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है। सी.ए.जी. अलग से भी इनकी लेखापरीक्षा करता है। सभी सांविधिक निगमों के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित संगठनों/राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं।

1.2 सरकारी कम्पनियां

1.2.1 सामान्य अवलोकन

31 मार्च 1998 को 19 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) थी जिनका कुल निवेश 1351.58 करोड़ रुपये (इक्विटी: 293.72 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 1057.86 करोड़ रुपये) था इसके समक्ष 31 मार्च 1997 को 19 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) का कुल निवेश 983.57 करोड़ रुपये (इक्विटी: 291.42 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 692.15 करोड़ रुपये) था।

कम्पनियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूँजी (रुपये करोड़ों में)
(अ) कार्यरत कम्पनियां	13	288.75
(ब) अकार्यरत कम्पनियां		
(i) अप्रचलित कम्पनियां	6	4.97
(ii) परिसमापन में कम्पनियां	शून्य	शून्य
योग	19	293.72

अप्रचलित छ: कम्पनियों में से किसी को भी बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द नहीं किया गया।

1.2.2 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी के रूप में निवेश का विभाजन अनुबन्ध-II में दिया गया है।

इन कम्पनियों में नीचे यथा विस्तृत क्षेत्रवार निवेश था:

इक्विटी एवं ऋण

विभाग/सार्वजनिक उपक्रम का प्रकार	यथा वर्ष के अन्त में 31 मार्च 1997			31 मार्च 1998			1997-98 में ऋण-इक्विटी अनुपात
	संख्या	इक्विटी (रुपये करोड़ों में)	ऋण	संख्या	इक्विटी (रुपये करोड़ों में)	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि	4	16.49	10.33	4	16.49	10.33	0.63:1
उद्योग	2	159.87	545.41	2	161.07	853.49	5.30:1
अभियांत्रिकी	1	0.07	0.11	1	0.07	0.11	1.57:1
इलेक्ट्रोनिक्स (सहायक कम्पनी)	1	0.30	1.98	1	0.30	1.88	6.26:1
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा	1	5.40	9.02	1	6.15	10.23	1.66:1
वन	1	0.19	-	1	0.19	-	-
खान							
अ. सरकारी कम्पनी	2	78.06	81.34	2	78.06	49.79	0.64:1
ब. सहायक कम्पनी	2	1.53	0.42	2	1.53	0.42	0.27:1
निर्माण	1	10.00	23.42	1	10.00	113.55	11.36:1
चीनी	1	3.65	5.30	1	3.65	4.70	1.29:1
पर्यटन	2	14.91	14.82	2	14.91	13.36	0.90:1
विविध (ऊर्जा)	1	0.95*	-	1	1.30	-	-
कुल योग	19	291.42	692.15	19	293.72	1057.86	3.60:1

* इसमें वर्ष 1996-97 में प्राप्त हुई 0.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी भी शामिल है।

चार्ट- I

31 मार्च 1998 को सरकारी कम्पनियों में प्रदत्त-पूँजी के माध्यम से क्षेत्रवार निवेश

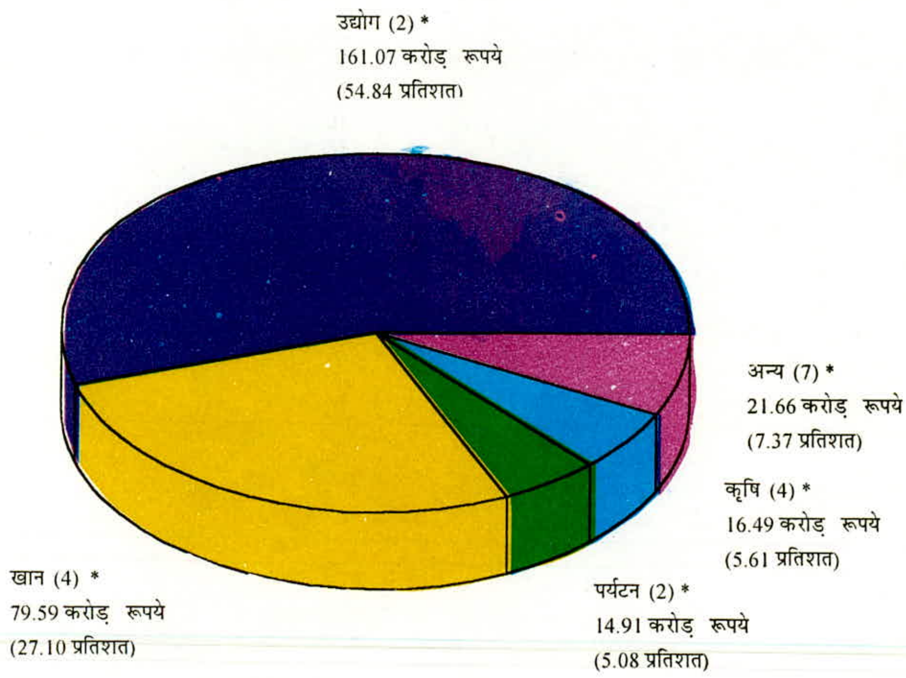

* यह क्षेत्र में कम्पनियों की संख्या को दर्शाता है ।

(संदर्भ : अनुच्छेद सं. **1.2.2**)

निवेशों का विश्लेषण

(अ) वर्ष 1997-98 में निवेशों में वृद्धि/कमी में निम्न सम्मिलित है :

क्रम संख्या	निवेश में वृद्धि/कमी के कारण	कम्पनियों की संख्या	रुपये करोड़ों में
1.	विद्यमान कम्पनियों की इक्विटी में वृद्धि	3	2.30
2.	विद्यमान कम्पनियों के ऋणों में वृद्धि	5	403.25
3.	विद्यमान कम्पनियों के ऋणों में कमी	5	(-)37.54
	योग	13	368.01

(ब) राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान किसी भी सरकारी कम्पनी के अपने अंशों का विनिवेश नहीं किया।

1.2.3 प्रत्याभूतियाँ, बजट से जावक, बकाया का अधित्याग तथा निजी निक्षेप खाता

वर्ष 1997-98 के अंत में प्रत्याभूतियों तथा बजट से जावक की स्थिति अनुबन्ध- II तथा IV में दी गई है।

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 1997-98 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋणों एवं साख के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ तथा 31 मार्च 1998 को बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका मे बताई गई है :

क्रम संख्या	प्रत्याभूतियाँ	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत राशि			31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूत राशि
		1995-96	1996-97	1997-98	
		(रुपये करोड़ों में)			
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	1.80	-	-	1.80
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	33.75	20.38	662.55	796.51
	योग	35.55	20.38	662.55	798.31

31 मार्च 1998 को 7 सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध कुल प्रत्याभूत राशि 798.31 करोड़ रुपये बकाया थी जैसा कि अनुबन्ध- IV में दर्शाया गया है। प्रत्याभूति, ऋण एवं ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिये थी; केवल एक सरकारी कम्पनी (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड) को छोड़कर जहां प्रत्याभूति केवल ऋण के लिए थी ब्याज के लिए नहीं। पुनर्भुगतान में चूक का कोई मामला नहीं था। सरकारी कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार को चुकाया गया/चुकाने योग्य प्रत्याभूति कमीशन वर्ष 1997-98 के लिये 1.47 करोड़ रुपये था।

(ब) बजट से जावक तथा बकाया का अधित्याग

(i) राज्य सरकार से 1995-96 से 1997-98 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी, ऋण तथा अर्थ-साहाय्य के रूप में दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	बजट से दी गई इक्विटी	18.82	6.89	2.30
2.	बजट से दिये गये ऋण	39.21	33.42	25.01
3.	अर्थ-साहाय्य	25.82	24.07	21.91
	कुल जावक	83.85	64.38	49.22

(ii) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को देय राशि, ऋणों के अपलेखन अथवा ब्याज के अधित्याग अथवा ऋण पुनर्भुगतान स्थगन स्वीकृति के रूप में पूर्वानुमित नहीं हुई।

(स) निजी निक्षेप खाता

राजस्थान के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जीएफएण्डएआर) 279 से 287 एवं 294 से 298 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय कम्पनियों/निगमों को पूँजी हिस्सा, अनुदान, परिदान, अर्थ-साहाय्य एवं ऋण प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आगे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों 290 से 299 में यह प्रावधित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों, परिदानों, अर्थ-साहाय्य एव ऋणों को सम्बन्धित जिला कोषालय में संधारित बिना ब्याज वाले निजी निक्षेप खाते (पी.डी.खाते) के माध्यम से दिया जाना आवश्यक है तथा यदि बिना ब्याज वाले निजी निक्षेप खाते में आधिक्य शेष पड़े हैं तो इन्हें संस्था के निवेदन पर सरकार द्वारा ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

31 मार्च 1998 को 19 कम्पनियों में से 12 कम्पनियों का 115.41 करोड़ रुपये का शेष बिना ब्याज धारित पी.डी. खाते में पड़ा था जो इक्विटी (0.33 करोड़ रुपये), ऋण (50.53 करोड़ रुपये) एवं अन्य निधियों (64.55 करोड़ रुपये) के मद में था तथा 8 कम्पनियों से सम्बन्धित 237.90 करोड़ रुपये का शेष ब्याज धारित पी.डी.खाते में पड़ा था जो कि इक्विटी (0.10 करोड़ रुपये), ऋण (0.01 करोड़ रुपये) एवं अन्य निधियों (237.79 करोड़ रुपये) के मद में था जैसा कि अनुबन्ध-VII में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुए :

(i) जैसा कि अनुबन्ध - II में दर्शाया गया है, वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार ने पूँजी हिस्से की 2.30 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसपीसी) एवं राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसी) को स्वीकृत की। 2.30 करोड़ रुपये में से 0.33 करोड़ रुपये पी.डी. खाते में अभी भी (31 मार्च 1998) पड़े थे। फलस्वरूप निधियाँ कम्पनियों को जारी नहीं की गई जिनके कारण उन्हें अपनी निधियों की आवश्यकता के लिए अन्य स्रोतों से ऋण इत्यादि हेतु आश्रय लेना पड़ा और ब्याज का भार उठाना पड़ा।

(ii) इसी प्रकार 49.96 करोड़ रुपये के ऋण एवं 34.55 करोड़ रुपये की अन्य निधियाँ कम्पनियों को जारी करने के बजाय राज्य सरकार ने उन्हें ब्याज रहित पी.डी. खाते में पड़ा रखा जिसके कारण कम्पनियाँ अपने कार्यचालन उद्देश्य के लिए इस राशि को उपयोग में लेने से वंचित रही तथा इसके साथ ही उन्हें विभिन्न स्रोतों से लिए गये ऋणों पर ब्याज भी देना पड़ रहा है।

(iii) तीन कम्पनियों यथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसबीसीसी) एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसी) के अभिलेखों की नमूना जाँच करने पर निम्न रुचिकर बिन्दु सामने आये:

- सरकार की पूर्व अनुमति से आहरण की शर्त पर ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में पड़ी राशि का आयु-वार विभाजन नीचे दिया गया है :

कम्पनी का नाम	वर्ष	इक्विटी	ऋण	अन्य*	योग
		(रुपये करोड़ों में)			
रीको	1992-93	0.29	-	0.50	0.79
आरएसआईसी	1992-93	-	-	0.15	0.15
योग		0.29	-	0.65	0.94
रीको	1993-94	-	-	1.65	1.65
योग		-	-	1.65	1.65
आरएसबीसीसी	1994-95	-	-	0.34	0.34
योग		-	-	0.34	0.34
रीको	1995-96	-	8.60	1.84	10.44
आरएसबीसीसी	1995-96	-	-	1.44	1.44
योग		-	8.60	3.28	11.88
रीको	1996-97	-	18.80	12.00	30.80
आरएसबीसीसी	1996-97	-	-	0.64	0.64
आरएसआईसी	1996-97	-	2.20	-	2.20
योग		-	21.00	12.64	33.64
रीको	1997-98	-	18.94	7.56	26.50
आरएसबीसीसी	1997-98	-	-	1.73	1.73
योग		-	18.94	9.29	28.23
कुल योग		0.29	48.54	27.85	76.68

वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक 76.68 करोड़ रुपये की निधियाँ ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में अवरुद्ध होने के कारण कम्पनियों को मार्च 1998 तक 10.20 करोड़ रुपये (रीको: 9.02 करोड़ रुपये; व आरएसबीसीसी: 0.75 करोड़ रुपये व आरएसआईसी: 0.43 करोड़ रुपये) के ब्याज की हानि हुई।

* इसमें राज्य सरकार से अनुदान/परिदान, ब्याज धारित पी.डी.खाते का ब्याज तथा निक्षेप कार्यों के विरुद्ध अन्य सरकारी विभागों से जमा इत्यादि सम्मिलित हैं।

1.2.4 लेखों को अंतिम रूप देना

विधायिका के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जवाबदेही निर्धारित समय सारणी में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को विधायिका को प्रस्तुत करके प्राप्त की जाती है। 19 सरकारी कम्पनियों में से 7 कम्पनियों ने वर्ष 1997-98 के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था एवं एक कम्पनी ने (राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड) वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था। सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित वित्तीय परिणामों, जिनके नवीनतम वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, को अनुबन्ध-III में दर्शाया गया है।

इन कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार 9 कम्पनियों को 5.36 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा शेष 9 कम्पनियों ने 44.98 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है :

क्र. सं.	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभ		हानि	
			कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि
				(रुपये करोड़ों में)		
1.	11	1997-98	6	44.61	5	0.47
2.	7*	1996-97	3	0.37	3	4.87
3.	1	1991-92	-	-	1	0.02
योग	19		9	44.98	9	5.36

* 1995-96 में निगमित राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अभी भी निर्माणाधीन चरण पर है।

प्रशासनिक विभागों को यह देखकर आश्वस्त होना होता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित समय सीमा में कम्पनियों द्वारा उनके लेखों को अंतिम रूप देकर वार्षिक आम सभा में अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों तथा सरकारी अधिकारियों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया की स्थिति से अवगत कराया जाता है, सरकार द्वारा 8 कम्पनियों के लेखों को समय पर अंतिम रूप दिये जाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये। लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया की स्थिति को मुख्य सचिव के ध्यान में आखिरी बार सितम्बर 1998 में लाया गया था। इन कम्पनियों द्वारा समय सारणी का पालन नहीं किये जाने से इन कम्पनियों में किये गये निवेश की पर्याप्त रूप से जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

1.2.5 कार्यचालन परिणाम

1.2.5.1 लाभ अर्जित कर रही कम्पनियाँ

19 कम्पनियों में से जिन्होंने वर्ष 1997-98 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों में लेखों को अंतिम रूप दिया, 9 कम्पनियों ने 44.98 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया एवं इनमें से 8 कम्पनियों ने दो या अधिक वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया। 9 कम्पनियों में मुक्त संचय तथा अतिरेक 97.54 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

1.2.5.2 लाभ एवं लाभांश

वर्ष 1997-98 के लेखों को सितम्बर 1998 तक अंतिम रूप देने वाली 11 कम्पनियों में से 6 कम्पनियों ने 44.61 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। उनमें से 5 ने 6.43 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया जबकि वर्ष 1996-97 के लिए 6 कम्पनियों ने 6.50 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित

किया था। वर्ष 1997-98 के लिए घोषित लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अर्जित लाभ	हिस्सा पूँजी	घोषित लाभांश प्रतिशत	घोषित लाभांश राशि
		(रुपये करोड़ों में)			
1.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	11.31	155.60	1.5	2.28
2.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	19.28	61.73	5.0	3.09
3.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	7.05	10.00	6.0	0.60
4.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	0.17	0.25* 0.65**	5.8* 11.0**	0.01 0.07
5.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	4.51	5.46	7.0	0.38
	योग	**42.32**	**233.69**	**2.7**	**6.43**

इन पाँच कम्पनियों के लाभांश की हिस्सा पूँजी पर प्रतिशतता 2.7 पाई गई। लाभ अर्जित करने वाली शेष एक कम्पनी ने वर्ष 1997-98 के दौरान अर्जित किए 2.29 करोड़ रुपये के लाभ पर कोई लाभांश घोषित नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान 19 कम्पनियों में 287.31 करोड़ रुपये के अपने कुल इक्विटी निवेश पर 2.24 प्रतिशत प्रतिफल पाया गया जो कि वर्ष 1996-97 में 2.29 प्रतिशत था।

* संचयी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर।

** शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर।

1.2.5.3 हानि उठा रही कम्पनियां

हानि उठा रही 9 कम्पनियों में से 7 लगातार दो या अधिक वर्षों से हानि उठा रही थी। नवीनतम उपलब्ध लेखों (सितम्बर 1998) के अनुसार 6 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूँजी क्षय कर दी थी क्योंकि इन कम्पनियों की संचित हानि इनकी प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी जैसा कि निम्न तालिका में बताया गया है:

क्र. स.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	प्रदत्त पूँजी पर आधिक्य	अभ्युक्तियाँ
			(रुपये करोड़ों में)		
1	हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	0.08	0.17	0.09	अर्द्ध स्वचालित संयंत्र से उत्पादन में लगातार हानि, लागत में वृद्धि तथा यांत्रिकी से सम्बन्धित व्यक्ति नहीं मिलने के कारण बोर्ड ने उत्पादन बंद करने का निर्णय किया है (अगस्त 1997)। कम्पनी को बंद करने/पुनर्जीवित करने का सुझाव सरकार के पास विचाराधीन है।
2.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	19.90	13.89	अल्प व्यापारावर्त तथा अधिक उपरिव्यय के कारण हानियाँ हुई। कम्पनी समापन की प्रक्रिया में है।
3	राजस्थान स्टेट ग्रेनाईट्स एण्ड मारबल्स लिमिटेड	0.19	0.51	0.32	आयात्ति मशीनरी स्थानीय ग्रेनाइट के लिए उपयुक्त नहीं है। कम्पनी समापन में है।
4	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	0.30	2.33	2.03	कम्पनी समापन की प्रक्रिया में है।
5	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	5.40	9.58	4.18	अल्प व्यापारावर्त एवं अधिक उपरिव्यय
6	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड	1.34	1.49	0.15	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को क्रियाकलाप स्थानान्तरित कर दिये गये है (जून 1991)।
	योग	13.32	33.98	20.66	

1.2.5.4 लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने अथवा इसे अनुपूरक करने का अधिकार है। तद्नुसार, सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की चयनित आधार पर समीक्षा की जाती है। अक्टूबर 1997 से सितम्बर 1998 की अवधि के दौरान प्राप्त 17 कम्पनियों के 18 लेखों में से 15 कम्पनियों के लेखे समीक्षा हेतु चयनित किये गये। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप 9 कम्पनियों पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नानुसार है-

1 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (1997-98)

अवकाश के नकदीकरण, देय आयकर एवं पंचों द्वारा दिये गये पंच निर्णयों का प्रावधान नहीं किये जाने से लाभ 1.41 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया।

2 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (1996-97)

(i) भण्डार के अधिक मूल्य निर्धारण के कारण लाभ 0.22 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया।

(ii) विवादित देनदारों के बारे में प्रावधान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अंकेक्षकों द्वारा 1.50 करोड़ रुपये के स्थान पर 1.56 करोड़ रुपये निरूपित किये गये।

3 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (1997-98)

अंकेक्षित आंकड़ों की तुलना में कर पूर्व लाभ एवं पूर्व वर्ष के प्रावधान 0.20 करोड़ रुपये से घट गये।

4 राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (1996-97)

(i) राज्य नवीनीकरण कोष में अंशदान का प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयतायें 0.10 करोड़ रुपये से कम बताई गई।

(ii) वेतन के बकायों एवं सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि का प्रावधान नहीं करने के कारण वर्ष में उठाई गई हानि 0.44 करोड़ रुपये से कम बताई गई।

5 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (1997-98)

(i) राज्य नवीनीकरण कोष में अंशदान का प्रावधान नहीं करने के कारण चालू देयताऐं 0.22 करोड़ रुपये से कम बताई गई।

(ii) संदिग्ध ऋणों/अवसूलनीय अग्रिमों, अग्रिम कर के अपूर्ण भुगतान पर ब्याज और मिनिकिटों की बिक्री के असमायोजन/अधिक बुकिंग के प्रावधान नहीं करने के कारण वर्ष का लाभ 0.19 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया।

6 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (1996-97)

सेवानिवृत्ति लाभ, राज्य नवीनीकरण कोष में अंशदान, भूमि एवं भवन के पंजीकरण शुल्क तथा आरएसईबी से प्राप्त हुए अनुपयोगित अनुदानों पर ब्याज का प्रावधान नहीं करने के कारण वर्ष के दौरान हानि 0.93 करोड़ रुपये से कम बताई गई।

7. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (1997-98)

सेवानिवृत्ति परिलाभों के 1.37 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया गया।

1.2.5.5 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी में निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यो को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूँजी के योग को लिया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना करते समय उधार ली गई निधियों पर लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज को लाभ हानि खाते में दर्शाये शुद्ध लाभ/हानि में जोड़ा/घटाया जाता है। नवीनतम उपलब्ध लेखों (सितम्बर 1998) के अनुसार 19 कम्पनियों में कुल नियोजित पूँजी 1526.89 करोड़ रुपये थी तथा इन पर प्रतिफल 139.46 करोड़ रुपये (9.1 प्रतिशत) था जो पूर्ववर्ती वर्ष में इतनी ही कम्पनियों में 13.1 प्रतिशत था।

नियोजित पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल का विवरण निम्न प्रकार था :

क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
		(रुपये करोड़ों में)		
कृषि	4	20.69 (20.57)	3.20 (2.66)	15.5 (12.9)
उद्योग	2	1061.01 (740.46)	91.74 (88.29)	8.6 (11.9)
अभियांत्रिकी	1	0.02 (0.01)	शून्य {(-) 0.01}	शून्य (शून्य)
इलेक्ट्रोनिक्स	1	(-)0.11 (0.09)	(-) 0.12 {(-)0.12}	शून्य (शून्य)
हस्तशिल्प एवं हाथकरघा	1	5.42 (6.05)	(-)2.33 {(-)0.43}	शून्य (शून्य)
वन	1	0.04 (0.05)	(-)0.02 {(-)0.02}	शून्य (शून्य)
खान	4	220.93 (247.09)	35.02 (36.22)	15.8 (14.7)
निर्माण	1	165.39 (47.79)	7.47 (13.85)	4.5 (29.0)
चीनी	1	17.82 (11.33)	1.57 (1.49)	8.8 (13.2)
पर्यटन	2	34.89 (39.47)	2.93 (4.23)	8.4 (10.7)
विविध (ऊर्जा)	1	0.79 (0.18)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
योग	19 (19)	1526.89 (1113.09)	139.46 (146.16)	9.1 (13.1)

(टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाये गये आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के हैं।)

चार्ट - II

सरकारी कम्पनियों में नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(रूपये करोड़ों में)

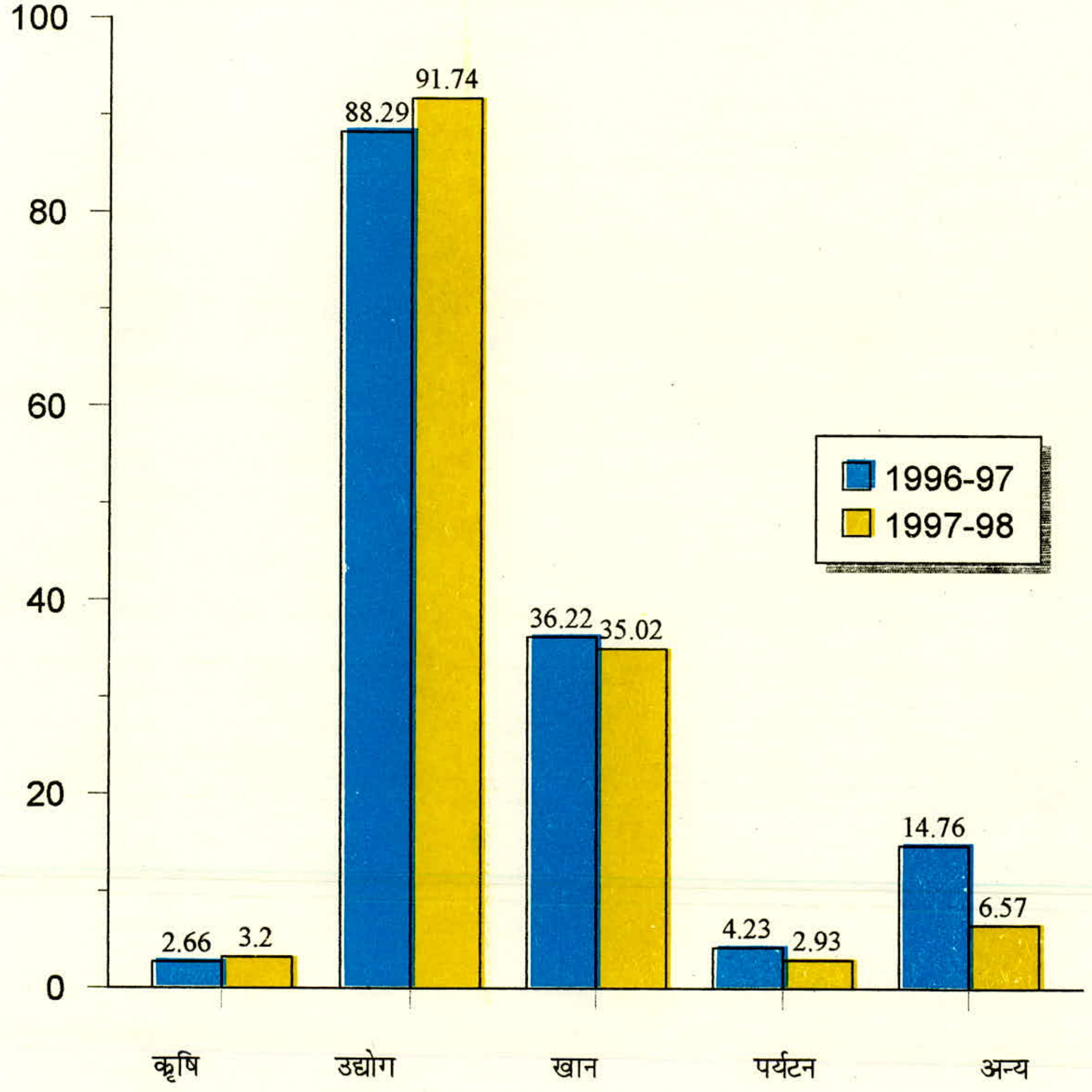

(संदर्भ : अनुच्छेद 1.2.5.5)

1.2.6 सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशों की पुनर्खरीद

वर्ष 1997-98 के दौरान किसी भी कम्पनी ने उनके द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों के अंशों का पुनर्खरीद के माध्यम से विनिवेश नहीं किया।

1.2.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके कार्यो एवं निष्पादन के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। इस प्रकार के जारी निर्देशों की अनुपालना में अक्टूबर 1997 से सितम्बर 1998 के दौरान 6 कम्पनियों के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए। इन प्रतिवेदनों में से ध्यान में आये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे संक्षेपित है :

क्र. सं.	कमी का प्रकार	कम्पनियों की संख्या जिनमें कमी ध्यान में आई	अनुबन्ध-III के अनुसार कम्पनी की क्रम संख्या का सन्दर्भ
1.	लेखा पुस्तकों का सही रूप से संधारण नहीं करना	5	1,6,7,14,15
2.	लेनदारों/देनदारों तथा अन्य देयताओं का पुनर्मिलान नहीं करना	5	1,2,6,7,14
3.	देयताओं का प्रावधान नहीं करना जिससे लाभ का आधिक्य अथवा हानि में कमी दर्शित हुई	4	1,6,7,15
4.	बैंक तथा निजी निक्षेप खातों का मिलान नहीं करना	1	2
5.	कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन	3	2,6,14
6.	भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप कमी/आधिक्य का प्रभाव नहीं देना	1	1
7.	अंतिम मालसूची/सम्पत्तियों का नहीं मिलना/विद्यमान नहीं होना	1	1
8.	सामान-सूची का खराब प्रबन्धन	3	1,6,15
9.	अस्वीकृत उत्पादन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जाना	1	2
10.	आतंरिक नियंत्रण/अंकेक्षण तंत्र में कमी	6	1,2,6,7,14,15
11.	उचित स्वीकृति/अनुमोदन के बिना व्यय किया जाना	1	7

1.2.8 क्षमता उपयोजन

सभी चार विनिर्माण कम्पनियों की स्थापित क्षमता के उपयोजन की प्रतिशतता अनुबन्ध-V में दी गई है। कम्पनियों द्वारा आंकलित आंकड़े क्षमता अथवा उत्पादन, संभाव्यता, लक्षित तथा प्राप्त मानक मानव घण्टे की इकाई के अनुसार प्रस्तुत नहीं किये गये।

1.2.9 विदेश यात्राओं पर व्यय

सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उपक्रमों (13 सरकारी कम्पनियाँ एवं 4 सांविधिक निगम), छः अकार्यशील कम्पनियों को छोड़कर, में से 10 उपक्रमों (7 सरकारी कम्पनियाँ एवं 3 सांविधिक निगम) के 125 अधिकारियों (62 सरकारी कम्पनियों के एवं एक सरकारी अधिकारी सहित 63 निगमों के) ने वर्ष 1996-97 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो के दौरान विदेश यात्राएँ की एवं 1.02 करोड़ रुपये (0.82 करोड़ रुपये सरकारी कम्पनियों द्वारा एवं 0.20 करोड़ रुपये निगमों द्वारा) का व्यय किया। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में आया कि जिन 11 अधिकारियों की विदेश यात्रा का व्यय (0.18 करोड़ रुपये) कम्पनियों द्वारा किया गया, वे इन कम्पनियों की सहायता नहीं कर सके क्योंकि सरकार द्वारा इन अधिकारियों का इनके अन्तिम विदेश यात्रा दौरे के एक वर्ष की अवधि के अंदर ही स्थानान्तरण कर दिया गया।

एक मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के खर्चे पर एक सरकारी अधिकारी द्वारा सूडान की यात्रा की गई जिस पर 0.01 करोड़ रुपये का व्यय हुआ लेकिन उपक्रम द्वारा सरकार से वसूल नहीं किया गया।

एक अन्य मामले में राज्य सरकार ने एक अधिकारी को, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर था, हल विश्वविद्यालय में सितम्बर 1995 से मार्च 1996 के दौरान एवं उसके बाद भारत में 6 महीने की परियोजना पर कार्य हेतु तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण (एमबीए) लेने की अनुमति दी। प्रशिक्षण पूर्ण करने के तुरन्त बाद ही उस अधिकारी को किसी अन्य विभाग में नियुक्त कर दिया गया। फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उस उपक्रम को उस प्रशिक्षण से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जबकि उसने उस अधिकारी के वेतन एवं भत्तों तथा अन्य सुविधाओं पर 0.01 करोड़ रुपये का व्यय किया। यह व्यय भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सरकार से वसूल नहीं किया गया।

1.2.10 619 बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत 31 मार्च 1998 को कोई कम्पनी नहीं थी।

1.2.11 अन्य निवेश

यद्यपि राज्य सरकार ने छः कम्पनियों में 10 लाख रुपये और इससे अधिक का निवेश किया है, सरकार अथवा सरकार की/सरकारी नियन्त्रण की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा 51 प्रतिशत अंशों से कम धारित करने से यह भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं है। इन कम्पनियों की सूची अनुबन्ध-I में दी हुई है।

1.3 सांविधिक निगम

1.3.1 सामान्य पहलू

31 मार्च 1998 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे। इन निगमों की लेखा परीक्षण व्यवस्था नीचे दर्शाई गई है :

क्र. सं.	निगम का नाम	विधान जिसके अन्तर्गत गठन किया गया	गठन की दिनांक	लेखापरीक्षा व्यवस्था	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत किया गया	सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,1948	1 जुलाई 1957	सी.ए.जी एक मात्र लेखापरीक्षक है।	1996-97	1996-97	अधिनियम की धारा 69(2)
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950	1 अक्टूबर 1964	सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।	1996-97	1995-96	अधिनियम की धारा 33(2)
3.	राजस्थान वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951	17 जनवरी 1955	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा	1997-98	1996-97	अधिनियम की धारा 37(6)
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित)	30 दिसम्बर 1957	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा	1996-97	1996-97	1962 के अधिनियम की धारा 31(8)

1.3.2 निवेश

31 मार्च 1998 को इन निगमों में कुल निवेश 7152.91 करोड़ रुपये (इक्विटी : 1957.32 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 5195.59 करोड़ रुपये) था जबकि 31 मार्च 1997 को कुल निवेश 6144.42 करोड़ रुपये (इक्विटी : 1209.97 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 4934.45 करोड़ रुपये) था:

विभाग (निगम का नाम)	वर्ष के अंत में				1997-98 में ऋण-इक्विटी अनुपात	अभ्युक्तियां
	1996-97		1997-98			
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण		
	(रुपये करोड़ों में)					
ऊर्जा (राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल)	1027.59	4311.11	1774.59*	4523.85*	2.55:1*	
यातायात (राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम)	107.95	19.82	107.95*	38.10*	0.35:1*	
उद्योग (राजस्थान वित्त निगम)	67.53	601.67	67.53	632.48	9.37:1	
कृषि (राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम)	6.90	1.25	7.25*	1.16*	0.16:1*	
योग	1209.97	4934.45	1957.32	5195.59	2.65:1	

* अनन्तिम

1.3.3 निगमों का लाभ/हानि

इन चार निगमों द्वारा उनके नवीनतम लेखों पर आधारित अर्जित लाभ/उठाई गई हानि की स्थिति अनुबन्ध-VI में दर्शायी गयी है।

1.3.4 लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

चार निगमों के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार तीन निगमों ने 69.51 करोड़ रुपये का अधिशेष/लाभ अर्जित किया व एक निगम को 15.38 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अधिशेष/ लाभ	घाटा/ हानि
				(रुपये करोड़ों में)
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी)	1996-97	63.22	-
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)	1996-97	4.04	-
3.	राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)	1997-98	-	15.38
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी)	1996-97	2.25	-
	योग		69.51	15.38

आरएफसी ने 1997-98 के दौरान अपनी प्रदत्त पूँजी को नष्ट कर दिया था क्योंकि संचित हानि (74.87 करोड़ रुपये) उसकी प्रदत्त पूँजी (67.53 करोड़ रुपये) से अधिक हो गई थी। यह हानि मुख्यत: एक मुश्त निपटारा योजना में ब्याज की छूट दिये जाने, ऋणों को अपलिखित किये जाने एवं डूबत एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किये जाने के कारण थी।

आरएसडब्ल्यूसी एवं आरएसआरटीसी ने वर्ष 1997-98 के लिये अपने लेखों को प्रस्तुत नहीं किया था (सितम्बर 1998) जबकि आरएसईबी के वर्ष 1997-98 के लेखे दिनांक 24 सितम्बर 1998 को प्राप्त हुए थे जो कि लेखापरीक्षा संवीक्षा में थे (अक्टूबर 1998)।

1.3.5 ऋणों पर प्रत्याभूति, इक्विटी एवं ऋणों का बजट से जावक तथा निजी निक्षेप खाता

(अ) ऋणों पर प्रत्याभूति

1997-98 तक के तीन वर्षों में इन निगमों को बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋण तथा साख के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां तथा 31 मार्च 1998 को इनके समक्ष बकाया को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	प्रत्याभूतियाँ	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत राशि			31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूत राशि (अनन्तिम)
		1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)	
		(रुपये करोड़ों में)			
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	459.01	506.75	1000.05	3271.55
3.	आयात के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये साख पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकों के अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ब) इक्विटी तथा ऋण का बजट से जावक

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान इक्विटी पूँजी तथा ऋणों के रूप में चार निगमों को राज्य सरकार से जावक की स्थिति नीचे दी गई है :

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	बजट से इक्विटी पूँजी जावक	300.25	114.75	747.35
2.	बजट से दिया गया ऋण	375.65	182.85	183.44

1997-98 के दौरान तीन निगमों द्वारा भुगतान किये गये/किये जाने वाले प्रत्याभूति कमीशन तथा 31 मार्च 1998 को बकाया की स्थिति नीचे दी गई है:

निगम का नाम	1997-98 के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याभूति कमीशन	31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूति कमीशन
	(रुपये करोड़ों में)	
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	3.31*	0.42*
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	0.01*	-
राजस्थान वित्त निगम	2.60	-
योग	5.92	0.42

* अनन्तिम

(स) निजी निक्षेप खाता

31 मार्च 1998 को चार निगमों के पी.डी.खाते में रहे शेष की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

निगम का नाम	इक्विटी	ऋण	अन्य**	योग
		(रुपये करोड़ो में)		
आरएसईबी	-	-	9.48	9.48
	(-)	(-)	(-)	(-)
आरएसआरटीसी	-	-	3.85	3.85
	(-)	(-)	(79.34)	(79.34)
आरएफसी	-	18.00	24.09	42.09
	(-)	(-)	(-)	(-)
आरएसडब्ल्यूसी	0.60	0.21	0.33	1.14
	(-)	(-)	(0.54)	(0.54)
योग	0.60	18.21	37.75	56.56
	(-)	(-)	(79.88)	(79.88)

{कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पी.डी.खाते (ब्याज धारित) से सम्बन्धित है तथा अन्य आंकड़े पी.डी.खाते (ब्याज रहित) से सम्बन्धित हैं।}

निगमों के पी.डी.खातों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि:

(i) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान 747.35 करोड़ रुपये की इक्विटी अंशदानित की गई जिसमें से 31 मार्च 1998 को आरएसडब्ल्यूसी से सम्बन्धित 0.60 करोड़ रुपये की राशि ब्याज रहित पी.डी. खाते में पड़ी थी जिसके लिये जीएफएण्डएआर में कोई प्रावधान नहीं था। आगे यह राशि राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के साथ अंशदानित की गयी थी कि दी गयी राशि का सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आहरण नहीं किया जा सकेगा। पी.डी.खाते में इन निधियों को रखे जाने से निगम अपने परिचालन उद्देश्य के लिये इन निधियों को उपयोग में लेने से वंचित रहा तथा उसे इस कमी को पूरा करने के लिये

** इसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व परिदान तथा पी.डी.खाते (ब्याज धारित) का ब्याज सम्मिलित है।

अन्य स्रोतों से लिये गये ऋणों पर 0.06 करोड़ रुपये का ब्याज (मार्च 1997 से मार्च 1998) भी देना पड़ा।

(ii) आरएफसी के मामले मे, 42.09 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार द्वारा दिये गये (मार्च 1994 से दिसम्बर 1997) 18.00 करोड़ रुपये के ऋण एवं 23.62 करोड़ रुपये की 'अन्य निधियाँ' ब्याज रहित पी.डी. खाते में इस शर्त के साथ पड़ी थी यह राशि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी। पी.डी. खाते में इतनी बड़ी राशि रखे जाने के कारण आरएफसी न केवल अपने परिचालन उद्देश्य के लिये इस राशि का उपयोग कर सका बल्कि अन्य स्रोतों से लिये गये ऋणों पर उसे 5.85 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा।

1.3.6 अर्थ-साहाय्य

1997-98 में समाप्त होने वाले गत तीन वर्षो के दौरान दो निगमों द्वारा प्राप्त अर्थ-साहाय्य निम्न प्रकार था:

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य		
		1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
		(रुपये करोड़ों में)		
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	226.25	441.66	252.60
2.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	0.57	0.15	0.96
	योग	226.82	441.81	253.56

1.3.7 सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम

निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिस तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, कार्यचालन परिणाम अनुबन्ध-VI में संक्षेपित किये गये हैं। इन निगमों के लेखों तथा भौतिक निष्पादन के बारे में मुख्य बिन्दु नीचे अनुच्छेद 1.4 से 1.7 में दिये गये हैं।

1.4 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

1.4.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की लेखा पुस्तकों पर आधारित वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित की गई है:-

	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	- अंश पूँजी	913.09	1027.59	1774.59
	- सरकार से ऋण	1815.96	1734.73	1152.96
	- अन्य दीर्घकालीन ऋण (बॉण्ड्स सहित)	1939.02	2576.98	3370.89
	- जनता से निक्षेप	179.08	221.92	261.87
	- संचय	691.13	899.85	1025.66
	- चालू देयताएं एवं प्रावधान	1332.23	1376.63	1539.87
	योग-अ	6870.51	7837.70	9125.84
ब.	सम्पत्तियाँ			
	- स्थायी सम्पत्तियाँ (सकल)	3700.85	4118.36	4465.15
	- घटायें:-मूल्य ह्रास	1108.79	1322.57	1588.95
	- स्थायी सम्पत्तियाँ (निवल)	2592.06$	2795.79	2876.20
	- निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	1154.20	1308.51	1834.02
	- आस्थगित लागत	4.94	4.93	2.20
	- चालू परिसम्पत्तियाँ	2817.85	3490.20	4240.49**
	- संचित हानि	301.46	238.24	172.89
	- अमूर्त सम्पत्तियाँ	-	0.03	0.04
	योग-ब	6870.51	7837.70	9125.84
स.	नियोजित पूँजी*	5230.99	6217.04	7410.01

$ इसमें उपभोक्ताओं के अंशदान के 484.57 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

** इसमें स्थाई प्रकृति का 0.83 करोड़ रुपये का निवेश सम्मिलित है।

* नियोजित पूँजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

1.4.2 कार्यचालन परिणाम

(i) मण्डल की लेखा पुस्तकों पर आधारित वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित हैं:

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	(अ) राजस्व प्राप्तियां	2351.84	2671.24	3285.14
	(ब) राज्य सरकार से अर्थ-साहाय्य	513.07	563.14	690.72
	योग	2864.91	3234.38	3975.86
2.	राजस्व व्यय (व्यय के पूँजीकरण के बाद शुद्ध व्यय) अमूर्त सम्पत्तियों के अपलेखित किये जाने सहित किन्तु ह्रास व ब्याज को छोड़कर	2120.62	2569.62	3143.57
3.	वर्ष के लिए सकल अधिशेष/घाटा(-) (1-2)	744.29	664.76	832.29
4.	पूर्वावधि समायोजन	(-)88.32	(+)63.54	(+)1.21
5.	वर्ष के लिए अन्तिम सकल अधिशेष/घाटा(-) (3+4)	655.97	728.30	833.50
6.	उपयोजन			
	(अ) मूल्य ह्रास@(घटाये:पूँजीकृत किया हुआ)	199.61	229.34	267.12
	(ब) सरकारी ऋणों पर ब्याज	221.84	229.03	240.42
	(स) अन्य ऋणों, बॉण्डस एवं अग्रिमों आदि पर ब्याज	271.21	348.20	475.80
	(द) ऋणों पर कुल ब्याज (ब + स)	493.05	577.23	716.22
	(य) घटाये: पूँजीकृत किया गया ब्याज	117.53	141.49	215.19
	(र) राजस्व खाते पर प्रभारित निवल ब्याज(द-य)	375.52	435.74	501.03
7.	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य को खाते में लेने से पूर्व अधिशेष/घाटा(-) {5-6(अ)-6(र)-1(ब)}	(-)432.23	(-)499.92	(-)625.37
8.	शुद्ध अधिशेष/घाटा(-) {5-6(अ)-6(र)}	80.84	63.22	65.35
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	456.36	498.96	566.38
10.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	8.7	8.0	7.6

@ तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते में दर्शायी गई ह्रास की राशि में अन्तर का कारण, पूँजीकृत ह्रास का समायोजन, वर्ष के दौरान निस्तारित/बेची गई सम्पत्तियाँ तथा पूर्व वर्षों से सम्बन्धित ह्रास, जो कि मण्डल की विभिन्न आय/पूर्व वर्षों से सम्बन्धित समायोजन में प्रकट हो रही है, है।

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध अधिशेष/घाटा(-) तथा लाभ-हानि खाते में कुल प्रभारित ब्याज (पूँजीकृत किये ब्याज को छोड़कर) के योग का घोतक है।

(ii) मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्याकंन

मण्डल ने पिछले वर्ष 1995-96 के दौरान 80.84 करोड़ रुपये के अधिशेष की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान 63.22 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया। राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य को खाते में लेने से पूर्व वर्ष 1995-96 (432.23 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष 1996-97 (499.92 करोड़ रुपये) के दौरान घाटा 15.66 प्रतिशत से बढ़ा।

घाटे के मुख्य कारण थे:

(अ) क्रय की गई ऊर्जा की औसत दर में वृद्धि।

(ब) ईधन लागत में वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि।

(स) उधारियों में वृद्धि के कारण ब्याज एवं वित्तीय शुल्कों में वृद्धि तथा वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान लीज़ पुनर्वित्त के तहत बेची गयी परिसम्पत्तियों के लीज किराये के भुगतान एवं ब्याज की दरों में वृद्धि।

(द) कार्मिक लागत, प्रशासनिक व्यय एवं मरम्मत तथा रखरखाव व्यय में सामान्य वृद्धि।

सरकार से प्राप्ति योग्य 758.88 करोड़ रुपये के अर्थ-साहाय्य/परिदान को जमा में लेने के पश्चात् वर्ष 1996-97 के अन्त में संचित घाटा 238.24 करोड़ रुपये था। उपरोक्त अर्थ-साहाय्य/परिदान में से 252.60 करोड़ रुपये वर्ष 1997-98 के दौरान समायोजित/निर्मुक्त किये गये जबकि 506.28 करोड़ रुपये के शेष को अभी भी वसूल/समायोजित किया जाना था।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित, की धारा 59 के अनुसार, धारा 63 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त परिदान की जमा लेने के पश्चात् मण्डल को परिचालन एवं टेरिफ समायोजन इस तरह सुनिश्चित करना चाहिये कि समुचित रूप से खर्च निकालने के पश्चात् किसी वर्ष के कुल राजस्व में से इतना आधिक्य बच जाए जो वर्ष के प्रारम्भ में सेवा में स्थायी सम्पतियों के मूल्य का तीन प्रतिशत अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत कोई उच्च प्रतिशत के बराबर हो। इस आधार पर मण्डल को वर्ष 1996-97 में न्यूनतम 63.22 करोड़ रुपये (वर्ष के प्रारम्भ में सेवा में

स्थायी सम्पतियों के मूल्य का 3 प्रतिशत) का आधिक्य प्राप्त करना चाहिये था। इसके विपरीत 63.22 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य निकाला गया था जो कि कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार से प्राप्ति योग्य परिदान के 560.76 करोड़ रुपये को प्रतिफल में लेने के पश्चात् 3 प्रतिशत था तथा इसमें से 506.28 करोड़ रुपये की राशि अभी भी प्राप्त की जानी थी।

मण्डल के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्न मुख्य अनियमितताएँ एवं त्रुटियाँ दर्शाई गई थी :

क्रम संख्या	अनियमितताएँ/त्रुटियाँ	(रुपये करोड़ों में)
1.	ब्याज का अति पूँजीकरण	5.26
2.	असफल ट्रान्सफॉर्मरों का अपलेखन नहीं करना	0.16
3.	निम्नांकित देयताओं का प्रावधान नहीं करना:	
(अ)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को देय ब्याज	0.24
(ब)	दण्डनीय ब्याज एवं प्रत्याभूति कमीशन	4.48
(स)	सरकारी ऋणों पर ब्याज	6.90
(द)	कृषि ग्रामीण विकास निगम के दावे	0.47
4.	पूर्व में काम आ चुकी अन्य सामग्रियों का समायोजन नहीं करना।	0.89
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के माध्यम से वित्त प्राप्त करने में हुए वसूली योग्य व्ययों को अपलिखित नहीं करना।	1.10
6.	मुद्रकों एवं वितरकों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन नहीं करना।	0.27
	योग	19.77
7.	घटाए: पूर्व सरकारी कर्मचारियों को किए गए भुगतान का समायोजन नहीं करना।	0.57
	शुद्ध प्रभाव	19.20

उपरोक्त अनियमितताओं/त्रुटियों के कारण मण्डल के अधिशेष 19.20 करोड़ रुपये से ओर कम हो जाएगें।

मण्डल के 1996-97 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन एवं मण्डल के वार्षिक लेखों की पृथक लेखापरीक्षा में दर्शाई गई मुख्य अनियमित्ताओं/त्रुटियों के आधार पर तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्य अर्थ-साहाय्य/परिदान को खाते में नहीं लेने से मण्डल की शुद्ध घाटा और नियोजित पूँजी पर प्रत्याय का प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

क्र.सं.	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	लेखा पुस्तकों के आधार पर निवल अधिशेष/घाटा(-)	77.07	80.84	63.22
2.	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य	489.82	513.07	563.14
3.	राज्य सरकार से अर्थ-साहाय्य से पहले निवल अधिशेष/घाटा(-)(1-2)	(-)412.75	(-)432.23	(-)499.92
4.	मण्डल के वार्षिक लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष/घाटा(-)में शुद्ध वृद्धि/कमी	(-)48.15	(-)93.24	(-)19.20
5.	लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर परन्तु राज्य सरकार से अर्थ-साहाय्य के पहले शुद्ध अधिशेष/घाटा(-) (3-4)	(-)460.90	(-)525.47	(-)519.12
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-)151.23	(-)149.95	(-)83.38
7.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.3 निम्नांकित तालिका मण्डल के वर्ष 1996-97 तक के प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान परिचालन निष्पादन दर्शाती है :

क्र.सं.	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97*
1.	स्थापित क्षमता		(मेगावाट में)	
	(अ) थर्मल	975.00	975.00	975.00
	(ब) हाइडल	971.07	974.87	974.87
	(स) गैस	3.00	38.50	38.50
	योग	1949.07	1988.37	1988.37
2.	उत्पादित ऊर्जा		(एमकेडब्ल्यूएच में)	
	(अ) थर्मल	4837.35	5935.09	6364.25
	(ब) हाइडल	3936.49	3976.48	3914.69
	(स) गैस	-	16.33	104.59
	योग	8773.84	9927.90	10383.53
3.	घटाएं : गौण खपत	623.20	742.22	758.55
4.	शुद्ध उत्पादित ऊर्जा	8150.64	9185.68	9624.98
5.	खरीदी गई ऊर्जा	8272.86	9985.56	9531.27
6.	बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा (4+5)	16423.50	19171.24	19156.25
7.	बेची गई ऊर्जा	12323.13	13743.87	14380.25
8.	संचरण एवं वितरण हानि(6-7)	4100.37	5427.37	4776.00
			(संख्या में)	
9.	स्थापित क्षमता पर प्रति किलोवाट उत्पादित इकाइयां	4501.55	4992.98	5222.14

* आंकड़े मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये।

क्र.सं.	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97*
10.	भार घटक (प्रतिशत)	70.19	74.82	69.57
11.	उत्पादन की स्थापित क्षमता से प्रतिशतता	73.2	76.2	85.7
12.	संचरण एवं वितरण हानियों की बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा से प्रतिशतता	25.0	28.3	24.9
			(संख्या में)	
13.	वर्ष के अंत में विद्युतिकृत गाँवों/कस्बों की संख्या	30,959	34,049	34,750
14.	वर्ष के अंत में ऊर्जाकृत पम्प सेटों/कुओं की संख्या	4,76,948	5,02,310	5,30,324
	(अ) निजी ट्यूबवेल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	(ब) राजकीय ट्यूबवेल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	योजित भार (मेगावाट)	7839.89	8550.61	9259
16.	उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	41.95	43.79	46.13
17.	कर्मचारियों की संख्या	56,846	57,130	56,113
18.	प्रति एमकेडब्ल्यूएच पर कर्मचारियों की लागत (रुपये लाखों में)	1.81	1.77	2.00

क्र.सं.	विवरण	1994-95* उप-भोक्ताओं का प्रतिशत	1994-95* राजस्व का प्रतिशत	1995-96* उप-भोक्ताओं का प्रतिशत	1995-96* राजस्व का प्रतिशत	1996-97* उप-भोक्ताओं का प्रतिशत	1996-97* राजस्व का प्रतिशत
19.	उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार ऊर्जा विक्रय का विभाजन						
	(अ) कृषि	31.54	6.98	31.76	6.52	32.94	6.41
	(ब) औद्योगिक	40.73	62.67	36.28	61.78	33.75	59.46
	(स) वाणिज्यिक	5.05	7.64	4.98	8.14	5.22	8.61
	(द) घरेलू	13.99	10.11	14.27	10.26	15.08	11.55
	(य) अन्य	8.69	12.60	12.71	13.30	13.01	13.97

क्र.सं.	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97*
			(पैसों में)	
20.	(अ) प्रति किलोवाट राजस्व (अर्थ साहाय्य को छोड़कर)	145.89	171.12	185.76
	(ब) प्रति किलोवाट व्यय	181.74	196.14	224.94
	(स) लाभ (+)/हानि(-)	(-)35.85	(-)25.02	(-)39.18

* आंकड़े मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये।

1.5 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

राज्य में मितव्ययी एवं कुशल यात्री परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत 1 अक्टूबर 1964 को आरएसआरटीसी की स्थापना की गई थी। 31 मार्च 1997 को राज्य की कुल 74,947 किलोमीटर लम्बी सड़क में से 16,470 किलोमीटर लम्बी सड़क राष्ट्रीयकृत थी जो कि 22.33 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। गाँवों में सेवाओं के विस्तार सम्बन्धी विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आरएसआरटीसी गाँवों में सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के अपने सामाजिक उद्देश्य में किस सीमा तक सफल हुई है।

1.5.1 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में वित्तीय स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
		(रुपये करोड़ों में)	
अ. देयताएँ			
पूँजी	107.95	107.95	107.95
संचय एवं अधिशेष	22.80	30.72	34.65
उधारियां	55.91	37.89	19.82
व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं	47.68	53.62	61.03
योग-अ	234.34	230.18	223.45
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	259.82	280.72	308.13
घटाएं: मूल्य ह्रास	88.80	111.78	139.93
निवल स्थाई सम्पत्तियाँ	171.02	168.94	168.20
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	1.61	2.33	2.63
निवेश	5.00	11.40	7.49
चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	43.84	42.17	43.70
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
आस्थगित राजस्व व्यय	12.87	5.34	1.43
संचित हानि	-	-	-
योग-ब	234.34	230.18	223.45
स. नियोजित पूँजी*	173.34	171.19	160.83

* नियोजित पूँजी, निवल स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

1.5.2 आरएसआरटीसी के वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:

क्र.सं	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	कुल राजस्व (परिचालन एवं गैर परिचालन)	386.97	418.56	441.58
2.	कुल व्यय (परिचालन एवं गैर परिचालन)*	324.77	368.20	392.69
3.	मूल्य ह्रास, ब्याज एवं लाभांश के पूर्व लाभ	(+)62.20	(+)50.36	(+)48.89
	घटाएं			
	(अ) मूल्य ह्रास	25.86	30.97	33.16
	(ब) ब्याज	10.56	9.15	6.56
	(स) प्रभार के रूप में लाभांश	2.39	2.39	2.39
4.	पूर्वावधि समायोजन	(+)0.77	(-)0.07	(-)2.74
5.	निवल लाभ	(+)24.16	(+)7.78	(+)4.04
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल@	34.72	16.93	10.60
7.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	20.03	9.89	6.59
8.	निवल मूल्य**	127.89	135.63	139.65

* कुल व्यय में मूल्य ह्रास, लाभांश एवं ऋण/पूँजी पर ब्याज सम्मिलित नही है।

@ नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल लाभ तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित ब्याज के योग का द्योतक है।

** निवल मूल्य अमूर्त सम्पत्तियों को घटाकर प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

1.5.3 निम्नलिखित तालिका आरएसआरटीसी के 1997-98 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की भौतिक कार्यदक्षता दर्शाती है :

क्र.सं.	विवरण	1995-96*	1996-97*	1997-98* (अनन्तिम)
1.	उपलब्ध वाहनों की औसत संख्या	4484	4557	4751
2.	चालू वाहनों की औसत संख्या	4049	4111	4234
3.	बेड़ा उपयोजन (प्रतिशत)	90	90	89
4.	वर्ष के अन्त में मार्ग किलोमीटर	4,61,822	4,57,057	4,80,699
5.	परिचालन आगारों की संख्या	44	45	46
6.	तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
	(अ) सकल किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	4579.79	4574.05	4892.03
	- किराये की बसें	559.50	413.31	401.60
	(ब) प्रभावी किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	4393.80	4387.71	4703.56
	- किराये की बसें	559.50	413.31	401.60
	(स) स्वयं की बसों के निष्फल किलोमीटर	185.99	186.34	188.47
	(द) स्वयं की बसों के निष्फल किलोमीटरों की सकल किलोमीटरों से प्रतिशतता	4.06	4.07	3.85
7.	प्रति बस प्रतिदिन तय किये गये औसत किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	296	292	304
	- किराये की बसें	479	472	466
8.	औसत राजस्व (पैसे/किलोमीटर)			
	- स्वयं की बसें	820	887	937
	- किराये की बसें	766	863	892

* आंकड़े निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

क्र.सं.	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97* (अनन्तिम)
9.	औसत व्यय (पैसे/किलोमीटर)			
	- स्वयं की बसें	847	913	965
	- किराये की बसें	407	421	469
10.	प्रति किलोमीटर लाभ (पैसों में)			
	- स्वयं की बसें	(-)27	(-)26	(-)28
11.	प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.24	0.22	0.22
12.	प्रति लाख कि.मी. पर ब्रेक डाउन की संख्या	3	3	3
13.	निर्धारित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	2575.72	2496.53	2654.68
14.	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	1851.94	1847.43	1730.85
15.	अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	71.9	74.0	65.2
16.	सम-विच्छेद अधिभोग (प्रतिशत)	72.0	74.2	66.0
17.	ईंधन उपभोग (कि.मी./लीटर)	4.80	4.77	4.78
	मानक	4.78	4.78	4.78
18.	मरम्मत एवं संधारण/कि.मी (रुपये में)	0.41	0.52	0.77
19.	टायर लागत/कि.मी. (रुपये में)			
	(अ) नये	0.54	0.62	0.57
	(ब) रिट्रेडेड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* आंकड़े निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

1.6 राजस्थान वित्त निगम

1.6.1 राजस्थान वित्त निगम की वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों के अन्त में प्रत्येक वर्ष की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएँ			
	प्रदत्त पूँजी	67.53	67.53	67.53
	संचय एवं अधिशेष	34.26	40.76	40.76$
	उधारियाँ	568.90@	601.67@	632.48@
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान	123.13	159.90	182.89
	योग -अ	793.82	869.86	923.66
ब.	सम्पत्तियाँ			
	निवल स्थाई सम्पत्तियाँ	3.52	4.10	4.84
	निवेश (लागत पर)	0.06	0.06	0.06
	ऋण एवं अग्रिम	628.19	662.80	688.48
	अन्य चालू सम्पत्तियाँ	126.20	143.41	155.41
	संचित हानि	35.85	59.49	74.87
	योग-ब	793.82	869.86	923.66
	नियोजित पूँजी*	616.08	653.43	685.22
	शुद्ध मूल्य**	65.94	48.80	33.42

$ इसमें 40.14 करोड़ रुपये के मुक्त संचय भी सम्मिलित हैं जिनका नियोजित पूँजी के लिए विचार नही किया गया क्योंकि संचित हानि मुक्त संचय से अधिक है।

@ इसमें राज्य सरकार से 23.55 करोड़ रुपये के इक्विटी ऋण सम्मिलित हैं।

* नियोजित पूँजी, प्रदत्त-पूँजी, बॉण्ड्स, संचय एवं अधिशेष, उधारियाँ तथा जमा के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान की द्योतक है।

** शुद्ध मूल्य, प्रदत्त-पूँजी तथा अमूर्त सम्पत्तियों को कम करके संचय एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

1.6.2 निम्नलिखित तालिका में राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों का विवरण दिया गया है:

क्र.सं	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	आय			
	(अ) ब्याज एवं लाभांश	102.26	111.58	106.51
	(ब) अन्य आय	3.34	3.01	2.91
	योग (1)	105.60	114.59	109.42
2.	व्यय			
	(अ) ब्याज	60.56	70.98	74.77
	(ब) अन्य वित्तीय व्यय वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय सहित	26.43	29.38	34.97
	(स) मूल्य ह्रास	0.23	0.36	0.42
	(द) डूबत एवं संदिग्ध ऋण	2.68	0.33	3.32
	योग (2)	89.90	101.05	113.48
3.	कर एवं प्रावधान से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)(1-2)	15.70	13.54	(-)4.06
4.	(अ) कर प्रावधान	4.12	3.66	-
	(ब) डूबत एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	4.50	27.02	11.32
5.	शुद्ध लाभ (+)/हानि(-)	(+)7.08	(-)17.14	(-)15.38
6.	विशेष संचय	7.00	6.50	-
7.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	शून्य	शून्य	शून्य
8.	प्रदत्त लाभांश (प्रत्याभूत)	4.02	4.30	4.30
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल@	71.76	57.50	59.39
10.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	11.6	8.8	8.7

@ नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध लाभ/हानि तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज के योग का द्योतक है।

1.6.3 निम्न तालिका में वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों के दौरान राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा उन के निपटारे की स्थिति दर्शायी है :

क्र.सं	आवेदन पत्रों का विवरण	1995-96** संख्या	1995-96** राशि	1996-97** संख्या	1996-97** राशि	1997-98** संख्या	1997-98** राशि	संचयी संख्या	संचयी राशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
						(राशि: रुपये करोड़ों में)			
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित	42	11.59	74	23.75	60	8.60	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	2297	255.93	1888	277.55	1635	241.31	87166	3363.00
3.	योग (1+2)	2339	267.52	1962	301.30	1695	249.91	87166	3363.00
4.	स्वीकृत किये	1770	163.44	1406	167.45	1288	165.14	66311	2084.19
5.	अस्वीकृत/वापस लिए गये/ बन्द किये गये	495	64.69	496	103.68	393	66.92	20841	1071.83
6.	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित	74	23.75	60	8.60	14	6.64	14	6.64
7.	संवितरित ऋण	1411	131.66*	1266	122.09*	1109	127.67*	50846	1393.94*
8.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि (नगद आधार पर)	-	628.19	-	662.80	-	688.48	-	-
9.	वसूली हेतु अतिदेय राशि:								
	(अ) मूल	-	95.31	-	97.88	-	104.95	-	-
	(ब) ब्याज	-	83.09	-	97.13	-	106.06	-	-
	(स) योग	-	178.40	-	195.01	-	211.01	-	-
10.	अतिदेय की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता	-	28.40	-	29.42	-	30.65	-	-

टिप्पणी: मद संख्या 3 के समक्ष दर्शायी गई राशि तथा मद संख्या 4, 5 एवं 6 के समक्ष दर्शायी गई राशियों के योग का अन्तर, प्रार्थित ऋण एवं स्वीकृत ऋण के बीच के अन्तर का द्योतक है।

** आँकडे आरएफसी द्वारा उपलब्ध करवाए गए।

* इनमें नई तथा पुरानी इकाइयों को संवितरित ऋण सम्मिलित हैं।

31 मार्च 1998 को ऋणियों से 688.48 करोड़ रुपये के ऋण की बकाया राशि (ब्याज सहित) में से 211.01 करोड़ रुपये की राशि वसूली के लिये अतिदेय थी।

अतिदेय ऋणों के बारे में कुछ अन्य बिन्दु नीचे दिये गये हैं:

(i) 31 मार्च 1998 को कुल अतिदेय ऋणों का आयुवार विश्लेषण निम्न प्रकार था:

विवरण	मूलधन	ब्याज	योग
		(रुपये करोड़ों में)	
एक वर्ष तक	17.65	17.20	34.85
एक वर्ष से अधिक	87.31	88.85	176.16
योग	104.96	106.05	211.01

(ii) निम्नलिखित तालिका वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में दायर किये गये वादों एवं अन्य मामलों में अतिदेय राशि का विवरण दर्शाती है:

वर्ष	अतिदेय राशि			वाद दायर किये गये मामलों की अतिदेय राशि की कुल अतिदेय राशि से प्रतिशतता
	वाद दायर किये गये मामलों में	अन्य मामलों में	योग	
	(रुपये करोड़ों में)			
1995-96	7.41	170.99	178.40	4.2
1996-97	7.61	187.40	195.01	3.9
1997-98	8.69	202.32	211.01	4.1

31 मार्च 1998 को 451 वाद के मामले लम्बित थे जिनमें 8.69 करोड़ रुपये की राशि समाहित थी।

1.7 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

1.7.1 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम की 1996-97 तक के तीन वर्षो के अन्त की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएँ			
	प्रदत्त-पूँजी	5.68	6.40	6.90
	संचय तथा अधिशेष	9.85	13.19	15.31
	उधारियाँ	1.70	1.80	1.25
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएँ	1.47	1.73	1.84
	योग-अ	18.70	23.12	25.30
ब.	सम्पत्तियां			
	सकल ब्लॉक	20.94	22.42	25.54
	घटाएं: मूल्य ह्रास	7.11	7.85	8.64
	शुद्ध स्थाई सम्पत्तियां	13.83	14.57	16.90
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	0.48	0.67	1.44
	निवेश	-	-	1.00
	चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	4.39	7.88	5.96
	योग-ब	18.70	23.12	25.30
स.	नियोजित पूँजी*	17.23	21.39	22.46

* नियोजित पूँजी, निवल स्थाई सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

1.7.2 निम्न तालिका राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम दर्शाती है :

क्र.सं	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	आय			
	भण्डारण प्रभार	6.08	7.77	7.59
	अन्य आय	0.60	1.23	1.43
	योग- (1)	6.68	9.00	9.02
2.	व्यय			
	स्थापना प्रभार	3.53	3.89	4.71
	ब्याज	0.22	0.21	0.17
	गोदाम किराया	0.16	0.27	0.32
	अन्य व्यय	1.31	1.47	1.60
	योग- (2)	5.22	5.84	6.80
3.	लाभ(+)/हानि(-)	1.46	3.16	2.22
4.	जोड़ा/घटाया पूर्वाविधि समायोजन	0.03	(-)0.03	0.03
5.	पूर्वाविधि समायोजन के बाद लाभ (+)/हानि(-)	1.49	3.13	2.25
6.	अन्य विनियोग, संचय आदि	1.33	2.77	1.99
7.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.16	0.36	0.26
8.	प्रदत्त/प्रावधित लाभांश	0.16	0.36	0.26
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल@	1.71	3.34	2.42
10.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	9.9	15.6	10.8

@ नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल पूर्वाविधि समायोजन के बाद लाभ एवं लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज के योग का द्योतक है।

1.7.3 निम्नलिखित तालिका राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा वर्ष 1997-98 तक के तीन वर्षों में सृजित भण्डारण क्षमता, उपयोगित क्षमता तथा कार्यदक्षता के बारे में अन्य सूचनाएँ दर्शाती है:

क्र.सं	विवरण	1995-96*	1996-97*	1997-98* (अनन्तिम)
1.	आवृत स्टेशनों की संख्या	78	79	81
			(लाख टनों में)	
2.	वर्ष के अन्त तक सृजित भण्डारण क्षमता			
	(अ) स्वयं की	4.54	4.74	4.89
	(ब) किराये की	0.60	0.31	0.50
	योग-(2)	5.14	5.05	5.39
3.	वर्ष के दौरान उपयोगित औसत भण्डारण क्षमता			
	(अ) स्वयं की	3.67	3.01	3.42
	(ब) किराये की	0.54	0.51	0.37
	योग-(3)	4.21	3.52	3.79
4.	उपलब्ध क्षमता का उपयोजन (प्रतिशत)	84	70	70
			(रुपयों में)	
5.	औसत राजस्व प्रतिटन प्रतिवर्ष	214	256	277
6.	औसत व्यय प्रतिटन प्रतिवर्ष	139	193	226
7.	लाभ प्रतिटन प्रतिवर्ष	75	63	51

* आंकड़े राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये।

अध्याय-2

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएँ

2अ. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

2ब. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
- औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत क्रियाकलाप

अध्याय -2अ

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	55
2अ.1	प्रस्तावना	57
2अ.2	उद्देश्य	57
2अ.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	58
2अ.4	संगठनात्मक ढाँचा	59
2अ.5	वित्तीय व्यवस्था	59
2अ.6	वित्तीय स्थिति	60
2अ.7	कार्यचालन परिणाम	61
2अ.8	योजनागत अनुमान	62
2अ.9	योजनाओं का कार्यान्वयन	63
2अ.10	उत्पादन, प्रोसेसिंग तथा विपणन	72
2अ.11	सामान सूची नियंत्रण	79
2अ.12	प्रशिक्षण तथा अनुसंधान गतिविधियाँ	82
2अ.13	अन्य रुचिकर प्रकरण	82
	निष्कर्ष	86

2अ. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

झलकियाँ

कम्पनी का निगमन मार्च 1984 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बुनकरों को उचित प्रशिक्षण, आधुनिक करघे, कच्चा माल, आर्थिक तथा विपणन सहायता देकर ऊँचा उठाने और राज्य में विभिन्न हाथकरघा योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से किया गया।

(अनुच्छेद 2अ.1 व 2अ.2)

कम्पनी वर्ष 1988-89 से लगातार हानि उठा रही है तथा वर्ष 1996-97 के अन्त तक की संचित हानि 9.58 करोड़ रुपये इसकी 5.40 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी को क्षय कर चुकी थी।

(अनुच्छेद 2अ.6)

8.06 करोड़ रुपये की राशि कम प्राप्त होने तथा 2.64 करोड़ रुपये की राशि को अन्य कार्यों में उपयोग में लेने के कारण कम्पनी का बुनकरों को यार्न/करघा प्रदान करना, प्रशिक्षण आदि देकर ऊपर उठाने की योजनाओं का यथार्थ ध्येय अधिकतर अप्राप्त रहा।

(अनुच्छेद 2अ.8 व 2अ.9)

कम्पनी द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्तकर्ताओं की पहचान तथा इन योजनाओं से मिलने वाले लाभ पर निगरानी रखने के लिए किसी पद्धति को प्रवर्तित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2अ.9.1)

योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बुनकरों की यार्न की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य के विपरीत 45.05 लाख रुपये का लाभ सामान्य श्रेणी के 3883 बुनकरों को प्रदान किया गया।

{अनुच्छेद 2अ.9.1.2(**i**)}

राज्य सरकार द्वारा अठारह प्रोजेक्ट पैकेज योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि में से 1.37 करोड़ रुपये को 30 महिनों तक रोके रखने के कारण योजना के यथार्थ ध्येय को लागू करने में विलम्ब हुआ।

{अनुच्छेद 2अ.9.1.6(**iii**)}

लेखों का सही ढंग से संधारण नहीं करने तथा वसूली के लिए पर्याप्त अनुसरण नहीं करने के कारण 21.63 लाख रुपये के देनदार डूबत मान लिए गये। साथ ही बुनकरों को दिये जाने वाले यार्न पर अपर्याप्त निगरानी के कारण अकार्यरत बुनकरों के पास पड़े हुये यार्न (58.80 लाख रुपये) की वसूली की सम्भावनाएँ क्षीण हो गई।

{अनुच्छेद 2अ.10.3.3 तथा 2अ.11(**i**)(ब)}

यद्यपि कम्पनी को विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत लाभप्रद तरीका अपनाने का अवसर उपलब्ध था फिर भी इसने अलाभप्रद तरीका अपनाया जिसके परिणामस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2अ.13.1)

कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कपड़ा उत्पादन में असफल रहने तथा उत्पादन में कमी के कारण सरकार द्वारा 17.92 लाख रुपये की अनुदान राशि अस्वीकृत कर दी गई/रोक ली गई।

(अनुच्छेद 2अ.13.2)

2अ.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन मार्च 1984 में, एक पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा शासित कम्पनी के रूप में, गरीबी रेखा* से नीचे जीवन यापन कर रहे हाथकरघा बुनकरों को उचित प्रशिक्षण, आधुनिक करघे, कच्चामाल, नवीनतम डिजाइन, आर्थिक तथा विपणन सहायता देकर ऊपर उठाने तथा राज्य में विभिन्न हाथकरघा विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया।

2अ.2 उद्देश्य

कम्पनी के मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में दर्शित मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- राज्य में हाथकरघा उद्योग की वृद्धि एवं विकास, पुनर्वास में मदद व सहायता तथा प्रोत्साहन प्रदान करना।
- हाथकरघा उद्योग तथा सभी या कोई संबंद्ध, सहायक, प्रारम्भिक (उपक्रमात्मक), संसाधनात्मक या परिस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- हाथकरघा एवं संबंध उद्योगों में वांछित सामग्री तथा मुख्य कच्चे माल संबंधी कार्य, विनिर्माण, प्रापण, संसाधन, माल एकत्रीकरण, विक्रय तथा वितरण करना।
- हाथकरघा कपड़े को देश या देश के बाहर थोक, खुदरा या कमीशन आधार पर विपणन करना तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य कार्य करना।

कम्पनी की वर्तमान गतिविधियों में केन्द्रीय/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना शामिल है :-

- बुनकरों को उनकी निपुणता में उन्नयन हेतु आधुनिक करघों पर प्रशिक्षण प्रदान करना,
- कच्चा माल प्रदान करना तथा तैयार उत्पादन के विपणन में सहायता देना,
- विक्रय वृद्धि के लिए प्रदर्शनियों व एक्सपो में भाग लेना, और
- हाथकरघा विकास के लिए विभिन्न तरीकों को प्रवर्तित करना।

---

* गरीबी की रेखा के नीचे से तात्पर्य उन परिवारों से है जिनकी वार्षिक आय 11000/- रुपये से कम है जैसा कि भारत सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1991 में दर्शाया गया है। यह सीमा नवी पंचवर्षीय योजना में 20000/- रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ा दी गई।

उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त कम्पनी एक प्रोसेस हाउस भी चला रही थी।

कम्पनी ने हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित सहायक, संशोधनात्मक और परिस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी अलग से योजना प्रवर्तित नहीं की।

2अ.2(i) राज्य में हाथकरघा उद्योग का आकार

देश में 31 मार्च 1998 को कुल 38.90 लाख करघों में से राजस्थान में 33,023 करघों पर 61,909 बुनकर कार्यरत थे। राजस्थान के कुल बुनकरों में से 80 प्रतिशत बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थे। राज्य के 61909 बुनकरों में से 80 प्रतिशत बुनकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति तथा शेष अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित थे। बुनकरों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इस क्षेत्र में दो नोडल अभिकरण यथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ (आरआरबीएसएस) एक ''अपेक्स बॉडी'' जो सहकारी क्षेत्र के बुनकरों से सम्बन्धित थी तथा राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसी) जो अन्य बुनकरों से सम्बन्धित थी, कार्यरत थे। राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का आरएसएचडीसी (एक राज्य सरकार का उपक्रम) द्वारा क्रियान्वयन का इस समीक्षा में विवेचन किया गया है।

2अ.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

कम्पनी के कार्यकलापों की गत समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1988-89 में की गई थी जिसका परीक्षण राजकीय उपक्रम समिति द्वारा जुलाई 1992 में किया गया। राजकीय उपक्रम समिति की सिफारिशें प्रतीक्षित है (सितम्बर 1998)। कम्पनी के गत पाँच वर्षों, वर्ष 1993-94 से वर्ष 1997-98 के पूर्ण कार्यकलापों तथा विभिन्न योजनाएँ जो संचालन में थी की प्रगति, प्रोसेस हाउस की प्रगति को शामिल करते हुए, सितम्बर 1997 से मार्च 1998 के मध्य समीक्षा की गई तथा समीक्षा के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

2अ.4 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी के प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को शामिल करते हुए कम से कम तीन व अधिक से अधिक 12 निदेशक हो सकते हैं। 31 मार्च 1998 को मण्डल में 11 निदेशक थे जिनमें से एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक और छ: मनोनीत निदेशक तथा तीन अकार्यालयिक निदेशक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये थे। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य अधिकारी है जिसकी सहायता वित्तीय सलाहकार एवं कम्पनी सचिव, उत्पादन प्रबन्धक, विपणन प्रबन्धक, प्रशासकीय प्रबन्धक और प्रोसेस हाउस प्रबन्धक करते हैं। मार्च 1998 के अन्त तक कम्पनी 49 आगारों, 9 सामान्य सुविधा केन्द्रों तथा 23 शोरूमों का प्रचालन कर रही थी।

2अ.5 वित्तीय व्यवस्था

(अ) कम्पनी की अधिकृत पूँजी 650 लाख रुपये थी जो रुपये 1000/- प्रत्येक के 65000 इक्विटी शेयर में विभाजित है। 31 मार्च 1997 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 540 लाख रुपये थी जो राज्य सरकार (517 लाख रुपये), राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम (आरएससीडीसी)(18 लाख रुपये) तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम (आरएसआईसी)(5 लाख रुपये) द्वारा अंशदानित थी।

राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 से 1991-92 में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अंश पूँजी के रूप में 30 लाख रुपये अंशदानित किये थे। कम्पनी ने वैशाली नगर, जयपुर में 4000 वर्ग मीटर जमीन 5.88 लाख रुपये की लागत पर क्रय की थी (अप्रैल 1991)। तथापि निर्माण कार्य अभी तक भी चालू नही किया गया (सितम्बर 1998)। शेष राशि 24.12 लाख रुपये का उपयोग कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा अन्य प्रशासनिक खर्चो के भुगतान पर किया गया।

> राज्य सरकार द्वारा कार्यालय भवन हेतु अंशदानित 30 लाख रुपये में से 24.12 लाख रुपये का उपयोग स्टॉफ को वेतन एवं भत्तों के भुगतान में किया गया।

(ब) कम्पनी ने 31 मार्च 1997 तक 1000.01 लाख रुपये के ऋण ले रखे थे (भारत सरकार: 283.91 लाख रुपये, राज्य सरकार: 436.10 लाख रुपये, आर.एस.सी. डी.सी: 100 लाख रुपये तथा बैंक ऑफ राजस्थान: 180 लाख रुपये)। वित्तीय बाधाओं के कारण 1000.01 लाख रुपये में से केवल 98.30 लाख रुपये का ही पुनर्भुगतान किया जा सका तथा शेष 901.71 लाख रुपये के ऋण व

242.87 लाख रुपये का ब्याज (12.25 लाख रुपये के दण्डनीय ब्याज को छोड़कर) के रूप में 31 मार्च 1997 को बकाया थे।

2अ.6 वित्तीय स्थिति

कम्पनी ने वर्ष 1996-97 तक के लेखों को ही अन्तिम रूप दिया है।

1996-97 तक के पाँच वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति संक्षेप में निम्न तालिका में दी गई है।

	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
				(रुपये लाखों में)		
अ	देयताएँ					
1	प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन राशि सहित)	213.00	238.00	315.00	416.00	540.00
2	संचय एवं अधिशेष	62.31	58.57	52.76	49.52	51.89
3	उधारियाँ	549.58	545.17	528.62	759.07	907.65
4	व्यापारिक देयताएँ एवं अन्य चालू देनदारियाँ	500.34	507.55	537.65	756.09	865.14
	योग	**1325.23**	**1349.29**	**1434.03**	**1980.68**	**2364.68**
ब	सम्पत्तियाँ					
1	सम्पत्तियों का सकल मूल्य	303.78	305.73	306.43	312.46	318.20
	घटाएँ: मूल्य ह्रास	139.46	160.16	177.81	193.53	208.83
	शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	164.32	145.57	128.62	118.93	109.37
2	पूँजीगत मदें स्टॉक में	0.19	0.19	0.19	0.19	-
3	चल सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	959.09	934.18	819.73	1242.14	1297.67
4	विविध व्यय	0.05	-	-	-	-
5	संचित हानि	201.58	269.35	485.49	619.42	957.64
	योग	**1325.23**	**1349.29**	**1434.03**	**1980.68**	**2364.68**
	नियोजित पूँजी*	623.26	572.39	410.89	605.17	541.90
	शुद्ध मूल्य**	73.68	27.22	(-)117.73	(-)153.90	(-)365.75

* नियोजित पूँजी शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ (पूँजीगत मदों का स्टॉक और निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूँजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

** शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूँजी, संचय एवं अधिशेष के योग में से अमूर्त सम्पत्तियों को घटाने से प्राप्त हुइ राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्ष दर वर्ष अनवरत हानि होने के कारण संचित हानि 957.64 लाख रुपये तक पहुँच गई तथा कम्पनी की प्रदत्त पूँजी को अपरीदत कर चुकी है। कम्पनी का शुद्ध मूल्य भी वर्ष 1992-93 के 73.68 लाख रुपये के मुकाबले वर्ष 1996-97 में (-)365.75 लाख रुपये तक कम हो गया है।

वर्ष 1996-97 के अन्त तक संचित हानि (957.64 लाख रुपये) कम्पनी की प्रदत्त पूँजी का पूर्ण रूप से क्षय कर चुकी थी।

2अ.7 कार्यचालन परिणाम

कम्पनी के 1996-97 तक के पाँच वर्षों के कार्य-चालन परिणाम संक्षेप में निम्न तालिका में दिये गये है :-

	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
				(रुपये लाखों में)		
अ	आय					
1	विक्रय	367.96	327.28	265.57	461.89	494.54
2	स्टॉक में वृद्धि (+)/कमी(-)	(+)55.06	(-)10.57	(-)87.96	(+)172.93	(-)15.29
3	अनुदान राशि	85.33	103.78	101.88	161.66	64.59
4	अन्य आय	12.91	14.66	11.75	14.03	15.44
	योग (अ)	**521.26**	**435.15**	**291.24**	**810.51**	**559.28**
ब	व्यय					
1	यार्न तथा परिष्कृत माल का क्रय कच्चे माल के उपयोग सहित	235.88	108.41	106.97	449.97	331.50
2	विनिर्माण व्यय	95.97	80.66	63.79	107.59	56.64
3	वेतन एवं मजदूरी	129.49	137.88	163.19	183.42	215.53
4	ऋण पर ब्याज	55.80	64.83	55.66	69.69	105.32
5	मूल्य ह्रास	15.40	14.06	11.84	10.59	9.69
6	अन्य व्यय	83.78	83.57	94.14	101.74	145.49
	योग (ब)	**616.32**	**489.41**	**495.59**	**923.00**	**864.17**
स	पूर्वावधि समायोजन से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (अ-ब)	(-)95.06	(-)54.26	(-)204.35	(-)112.49	(-)304.89
द	पूर्वावधि समायोजन	(-)14.20	(-)13.52	(-)11.78	(-)21.43	(-)33.32
य	पूर्वावधि समायोजन के पश्चात लाभ(+)/हानि(-) (स+द)	(-)109.26	(-)67.78	(-)216.13	(-)133.92	(-)338.21

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी अनवरत हानि उठा रही है। तथापि कम्पनी द्वारा कभी भी हानि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया। विलम्ब से कम्पनी ने दिसम्बर 1995 में अपने कार्यकलापों के गहन अध्ययन के लिए उनके परिणामों के निदान के उपाय सुझाने के लिए राजस्थान कन्सलटेन्सी आर्गेनाइजेशन (राजकॉन) को 0.70 लाख रुपये की लागत पर नियुक्त किया। राजकॉन ने (जनवरी 1997) विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि हानि के कारणों में, कम बिक्री, प्रोसेस हाऊस की क्षमता का कम उपयोग, अधिक मानव श्रम का फैलाव, आय की तुलना में असंगत प्रशासनिक व्यय, वस्तुओं की कीमत का समय पर पुनर्निर्धारण नहीं करना, बुनकरों से उत्पादित कपड़ों की वसूली तथा ग्राहकों से विक्रय राशि की वसूली के बारे में उचित व्यवस्था की कमी, मुख्य है।

कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को जीवनक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को 25 प्रतिशत अव्यवहार्य सामान्य सुविधा केन्द्रों तथा आगारों को बन्द करने, 30 प्रतिशत अधिशेष कर्मियों को दूसरे सरकारी उपक्रमों में समा लेने, 165 लाख रुपये के अवधि ऋण को अंश पूंजी/अनुदान में परिवर्तित करने तथा चरणबद्ध तरीके से 1000 लाख रुपये का संस्थागत ऋण प्राप्त करने आदि के प्रस्ताव भेजे (मई 1997)।

उपरोक्त प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन थे (जुलाई 1998)।

2अ.8 योजनागत अनुमान

वर्तमान बुनकरों की तकनीकी दक्षता को ऊँचा उठाने तथा मूल्यवान वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कम्पनी ने आठवीं पँचवर्षीय योजना में 1741.50 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान रखा (670 लाख रुपये राज्य योजना तथा 1071.50 लाख रुपये केन्द्र प्रवर्तित योजना (सीएसएस) मद से) जो बढ़कर 2508.69 लाख रुपये हो गया (1057.63 लाख रुपये राज्य योजना तथा 1451.06 लाख रुपये प्रवर्तित योजना मद में)। मार्च 1997 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में योजना अनुमान

तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निधियों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	राज्य योजना				केन्द्रीय प्रवर्तित योजना			
	प्रावधान		जारी की गई राशि		प्रावधान		जारी की गई राशि	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
	(रुप्ये लाखों में)							
1992-93	48.70	84.55	48.70	80.80	25.00	205.00	25.00	127.68
1993-94	41.75	88.25	38.91	78.82	40.00	252.15	-	121.14
1994-95	44.00	111.00	29.00	95:53	179.00	193.50	77.00	66.97
1995-96	121.00	79.00	121.00	78.73	36.00	212.41	18.40	91.52
1996-97	425.00	14.38	423.00	12.36	73.00	235.00	-	168.49
योग	**680.45**	**377.18**	**660.61**	**346.24**	**353.00**	**1098.06**	**120.40**	**575.80**

आठवीं पँचवर्षीय योजना के कुल व्यय 2508.69 लाख रुपये के विरुद्ध 1703.05 लाख रुपये का कोष जारी किया गया। तथापि, कम्पनी द्वारा उक्त राशि उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की गई जिसके लिए यह दी गई थी। इस प्रकार कम कोष की प्राप्ति (805.64 लाख रुपये) तथा कोष (264.41 लाख रुपये) को दूसरे प्रयोजनार्थ विचलन के कारण राज्य में हाथकरघा उद्योग के विकास तथा अनुवर्ती वृद्धि का यथार्थ उद्देश्य अधिकांशत: अप्राप्य रहा जिसे अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

2अ.9 योजनाओं का कार्यान्वयन

2अ.9.1 लाभान्वितों की पहचान

कम्पनी ने समय-समय पर लागू की गई योजनाओं में लाभान्वितों की पहचान के लिए कोई पद्धति प्रवर्तित नहीं की जिसकी अनुपस्थिति में विशिष्ट बुनकर को विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले लाभ की सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सका। साथ ही बुनकरों को उपार्जित लाभ तथा उनकी जीवन निर्वाह स्थिति में सुधार की सीमा की निगरानी के लिए किसी पद्धति के अभाव में बुनकरों की जीवन निर्वाह स्थिति में सुधार को लेखापरीक्षा में निश्चित नहीं किया जा सका।

2अ.9.1.1 करघों का आधुनिकीकरण एवं सक्रियण

(i) कम्पनी स्थापित करने का मुख्य ध्येय, पंजीकृत बुनकरों के करघों का नियोजित आधुनिकीकरण सुनिश्चित करना तथा उनके निष्क्रीय करघों का सक्रियण करने के लिए यार्न मांग को तर्कसंगत दरों पर विश्वास के साथ पूरा करना था ताकि बुनकरों के आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके।

वर्ष 1992-93 तक 12898 निष्क्रीय करघों में से कम्पनी 7929 करघों को सक्रिय कर सकी। करघों के सक्रियण की योजना वर्ष 1993-94 से बंद कर दी गई। आधुनिकीकरण की योजना, जो कि वर्ष 1995-96 तक अस्तित्व में थी, के अन्तर्गत कम्पनी 760 प्रस्तावित करघों के विरुद्ध 480 नये करघे ही स्थापित कर पाई।

करघों के आधुनिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी, विशेषकर वर्ष 1994-95 में जबकि 200 करघों के लक्ष्य के विरुद्ध 36 करघों का ही आधुनिकीकरण किया गया, के कारणों का उल्लेख दस्तावेजों पर उपलब्ध नहीं था।

(ii) जहाँ तक बुनकरों को यार्न की आपूर्ति का सवाल है, यह पाया गया कि कम्पनी करघों की आवश्यकता का केवल 2.12 से 14.29 प्रतिशत तक ही पूर्ति कर पाई जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है :-

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध करघे (सक्रियत/नये करघे)	मानकों के आधार पर इन करधों के लिए यार्न की अनुमानित आवश्यकता	करधों को यार्न की वास्तविक आपूर्ति	करधों के लिए पर्याप्त यार्न	कालम 5 का कालम 2 से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
	(संख्या में)	(किलोग्राम में)	(किलोग्राम में)	(संख्या में)	
1992-93	12705	4830568	690331	1815	14.29
1993-94	13170	5007365	239293	629	4.78
1994-95	13323	5065538	107279	282	2.12
1995-96	13359	5079225	329333	866	6.48
1996-97	13523	5141580	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	-

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान कम्पनी ने 12,705 से 13,523 करघों को सक्रिय किया लेकिन इन करघों की 48.31 लाख किलोग्राम से 51.42 लाख किलोग्राम की यार्न की आवश्यकता के विरुद्ध कम्पनी केवल 1.07 लाख किलोग्राम से 6.90 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति कर सकी जो कि केवल 282 से 1815 करघों के लिए ही पर्याप्त था। इस प्रकार यह सक्रिय करघों की पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करने में असफल रही जिससे बुनकरों को यार्न की आपूर्ति तथा करघों के सक्रियण के प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने सरकार से 1995-96 तक प्राप्त ऋण (30.20 लाख रुपये) एवं अनुदान (91.67 लाख रुपये) का लाभप्रद उपयोग नहीं किया और 55.19 लाख रुपये (अनुदान: 39.13 लाख रुपये और ऋण:16.06 लाख रुपये) का उपयोग अपने प्रशासनिक खर्चों हेतु किया। इस प्रकार करघों का, यार्न की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हुए, अनियोजित तरीके से सक्रियण नये करघों सहित तथा निधियों (अनुदान/ऋण) का प्रशासनिक खर्चों में उपयोग के कारण योजना के अन्तर्गत बुनकरों को अभिष्ट लाभ से वंचित रखा गया।

> करघों का अनियोजित तरीके से सक्रियण तथा निधियों (55.19 लाख रुपये) का प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति में उपयोग के कारण बुनकरों को अभिष्ट लाभ से वंचित रखा गया।

2.अ.9.1.2 यार्न बैंक स्कीम में सन्निहित लाभ का उपभोग न कर पाना

राजस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएससीडीसी) ने सितम्बर 1991 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बुनकरों को यार्न की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाने में मदद करने के लिए यार्न बैंक स्कीम (वाईबीएस) प्रवर्तित की जिसे कम्पनी को मूर्त रूप देना था।

इस योजना के अंतर्गत आरएससीडीसी ने कम्पनी को अनुसूचित जाति के बुनकरों की यार्न की शत प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति हेतु सितम्बर 1991 में 75 लाख रुपये तथा दिसम्बर 1994 में 25 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए। इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा इस योजना के तहत लाभान्वित हुए बुनकरों के लिए अलग से लेखे रखने थे।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है:

> योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बुनकरों की यार्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य के विरुद्ध 3883 सामान्य श्रेणी के बुनकरों को 45.05 लाख रुपये का लाभ दिया गया।

(i) योजना के अन्तर्गत 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि में 8620 लाभ प्राप्तकर्ताओं में से, अनुसूचित जाति बुनकरों के अलावा 45.05 लाख रुपये का लाभ 3883 सामान्य श्रेणी के बुनकरों को दिया गया जो कि योजना के उद्देश्यों के विपरीत था।

(ii) कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को सूचित 8620 बुनकरों को लाभ प्रदान करने का दावा लेखापरीक्षा में सही नहीं पाया गया क्योंकि कम्पनी ने 1992-93 से 1996-97 की अवधि में केवल 7331 बुनकरों को यार्न की आपूर्ति की और वह भी केवल इसी योजना के तहत नहीं थी वरन अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भी थी।

> 33.24 लाख रुपये का उपयोग योजना में सन्निहित उद्देश्यों के विपरीत किया गया।

(iii) योजना के तहत प्राप्त निधियों (100 लाख रुपये) में से 66.76 लाख रुपये का उपयोग तो योजना के उद्देश्यों हेतु किया गया लेकिन शेष राशि 33.24 लाख रुपये का उपयोग (19.73 लाख रुपये 1995-96 में तथा 13.51 लाख रुपये 1996-97 में) बुनकरों को मजदूरी के भुगतान के लिए किया गया जो कि योजना के उद्देश्यों के विपरीत था।

(iv) दौसा, गोविन्दगढ़, जाहोता, मथानियाँ और रतनगढ़ आगारों में वाईबीएस के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय आरएससीडीसी द्वारा पाया गया कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्तकर्ताओं का, प्रत्येक को आपूर्ति किये गये यार्न का तथा उनकी उपार्जित आय में सुधार की स्थिति के बारे में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं था और इसलिए आरएससीडीसी ने कम्पनी को 100 लाख रुपये मय 8 लाख रुपये ब्याज, तुरन्त वापस करने के लिए कहा (सितम्बर 1997) तथापि कम्पनी द्वारा अभी तक कोई भी राशि लौटाई नहीं गई (सितम्बर 1998)।

2अ.9.1.3 ऊनी हाथकरघा के लिए मरूस्थल क्षेत्र विकास परियोजना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में अनुच्छेद 2ब में यह उल्लेखित किया गया था कि कम्पनी परियोजना को मार्च 1992 तक की परियोजना अवधि में पूर्ण करने में असफल रही तथा 1991-92 तक परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित 411.63 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध जारी की गई 229 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं कर पाई। तदनन्तर (सितम्बर 1995) परियोजना को पूरा करने की अवधि मार्च 1996 तक बढ़ा दी गई तथा सरकार द्वारा मार्च 1996 तक शेष राशि 182.63 लाख रुपये {411.63 लाख रुपये (-) 229 लाख रुपये} भी जारी कर दी गई।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है:

(i) कम्पनी ने योजना के लिए अलग लेखे संधारित नहीं किये जिनकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि 411.63 लाख रुपये का उपयोग योजना के यथार्थ उद्देश्यों के लिए ही किया गया।

(ii) 1992-93 तक केवल 1170 बुनकरों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त कम्पनी परियोजना के अन्य कोई भी कार्यक्रम चालू नहीं कर सकी। कपड़े के 35.40 लाख मीटर प्रतिवर्ष परियोजित उत्पादन के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन 1992-93 में

3.94 लाख मीटर, 1993-94 में 1.76 लाख मीटर, 1994-95 में 0.35 लाख मीटर, 1995-96 में 13.46 लाख मीटर तथा 1996-97 में 0.53 लाख मीटर हुआ। इस प्रकार किसी भी वर्ष में उत्पादन लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं हो पाई।

(iii) परियोजना के कार्यक्रमानुसार जिन बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाना था उन्हें आधुनिक करघे भी प्रदान किये जाने थे। 1170 बुनकरों में से जिन्हें 1992-93 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका था केवल 316 बुनकरों को ही करघे प्रदान किये गये। इसी प्रकार 540 बुनकरों में से जिन्हें उपकरण प्रदान करने थे केवल 117 बुनकरों को ही उपकरण प्रदान किये गये। बुनकरों को करघे व उपकरण प्रदान नहीं करने के कारण परियोजना के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति अधिकांशतः अप्राप्य रही, जिसके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

> प्रशिक्षित बुनकरों को करघे व उपकरण प्रदान नहीं करने के कारण बुनकरों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य अधिकांशतः अप्राप्य रहे।

2अ.9.1.4 ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास के लिए हाथकरघा परियोजना

महिला तथा बाल विकास विभाग ने महिला बुनकरों की उन्नति हेतु उन्हें वित्तीय तथा विपणन सहायता प्रदान करने के लिए ''ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बच्चों के विकास'' (डीडब्ल्यूसीआरए) के नाम से एक परियोजना कार्यान्वित की। कम्पनी ने (दिसम्बर 1993) डीडब्ल्यूसीआरए की 700 महिला बुनकरों को अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु चयन का निर्णय किया ताकि प्रत्येक महिला को एकमुश्त 3500 रुपये की लागत का 50 किलो यार्न की आपूर्ति कर उन्हें अपनी प्रत्यक्ष उत्पादन योजना से जोड़ा जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने 1994-95 से 1997-98 की अवधि में डीडब्ल्यूसीआरए की किसी महिला बुनकरों को ना तो अपने प्रशिक्षण केन्द्रों पर धागे बुनने का प्रशिक्षण दिया और ना ही यार्न दिया । राज्य सरकार से प्राप्त निधियों (25 लाख रुपये) का उपयोग कम्पनी ने प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति में किया जिससे योजना में सन्निहित यथार्थ उद्देश्य निष्फल हो गये।

> महिला बुनकरों को प्रशिक्षण/यार्न नहीं देने तथा निधियों (25 लाख रुपये) का अन्य उद्देश्यों में उपयोग के कारण योजना में सन्निहित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2अ.9.1.5 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बुनकरों के लाभार्थ विशेष पैकेज योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (एस सी/एस टी) बुनकरों को नये करघे, विद्यमान करघों के लिए औजार एवं उपकरण, करघा गृहों की सुविधा तथा उत्पादनों के विपणन में सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1990-91 में एक विशेष पैकेज योजना प्रारम्भ की (जिसे मार्च 1994 तक पूरा करना था), तथा इसके लिए वर्ष 1990-91 में भारत सरकार से 74 लाख रुपये (16 लाख रुपये ऋण तथा 58 लाख रुपये अनुदान के रूप में) प्राप्त किये।

इस योजना के क्रियान्वयन में यह पाया गया कि:

(i) कम्पनी ने दावा किया कि उसने 462 नये करघों को यार्न की आपूर्ति (राशि 17.53 लाख रुपये), 1339 वर्तमान करघों को उपकरणों की आपूर्ति की (राशि 13.39 लाख रुपये) तथा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करने में 24 लाख रुपये की अनुदान राशि का उपभोग किया। लेकिन करघों तथा बुनकरों जिनको यह सहायता प्रदान की गई, से सम्बन्धित विवरणों को दर्शाने वाले सहायक अभिलेखों की अनुपस्थिति के कारण इन कोषों के बुनकरों के लाभार्थ उपयोग करने के दावे की प्रमाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सका। इसलिए 54.92 लाख रुपये की पूर्ण खर्चे की राशि लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है।

(ii) राज्य सरकार से प्राप्त 16 लाख रुपये के ऋण के विरुद्ध मार्च 1994 तक बुनकरों को नये करघे स्थापित करने तथा बुनकरों के परिसर पर विद्यमान करघों को उपकरण (अतिरिक्त पुर्जे) प्रदान करने के लिए 17.30 लाख रुपये का ऋण दिया गया। ऋण की वसूली भुगतान किये गये माह के अग्रिम माह से 100 रुपये प्रति माह की दर से करनी थी लेकिन यह देखा गया कि मार्च 1998 तक केवल 0.95 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके। बुनकरों को प्राप्त ऋण से अधिक ऋण वितरित करने तथा ऋण की मय ब्याज के मंद गति से वसूली के सम्बन्ध में कोई भी कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

2अ.9.1.6 अट्ठारह प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएँ

भारत सरकार ने हाथकरघा बुनकरों की सहायतार्थ 18 टेलर-मेड प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएँ (3 योजनाएँ फरवरी 1996 तथा 15 योजनाएँ मार्च 1996 में स्वीकृत की) जिसमें टेबिल कवर, ऊनी शाल, जेकार्ड, टर्किस तौलिये आदि का उत्पादन शामिल है, 847.46 लाख रुपये की लागत (ऋण: 293.58 लाख रुपये तथा अनुदान: 553.88 लाख रुपये) पर स्वीकृत की जिसको राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा प्रत्येक योजना में उल्लेखित अनुपात में वित्त पोषण करना था।

प्रत्येक परियोजना में एक विशिष्ट लक्ष्य समूह उल्लेखित था जिसमें 3450 बुनकरों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला बुनकर, अल्पसंख्यक वर्ग के बुनकर और पहाड़ी/मरूस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले बुनकर) को लाभ दिया जाना था।

प्रत्येक योजना में, बुनकरों को उत्पाद विकास, पारम्परिक वस्तुओं से अधिक विपणन योग्य वस्तुओं के उत्पाद, पारम्परिक विशेष डिजाइनों को उपयोगी उत्पादों में लगाना, बुनकरों की दक्षता को ग्रे धागों की बुनाई से यार्न डाईड धागों की बुनाई में बदलना, बुनकरों को आधुनिकीकृत करघे प्रदान करना आदि के लिए प्रशिक्षण देना सन्निहित था। इन प्रोजेक्ट पैकेज योजनाओं को 1996-97 से 1997-98 की अवधि में

लागू करना था। भारत सरकार ने इन योजनाओं के लिए वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 की अवधि में अनुदान के रूप में 170.44 लाख रुपये प्रदान किये जिसमें से 9.19 लाख रुपये राज्य सरकार ने वितरित नहीं किये। राज्य सरकार ने भी 128.28 लाख रुपये (ऋण: 113 लाख रुपये तथा अनुदान: 15.28 लाख रुपये) 1995-96 तथा 1996-97 की अवधि में स्वीकृत किये। स्वीकृत किये गये कोष में से (भारत सरकार की रोकी गई अनुदान राशि सहित) एक लाख रुपये सितम्बर 1997 में, 68.23 लाख रुपये मार्च 1998 में जारी किये गये तथा शेष 68.24 लाख रुपये अभी भी कम्पनी के निजी निक्षेप खाते में पड़े थे (सितम्बर 1998) तथा कम्पनी को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना निजी निक्षेप खाते में से राशि निकालने की इजाजत नहीं थी। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त कुल राशि में से कम्पनी केवल 79.51 लाख रुपये का ही योजनाओं के लिए उपयोग कर पाई (जनवरी 1998) तथा 150.98 लाख रुपये का उपयोग अन्य प्रशासनिक खर्चो, कर्मियों के वेतन एवं भत्तों सहित, को पूरा करने के लिए किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

(i) कम्पनी प्रत्येक योजना (ऋण एवं अनुदानानुसार) के लिए अलग लेखे संधारित नहीं कर रही थी।

(ii) कम्पनी के इस दावे को, कि 49.95 लाख रुपये का उपयोग योजना के अन्तर्गत बुनकरों को यार्न प्रदान करने में किया गया था, लेखापरीक्षा में संदिग्ध माना गया क्योंकि योजना के अन्तर्गत बुनकरों को प्रदान किये गये यार्न का विवरण संधारित नहीं किया गया था।

> कम्पनी ने योजना के अन्तर्गत बुनकरों को प्रदान किये गए 49.95 लाख रुपये के यार्न का कोई भी विवरण सधांरित नहीं किया।

(iii) राज्य सरकार द्वारा 68.24 लाख रुपये से 137.47 लाख रुपये को क्रमश: 30 से 9 माह तक रोके रखने के कारण योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

2अ.9.1.7 थ्रिफ्ट फण्ड योजना का संचालन

भारत सरकार ने कपड़ा नीति 1985 के अनुसरण में बुनकरों के सामाजिक सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना ''थ्रिफ्ट फण्ड योजना'' प्रवर्तित की (अप्रैल 1985)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने योजना में वर्णित किसी भी शर्तों, यथा, सरकार से अंशदान के बराबर राशि का त्रैमासिक दावा पेश करना, प्रत्येक अंशदाता से कटौती किये गये अंशदान को दर्शाते हुए अलग से लेखे संधारित करना, सरकार से प्राप्त अंशदान तथा उस पर अर्जित ब्याज आदि, का पालन नहीं किया। 1996-97 के लेखों के अनुसार, 21.85 लाख रुपये थ्रिफ्ट फण्ड योजना के मद में जमा थे। उचित विवरण की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अंशदान निर्धारित दर से काटा गया, उचित खाते में जमा कराया गया, सरकार से समान अनुपात में अंशदान प्राप्त किया गया और निवेश पर बकाया ब्याज का लेखांकन किया गया।

2अ.10 उत्पादन प्रोसेसिंग तथा विपणन

2अ.10.1 कपड़ा उत्पादन

बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान करने के ध्येय के अनुसरण में कम्पनी को प्रत्यक्ष उत्पादन कार्यक्रम के तहत बुनकरों को 100 प्रतिशत यार्न आपूर्ति करना तथा अपने माध्यम से बुने हुए वस्त्रों को विपणन हेतु वापस एकत्र करना था। कार्यशील पूँजी की उपलब्धता तथा विपणन के आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने 1992-93 से 1996-97 की अवधि के लिए 26.02 लाख मीटर से 55.05 लाख मीटर कपड़े के परिवर्तित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जिनके विरुद्ध इन वर्षों में वास्तविक उत्पादन 10.60 लाख मीटर से 36.22 लाख मीटर के मध्य रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी किसी भी वर्ष में लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम नहीं रही तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में 10.8 से 66.7 प्रतिशत तक कमी रही।

इसके अतिरिक्त निम्न टिप्पणियाँ की जाती है:

(i) कम्पनी द्वारा किसी भी वर्ष में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के कारणों की समीक्षा नहीं की गई। तथापि, लेखापरीक्षण की समीक्षानुसार उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए मुख्यत: कम्पनी द्वारा यार्न का क्रय तथा बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में यार्न आपूर्ति आश्वस्त नहीं जाने को आरोपित किया जा सकता है जिसके विस्तृत विवरण का उत्तरवर्ती अनुच्छेद 2अ.9.11 में विवेचन किया गया है।

> बुनकरों को यार्न की आपूर्ति नहीं करने के परिणामस्वरूप बुनकरों को पूर्ण रूप से रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका।

इस कारण बुनकरों को पूर्ण रूप से रोजगार भी प्रदान नहीं किया जा सका।

(ii) कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में यार्न उपभोग के मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा ने आगारों के अप्रैल 1984 से मार्च 1993 तक की अवधि में लेखों की जाँच करते समय बताया कि 20 आगारों में 25.56 लाख रुपये (63285 किलोग्राम) के यार्न का उपभोग निर्धारित मानकों से अधिक था। यार्न के अधिक उपभोग के कारणों की जाँच के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (सितम्बर 1998)।

> निर्धारित मानकों की अपेक्षा यार्न के अधिक उपभोग (25.56 लाख रुपये) के कारणों की जाँच नही की गई।

कम्पनी ने बताया (जून 1998) कि 1984-85 के बाद क्रय किए गये यार्न की कुल लागत (2800 लाख रुपये) के मुकाबले अधिक उपभोग एक प्रतिशत से भी कम होने के कारण नगण्य था। कम्पनी का जवाब युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि यार्न उपभोग के मानकों का निर्धारण, प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों को शामिल करते हुए किया गया था तद्नुसार अधिक उपभोग के कारणों की जाँच की जानी चाहिये थी।

2अ.10.2 प्रोसेस हाऊस का अमितव्ययी संचालन

राजस्थान में हाथकरघा क्षेत्र को उचित प्रोसेसिंग सुविधा प्रदान करने, मूल्यवान सिंथेटिक एवं मिश्रित कपड़े के उत्पादन एवं उपयोग में विविधता हेतु नियंत्रित स्थितियों में वांछित उच्च श्रेणी प्रोसेसिंग के लिए कम्पनी द्वारा 240.60 लाख रुपये की लागत से एक प्रोसेस हाऊस की स्थापना की गई (फरवरी 1988)। प्रोसेस हाऊस की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 6500 मीटर सिंथेटिक कपड़े तथा 12000 मीटर सूती कपड़े को प्रोसेसिंग करने की थी।

प्रोसेस हाऊस के निष्पादन पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) राजस्थान सरकार वर्ष 1988-89 के प्रतिवेदन में समीक्षा की गई थी।

प्रोसेस हाऊस के निष्पादन की समीक्षा करते समय पाया गया कि स्थापित क्षमता के 80 प्रतिशत सम-विच्छेद क्षमता के समक्ष क्षमता का उपयोजन सिंथेटिक कपड़ों के मामलों में 9.54 प्रतिशत से 30.82 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सूती कपड़ों के मामलों में यह 0.22 प्रतिशत से 30.19 प्रतिशत रहा। क्षमता के कम उपयोजन के कारण प्रारम्भ से ही हानि उठानी पड़ी तथा संचित हानि 1991-92 के 197.11 लाख रुपये से बढ़कर मार्च 1997 तक 458.85 लाख रुपये हो गई। प्रबन्धन ने (सितम्बर 1998) ने प्रोसेसिंग सुविधाओं के कम उपयोजन के लिए प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की कमी तथा निजी क्षेत्र से सख्त प्रतिस्पर्धा को आरोपित किया।

राजकॉन की सिफारिशों के आधार पर (जनवरी 1997) कम्पनी ने प्रोसेस हाऊस की गतिविधियों को बन्द करने तथा इसे निजी उद्यमियों को लीज पर देने का निर्णय लिया (सितम्बर 1997)। प्रोसेस हाऊस को लीज पर देने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई (नवम्बर 1997) लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कम्पनी ने प्रोसेस हाऊस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

(वीआरएस) प्रस्तावित की (नवम्बर 1997) और सरकार से प्रोसेस हाऊस के 62 अतिरिक्त कर्मचारियों को, अन्य संगठनों में समायोजित करने के लिए निवेदन किया (नवम्बर 1997)। किसी भी कर्मी ने वीआरएस को नहीं चुना। तथापि, 62 कर्मचारियों में से 15 कर्मचारियों को जून 1998 से सितम्बर 1998 की अवधि में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/संगठनों में समायोजित किया गया तथा 47 कर्मचारी अभी भी कम्पनी की पंजिका पर बिना किसी उचित कार्य के थे (अक्टूबर 1998)। इन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर कम्पनी लगभग 2.09 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च कर रही है। इस प्रकार प्रोसेस हाऊस को बंद करने के निर्णय के उपरान्त कम्पनी कर्मचारियों पर उनकी सेवाओं का बिना उचित उपयोग किए हुए सितम्बर 1998 तक 28.16 लाख रुपये खर्च कर चुकी थी।

2अ.10.3 विपणन

2अ.10.3.1. उत्पादनों की मूल्य निर्धारण नीति

कम्पनी के कपड़ों का बिक्री मूल्य निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:

- सरकारी आपूर्तियों के लिए राज्य सरकार के केन्द्रीय भण्डार क्रय संगठन (सीएसपीओ) द्वारा,
- जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत उत्पादित कपड़े के लिए भारत सरकार के विकास आयुक्त (हाथकरधा) द्वारा, तथा
- सामान्य बिक्री के लिए एक मूल्य निर्धारण समिति द्वारा जिसमें प्रबन्धक (उत्पादन), प्रबन्धक (विपणन) तथा प्रबन्धक (छपाई) समाविष्ट है जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित की जाती है।

सामान्य बिक्री के लिए विक्रय मूल्य, उत्पादन लागत में 35 प्रतिशत/50 प्रतिशत परिव्यय प्रभार जोड़कर क्रमशः राज्य में तथा राज्य के बाहर बिक्री के लिए निर्धारित किया जाता है।

1995-96 तथा 1996-97 की अवधि में यार्न की लागत में (10 से 29 प्रतिशत) तथा बुनकरों की मजदूरी में (5 से 58 प्रतिशत) वृद्धि के बावजूद कम्पनी ने अप्रैल 1995 के बाद अपनी सामान्य बिक्री की दरें पुनर्निर्धारित नहीं की। कम्पनी ने बताया (जून 1998) कि 1995-96 तथा 1996-97 में खुले बाजार में यार्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण दरों को पुनर्निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा क्रय किये जाने वाले कपड़ों की दरें पुनर्निर्धारित की (सितम्बर 1997) और इस प्रकार सामान्य बिक्री की दरों का पुनर्निर्धारण करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए थी।

कम्पनी के मुख्यालय पर मद-वार बिक्री के समेकित अभिलेखों के उपलब्ध नहीं होने के कारण कम्पनी द्वारा विभिन्न उत्पादों की विक्रय दरों के पुनर्निधारण नहीं करने से हुई हानि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2अ.10.3.2 विक्रय निष्पादन

विभिन्न संसाधनों द्वारा की गई वर्ष-वार बिक्री का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है:

वर्ष	लक्ष्य	सरकारी आपूर्ति भण्डारों द्वारा बिक्री	आगारों, उप आगारों, शोरूमों तथा सीएफसी द्वारा की गई बिक्री	प्रदर्शनियों द्वारा बिक्री	कुल बिक्री	कमी का प्रतिशत
				(रुपये लाखों में)		
1994-95	600	150.42	58.37	22.66	231.45	61.42
1995-96	550	295.37	92.15	32.81	420.33	23.58
1996-97	450	309.71	138.43	25.10	473.24	-

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1994-95 से 1995-96 की अवधि में कम्पनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई तथा लक्ष्य प्राप्ति में 23.58 प्रतिशत से 61.42 प्रतिशत तक कमी रही।

विक्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया कि :

(अ) राजकॉन की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी ने (नवम्बर 1997) 24 आगारों तथा पाँच शोरूमों को बंद करने का निश्चय किया जिसमें से छ: आगारों को ही बंद किया गया। शेष बची हुई ईकाइयों को बंद करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लेने के कारणों का अभिलेखों में उल्लेख नहीं था।

(ब) प्रदर्शनियों में बिक्री

सरकारी विभागों को विक्रय तथा इसके आगारों/शोरूमों के माध्यम से विक्रय के अतिरिक्त कम्पनी प्रदर्शनियों द्वारा बिक्री में भी हिस्सा लेती है। 1996-97 को समाप्त पाँच वर्षों में प्रदर्शनियों के द्वारा बिक्री 104.15 लाख रुपये थी।

इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ की जाती है:

(i) कम्पनी ने वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित 86 प्रदर्शनियों में भाग लिया। प्रत्येक प्रदर्शनी के वित्तीय परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु इन प्रदर्शनियों पर किये गये खर्चों का अलग से विवरण संधारित नहीं किया गया।

(ii) कम्पनी ने 15 जनवरी 1994 से 13 फरवरी 1994 की अवधि में कानपुर में हुई राष्ट्रीय हाथकरघा प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी प्रभारी को 6 लाख रुपये लागत का कपड़ा जारी किया गया जिसमें से 0.92 लाख रुपये का कपड़ा प्रदर्शनी में बेचा गया तथा 2.89 लाख रुपये की लागत का कपड़ा भण्डार में वापस जमा कराया गया। शेष बचे 2.19 लाख रुपये की कीमत के कपड़े का कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया जिसके लिए प्रबन्धन द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। कम्पनी ने बताया (जून 1998) कि मामला विचाराधीन है।

(स) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में अनुच्छेद 2.1.12(सी) में यह दर्शाया गया था कि चन्द्रा इण्डस्ट्रीज तथा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, जोधपुर, जो कि कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि थे, को प्रत्येक माह की वास्तविक बिक्री का विवरण तथा विक्रय राशि अग्रिम माह की पाँच तारीख तक कम्पनी को जमा करानी थी। प्रतिनिधि ने वांछित विवरण उपलब्ध नहीं कराया तथा कम्पनी ने भी मार्च 1987 तक बकाया राशि का मिलान नहीं किया। विभिन्न अभिलखों से प्राप्त विवरणों तथा प्रतिनिधि के उपलब्ध खातों के आधार पर कम्पनी ने अन्तरिम लेखे बनाये और पाया कि प्रतिनिधि के विरुद्ध बकाया 28.98 लाख रुपये में से केवल 18.27 लाख रुपये ही वसूल हो पाये तथा शेष 10.71 लाख रुपये अभी भी वसूल होने बाकी थे। प्रतिनिधि को नवम्बर 1992 में कानूनी नोटिस दिया गया जो अनुत्तरित रहा। उसके बाद कम्पनी ने मामले के लिए अनुसरण नहीं किया।

> अभिलेखों के असंगत संधारण तथा प्रतिनिधि से वसूली पर कड़ी निगरानी नहीं रखने के परिणामस्वरूप 10.17 लाख रुपये की हानि हुई।

2अ.10.3.3 विविध देनदार

मार्च 1997 के अन्त तक बकाया कुल 290.65 लाख रुपये में से 193.79 लाख रुपये सरकारी विभागों से बकाया थे।

लेखापरीक्षा में निम्न टिप्पणियाँ की जाती है:

- कम्पनी द्वारा बकाया का आयु-वार विभाजन संधारित नहीं किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों से लक्षित हुआ कि 5.50 लाख रुपये कम्पनी की स्थापना के पूर्व के बकाया थे।

उचित अभिलेखों के अभाव में बकाया की कालावधि को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, यह पाया गया कि कम्पनी ने वर्ष 1996-97 में डूबत तथा संदिग्ध देनदारों के लिये 21.63 लाख रुपये का प्रावधान किया।

> अभिलेखों के अनुचित संधारण तथा वसूली के लिए अनुसरण नहीं करने के परिणामस्वरूप 21.63 लाख रुपये के देनदार डूबत एवं संदिग्ध हो गए।

निजी देनदारों से बकाया 96.86 लाख रुपये में से, 14.40 लाख रुपये के 14 मामले न्यायालय में बकाया चल रहे थे। नौ मामलों में न्यायालय ने दिसम्बर 1990 तथा दिसम्बर 1995 की अवधि में कम्पनी के पक्ष में 3.29 लाख रुपये की डिक्री पारित की जिसे तीन से आठ वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी निष्पादित नहीं कराया जा सका, इसके कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

2अ.11 सामान सूची नियंत्रण (इनवेन्टरी कंट्रोल)

निम्नलिखित तालिका में यार्न तथा तैयार कपड़े के स्टॉक/सामग्री की 31 मार्च 1997 को समाप्त पाँच वर्षो की अवधि की स्थिति संक्षेप में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
		(रुपये लाखों में)				
(i)	यार्न स्टॉक					
	- कम्पनी के पास	30.81	20.57	40.54	58.33	38.74
	- बुनकरों के पास	69.30	64.95	49.51	106.65	78.84
(ii)	तैयार कपड़ों का स्टॉक					
	- कम्पनी के पास	234.14	208.53	141.85	243.16	287.09
	- मार्ग में	15.97	29.57	14.29	38.17	37.73
	- प्रोसेसर्स तथा प्रिन्टर्स के पास	19.28	20.72	12.16	62.44	3.61
(iii)	अन्य स्टॉक	9.32	8.28	10.22	5.04	4.82
(iv)	अपशिष्ट	-	-	2.56	0.03	0.07
	योग	**378.82**	**352.62**	**271.13**	**513.82**	**450.90**

लेखापरीक्षा में की गई नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि:

(i) 31 मार्च 1997 को आगारों के लेखों के आधार पर बुनकरों के पास उपलब्ध यार्न 128.07 लाख रुपये के विरुद्ध लेखों में यार्न का स्टॉक 78.84 लाख रुपये दर्शाया गया। कम्पनी ने 49.23 लाख रुपये के अन्तर का मिलान नहीं किया। तथापि लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि:

(अ) बुनकरों को यार्न की आपूर्ति के प्रवाह को बनाये रखने तथा उनसे उसकी प्राप्ति पर निगरानी करने के लिए कोई तरीका नहीं था।

(ब) 31 मार्च 1997 को बुनकरों के पास यार्न स्टॉक में से 2.69 लाख रुपये का यार्न उन बुनकरों के पास पड़ा था जिनका निधन हो गया था, 6.98 लाख रुपये का यार्न बुनकरों के पास कम्पनी की स्थापना के पूर्व से था जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी एवं 69.17 लाख रुपये के यार्न की आपूर्ति 1984-85 से 1995-96 की अवधि में जिन बुनकरों को की गई वो निष्क्रिय हो गये थे।

निष्क्रिय बुनकरों से वसूली के लिए कम्पनी ने विलम्ब से एक वसूली शाखा बनाई (जून 1996)। दिसम्बर 1997 तक केवल 10.37 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके तथा 58.80 लाख रुपये बकाया शेष थे। इस प्रकार बुनकरों को यार्न की पूर्ति के प्रवाह को बनाये रखने तथा उनसे उसकी प्राप्ति पर निगरानी नहीं रखने के कारण निष्क्रिय बुनकरों से 58.80 लाख रुपये की वसूली के अवसर क्षीण हो गये।

बुनकरों को यार्न की पूर्ति पर असंगत निगरानी होने के कारण निष्क्रिय बुनकरों के पास रहे यार्न (58.80 लाख रुपये) की वसूली के अवसर क्षीण हो गये।

(ii) 11 आगारों के पास 1991 से बाद के पड़े हुए विभिन्न काउण्ट्स का 2.54 लाख रुपये मूल्य के मिश्रित अपशिष्ट यार्न (3178.429 किलोग्राम), को कपड़े के

उत्पादन में उपयोग में नहीं लिया जा सका। कम्पनी द्वारा विभिन्न काउण्ट के यार्न के मिश्रण के कारणों की जाँच नहीं की। यह बताया गया (जून 1998) कि मिश्रित यार्न के उपयोग करने का मामला विचाराधीन है।

(iii) कम्पनी ने 35.72 लाख रुपये के क्षतिग्रस्त कपड़े की पहचान कर (अक्टूबर 1996) कपड़े की स्थिति के अनुसार 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव दिया। इस कारण 35.72 लाख रुपये के तैयार कपड़े का मूल्य 18.85 लाख रुपये तक नीचे लाया गया लेकिन उसमें से मार्च 1997 तक केवल 6.87 लाख रुपये मूल्य के कपड़े का ही निस्तारण किया जा सका।

(iv) 2.33 लाख रुपये मूल्य का 1989 के आगे का खराब हुआ कपड़ा ग्रे स्टोर, झोटवाड़ा (1.63 लाख रुपये) तथा मुख्यालय स्थित सरकारी आपूर्ति भण्डार (0.70 लाख रुपये) पर पड़ा था। फलस्वरूप वह अपनी कीमत खो चुका था। समय पर स्टॉक के निस्तारण न करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(v) अक्टूबर 1984 से मई 1994 की अवधि में निर्माण आगारों से केन्द्रीय ग्रे स्टोर, झोटवाड़ा को भेजा गया 31.94 लाख रुपये का तैयार माल ग्रे स्टोर द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (अगस्त 1994) इस मामले की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गई, आंतरिक लेखापरीक्षा ने प्रतिवेदित किया (मार्च 1998) कि31.94 लाख रुपये के कपड़े का कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा निर्माण आगारों से भेजे गये माल का लेखा-जोखा ना करके दुरुपयोग किया। इस मामले में आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1998)।

आगारों द्वारा केन्द्रीय ग्रे स्टोर को भेजे गए 31.94 लाख रुपये के तैयार माल का कर्मचारियों द्वारा अपयोजन किया गया।

2अ.12 प्रशिक्षण तथा अनुसंधान गतिविधियाँ

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधि के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा 1992-93 से 1995-96 की समयावधि में राज्य सरकार से 70.78 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया जिसके विरुद्ध कम्पनी केवल 67.80 लाख रुपये का ही उपयोग कर पाई। लेकिन कम्पनी ने बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी कोई विवरण संधारित नहीं किया जिसकी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अर्थ-साहाय्य की राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया, या कम्पनी ने इसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया। आगे कम्पनी ने प्रशिक्षण तथा अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए प्राप्त अर्थ-साहाय्य से सम्बन्धित अलग से लेखे संधारित नहीं किये तथा सीएफसी पर कार्यरत स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों के तदर्थ आधार पर 30 प्रतिशत के बराबर राशि खर्चे में दर्ज कर दी, इस कारण राशि की शुद्धता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2अ.13 अन्य रुचिकर प्रकरण

2अ.13.1 विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत गलत दावे पेश करने से हानि

भारत सरकार ने (नवम्बर 1988) हाथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89 से विपणन विकास सहायता योजना प्रवर्तित की।

योजना के अन्तर्गत सहायता के निम्न विकल्प उपलब्ध थे:

(अ) हाथकरघा वस्त्रों के औसत विक्रय का आठ प्रतिशत, या

(ब)(i) कम्पनी द्वारा प्राप्त/प्राप्त करने योग्य वर्तमान विशेष छूट सहायता तथा अंशपूँजी सहायता का, वर्तमान वित्तीय वर्ष जिसके लिए सहायता का मामला विचाराधीन है, से पूर्व के तीन वर्षों के औसत के बराबर राशि, या

(ii) वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष से सम्बन्धित छूट सहायता तथा अंशपूँजी सहायता के बराबर राशि।

तदनन्तर (सितम्बर 1990) भारत सरकार ने 1990-91 से योजना में संशोधन किया। संशोधित योजना के अन्तर्गत कम्पनी, जिस वित्तीय वर्ष के लिए सहायता देने का मामला विचाराधीन है, उससे पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित विशेष छूट सहायता (राष्ट्रीय हाथकरघा प्रदर्शनी छूट को छोड़कर)/अंशपूँजी सहायता/हाथकरघा विकास निगम द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य बाजार विकास सहायता के औसत के बराबर सहायता का दावा करने को अधिकृत थी। लेकिन कम्पनी ने संशोधित सूत्र के आर्थिक पहलू को ध्यान में नहीं रखते हुये पूर्व-निर्धारित सूत्र के (ब)(i) विकल्प के अन्तर्गत 1993-94 से 1995-96 की अवधि का दावा पेश किया परिणामस्वरूप 65.89 लाख रुपये की हानि हुई।

सूत्रों के आर्थिक पहलू को ध्यान नहीं रखते हुए अनुदान प्राप्ति के विकल्पों को अपनाने से 170.20 लाख रुपये की हानि हुई।

संशोधित योजना के अनुसार कम्पनी दूसरे विकल्प की ओर परिवर्तन के लिए अधिकृत थी। कम्पनी फिर भी सही विकल्प के चयन में असफल रही तथा 1990 में प्रवर्तित संशोधित योजना के विकल्पों के बजाय 1996-97 एवं 1997-98 में औसत विक्रय के आधार पर दावा पेश किया जिसके कारण 104.31 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

कम्पनी ने बताया (जून 1998) कि यह पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था कि पूंजी अंशदान विक्रय से ज्यादा होगा। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि दावे पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर पेश करने थे जहाँ पूँजी अंशदान का औसत, औसत बिक्री से ज्यादा था। यह तथ्य कम्पनी को पूर्व में ज्ञात थे तथा बिक्री के आधार पर परिवर्तन का अवसर आने वाले वर्षों में खुला था।

2अ.13.2 जनता कपड़ा में अनुदान की हानि

भारत सरकार द्वारा जुलाई 1993 में अनुमोदित जनता कपड़े पर अनुदान की संशोधित योजना के अनुसार (अक्टूबर 1993 से प्रभावी) जनता कपड़े के कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक ग्रे कपड़े का उत्पादन नहीं होना चाहिए तथा कम से कम 50 प्रतिशत उत्पादन सभी रंगों के डाईड किस्म के वस्त्रों का होना चाहिए। योजना में यह भी प्रावधान था कि कम से कम 80 प्रतिशत उत्पादित कपड़े का प्रति इकाई उत्पादन मूल्य 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए (ऊनी वस्त्रों का 34 रुपये प्रति वर्ग मीटर)। साधारण जनता कपड़ा तथा ऊनी जनता कपड़े के उत्पादन पर अनुदान की दर क्रमश: 3.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 13.60 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(i) कम्पनी ने इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि नई योजना के अन्तर्गत अनुदान 30 सितम्बर 1993 के बाद उपलब्ध नहीं था, ग्राहकों को अनुदान देते हुए माल का विक्रय किया (जुलाई 1994 से मार्च 1995 की अवधि में)। दावे पेश करने पर भारत सरकार ने 7.60 लाख रुपये के दावे अस्वीकृत कर दिये क्योंकि ये संशोधित योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं थे। इस प्रकार, ग्राहकों को अनुदान की राशि हस्तान्तरण

करने से, जो कि कम्पनी को पुनर्भरण योग्य नहीं थी, कम्पनी को 7.60 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। उपभोक्ताओं को अनुचित अनुदान हस्तान्तरित करने के कारणों का अभिलेखों में उल्लेख नहीं था।

कम्पनी ने बताया (जून 1998) कि मामला पुनः राज्य सरकार ने भारत सरकार से पुनर्विचार एवं अनुदान की राशि जारी करने के लिए लिया गया है।

(ii) भारत सरकार ने अक्टूबर 1993 से मार्च 1996 की अवधि में 13.72 लाख रुपये के दावे अस्वीकृत कर दिये क्योंकि कम्पनी कपड़े का उत्पादन निर्धारित अनुपात/मानकों के आधार पर नहीं कर सकी।

कम्पनी द्वारा मानकों के आधार पर उत्पादन नहीं करने तथा उत्पादन में कमी के कारण सरकार द्वारा 13.72 लाख रुपये का अनुदान अस्वीकृत कर दिया गया तथा 4.20 लाख रुपये का अनुदान रोक लिया गया

(iii) भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1995 से दिसम्बर 1996 की अवधि के अनुदान का दावा (4.20 लाख रुपये) रोक लिया गया क्योंकि मानकों के आधार पर कपड़े के उत्पादन में कमी थी। मानकों के अनुसार कपड़ा उत्पादन नहीं करने के कारणों का अभिलेखों में उल्लेख नहीं था।

उपर्युक्त तथ्य राज्य सरकार को प्रतिवेदित किये गये थे (अप्रैल 1998) लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

निष्कर्ष

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुनकरों को उचित प्रशिक्षण, आधुनिक करघे, कच्चामाल, आर्थिक तथा विपणन सहायता आदि प्रदान कर उन्हें ऊपर उठाने के मुख्य उद्देश्य के साथ कम्पनी की स्थापना की गई थी। पूर्ववर्ती समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि बुनकरों के लाभार्थ कोई भी योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकी तथा प्राप्त की गई निधियों को कम्पनी द्वारा अपने खर्चों के पूर्ति के लिए काम में लिया गया।इस प्रकार बुनकरों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने का उद्देश्य अप्राप्य रहा।

कम्पनी द्वारा हाथकरघा बुनकरों के विकास के लिए पर्याप्त राशि का उपयोग करने के बाद भी निरन्तर हानि के कारण अपनी पूँजी को क्षय कर देना इस बात का प्रतीक है कि कम्पनी का प्रबन्धन खराब है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा गंभीर रूप से विचार कर कदम उठाने चाहिए ताकि हाथकरघा बुनकरों के विकास के सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय - 2ब

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड – औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत क्रियाकलाप

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	89
2ब.1	प्रस्तावना	91
2ब.2	उद्देश्य	91
2ब.3	संगठनात्मक ढाँचा	92
2ब.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	92
2ब.5	कार्यकलापों के वित्तीय परिणाम	93
2ब.6	औद्योगिक क्षेत्रों का विकास/ आवंटन की प्रक्रिया	94
2ब.7	योजना अनुमान	95
2ब.8	औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	96
2ब.9	विविध देनदार	111
2ब.10	अन्य रुचिकर प्रकरण	112
	निष्कर्ष	114

2ब. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड(रीको) - औद्योगिक प्रोत्साहन एवं आधारभूत क्रियाकलाप

झलकियाँ

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम से खनिज विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों को हस्तान्तरित कर एक अलग कम्पनी (राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) बनाने के बाद जनवरी 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) अस्तित्व में आयी। कम्पनी के निगमन का मुख्य उद्देश्य भूमि को अधिग्रहित कर उसका विकास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को सृजित करके राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना था।

(अनुच्छेद 2ब.1 तथा 2ब.2)

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के व्यय में वृद्धि तथा सेवा प्रभारों की तदर्थ आधार पर वसूली; औद्योगिक क्षेत्रों की अनुरक्षण लागत के समानुपातिक नहीं होने के कारण कम्पनी को 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आधारभूत क्रियाकलापों पर 6.17 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

(अनुच्छेद 2ब.5)

मांग की यथार्थता की जाँच किये बिना ही भू-राजस्व प्राधिकारियों को भुगतान कर देने के परिणामस्वरूप 15.08 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। साथ ही, भूमि के भुगतान में विलम्ब के कारण 18.97 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2ब.8.1.3)

अतिक्रमण/मालिकाना हक पर विवाद आदि के कारण 30.44 लाख रुपये की भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका। अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण कम्पनी 2.90 करोड़ रुपये के विकास प्रभारों को भी वसूल नहीं कर सकी।

{अनुच्छेद 2ब.8.1.4 तथा 2ब.8.1.4(अ) तथा (ब)}

कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण से 17.09 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध कर दी यद्यपि विद्यमान भूमि को विकसित किया जाना अभी भी शेष था।

(अनुच्छेद 2ब.8.1.6)

एक से नौ वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी 254.66 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि (21168.71 एकड़) को विकसित करने का कार्य शुरू नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2ब.8.2.1)

कार्य-आदेश में जोखिम एवं लागत से सम्बन्धित शर्त का समावेश नहीं करने के परिणामस्वरूप 76.41 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2ब.10.1)

2ब.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरआईएमडीसी) मार्च 1969 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित की गई थी जो राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ खनिजों के विकास की गतिविधियाँ प्रतिपादित करती थी। खनिज विकास की गतिविधियों को राज्य सरकार की एक नई कम्पनी (राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) को हस्तान्तरित कर देने के बाद 1 जनवरी 1980 से इसका पुनः नामकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) किया गया।

2ब.2 उद्देश्य

कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भूमि अवाप्त करना तथा उद्योगों की स्थापना के लिए भू-खण्डों एवं शेड्स का आवंटन करना,
- औद्योगिक उपक्रमों, परियोजनाओं या उद्यमों को सहयोग, सहायता तथा वित्त प्रदान करना,
- ऐसे उद्योगों, परियोजनाओं या उद्यमों को प्रोत्साहन देना, स्थापित करना तथा निष्पादन करना जो राज्य के औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन या उन्नयन में सहायक हों, तथा
- कम्पनी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अन्य कम्पनियों, फर्मों, संस्थापनों, संस्थानों या उपक्रमों को किसी भी प्रयोजनार्थ प्रोत्साहित करना।

2ब.3 संगठनात्मक ढाँचा

कम्पनी का प्रबन्धन एक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें कम से कम सात एवं अधिक से अधिक 14 निदेशक होते हैं। 31 मार्च 1998 को मण्डल में 14 निदेशक थे। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी होता है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास, भू-खण्डों तथा शेड्स का आवंटन आदि का निर्णय, प्रबन्ध निदेशक सहित मण्डल द्वारा मनोनीत पाँच निदेशकों की आधारभूत विकास समिति द्वारा किया जाता है। समिति द्वारा लिए गये निर्णयों को मण्डल के सामने अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

2ब.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कार्यकलापों की समीक्षा पूर्व में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1986-87 में की गई थी तथा राजकीय उपक्रम समिति द्वारा नवम्बर/दिसम्बर 1991 में इसका परीक्षण किया गया था। समिति की सिफारिशें प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1998)।

वर्तमान समीक्षा में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि की अवाप्ति एवं भू-खण्डों/शेड्स के आवंटन तथा आधारभूत सहायता उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। राज्य के 229 औद्योगिक क्षेत्रों में से वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि में 80 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए की गई औद्योगिक प्रोत्साहन तथा आधारभूत (आईपीआई) कार्यकलापों की समीक्षा अगस्त 1997 से जनवरी 1998 के दौरान की गई। समीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथ्यों का विवेचन अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

2ब.5 कार्यकलापों के वित्तीय परिणाम

वर्ष 1997-98 तक के पाँच वर्षों के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन तथा आधारभूत कार्यकलापों के वित्तीय परिणाम मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
				(रुपये लाखों में)		
I	आय					
अ	शेड्स, दुकानें, फ्लेट्स	22.86	38.64	110.29	17.83	0.97
ब	भूमि का विकास (विकास प्रभार)	3010.22	2395.41	8536.80	11750.36	13822.39
स	अविकसित भूमि का आवंटन	89.64	293.86	5.73	6.86	127.84
द	अन्य	789.00	955.04	1283.29	1398.40	1863.01
	कुल आय	**3911.72**	**3682.95**	**9936.11**	**13173.45**	**15814.21**
II	व्यय					
अ	औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय	2613.96	1868.87	8140.06	10050.89	11808.18
ब	शेड्स दुकानों तथा फ्लेट्स के निर्माण पर व्यय	22.86	38.64	110.29	17.83	0.97
स	सामाजिक आधारभूत सुविधाओं पर व्यय	-	-	2.17	-	0.10
द	कर्मचारियों को भुगतान	323.03	369.25	444.51	534.77	605.31
य	अन्य खर्चे	1038.03	943.69	1913.65	4513.29	3900.69
	योग (अ से य तक)	3997.88	3220.45	10610.68	15116.78	16315.25
	घटाएँ: अनुदान/ अर्थ साहाय्य	114.21	42.75	461.14	1539.48	790.18
	कुल व्यय	**3883.67**	**3177.70**	**10149.54**	**13577.30**	**15525.07**
	लाभ(+)/हानि(-)	(+)28.05	(+)505.25	(-)213.43	(-)403.85	(+)289.14

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान

कम्पनी को भारी हानि हुई। लेखापरीक्षा के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि सिविल कार्यों को पूर्ण करने में समय/लागत आधिक्य के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के खर्चों में असाधारण वृद्धि तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रभारों की वसूली, जो क्षेत्रों के अनुरक्षण की लागत के समानुपातिक नहीं थी, हानि के मुख्य कारण थे। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी 1996-97 के दौरान उद्यमियों से सेवा प्रभारों की मद में 226.54 लाख रुपये की वसूली नहीं कर सकी।

> औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के व्यय में वृद्धि तथा तदर्थ आधार पर सेवा प्रभारों की वसूली के कारण आधारभूत कार्यकलापों से 1995-96 एवं 1996-97 की अवधि में 6.17 करोड़ रुपये की हानि हुई।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि न्यायालय के स्थगन के कारण कठिनाईयाँ, अधिग्रहित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा, अतिक्रमण आदि के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यदि कम्पनी भूमि का कब्जा लेने से पहले तथा बाद में सतर्क रही होती तो इन कठिनाईयों को काफी हद तक टाला जा सकता था। सेवा प्रभारों की वसूली के बारे में कम्पनी ने बताया (सितम्बर 1998) कि इसकी गणना बाजार की स्थितियों और किए गए वास्तविक खर्चों के आधार पर की जायेगी।

2ब.6 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास/आवंटन की प्रक्रिया

सम्भाव्यता प्रतिवेदन के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र/भू-सम्पदा के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ निजी पक्षकारों से भू-राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से भूमि की अवाप्ति की जाती है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र को मौलिक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए नक्शे तथा व्यय के अनुमान आधारभूत विकास समिति (आई.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र के विकास की समयावधि तथा उद्यमियों से भू-खण्ड आवंटन के समय वसूलनीय प्रति वर्ग

मीटर विकास प्रभार की दरें भी निर्धारित करती है। जहाँ वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से अधिक हो जाते हैं तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन निर्गमित करके विकास प्रभारों की संशोधित दरें तय की जाती है जो नये आवंटनों से वसूल की जाती है।

कम्पनी शेड्स का निर्माण उद्यमियों की किसी भी मांग पर विचार किये बिना अपनी पहल पर करती है। शेड्स किराया क्रय पद्धति के आधार पर बेचे जाते हैं। भू-खण्ड/शेड्स 99 वर्ष के पट्टे (लीज) पर आवंटित किए जाते हैं। एक उद्यमी को भू-खण्ड/शेड्स के अनावृति विकास प्रभारों के भुगतान के अतिरिक्त आवृति प्रभारों (आर्थिक किराया एवं सेवा प्रभार) का भी प्रतिवर्ष भुगतान करना पड़ता है।

2ब.7 योजना अनुमान

निम्न तालिका आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) की अवधि में भूमि/भू-खण्डों की अवाप्ति एवं विकास के लिए वर्ष वार योजना अनुमानों के साथ-साथ उपलब्धियों को दर्शाती है:

वर्ष	अवाप्त भूमि		विकसित भूमि		नियोजित भू-खण्ड		आवंटित भू-खण्ड	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
	(एकड़ में)				(संख्या में)			
1992-93	1400	3872	1000	740	1200	1129	2200	1020
1993-94	1600	883	1200	391	1400	1706	2400	1014
1994-95	1800	3177	1400	335	1600	1515	2000	1764
1995-96	2000	3959	1500	1775	1600	1449	2000	1258
1996-97	2300	4827	1750	3139	1800	3183	2300	1339
योग (आठवीं योजना)	**9100**	**16718**	**6850**	**6380**	**7600**	**8982**	**10900**	**6395**
उपलब्धि की प्रतिशतता		183.7		93.1		118.2		58.7

उपर्युक्त से यह देखा गया कि कम्पनी आठवीं पंचवर्षीय योजना में भू-खण्डों

के आवंटन के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के 58.7 प्रतिशत की प्राप्ति में ही सक्षम हो सकी जिससे राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक मंदी, सरकार द्वारा सीधे ही उद्यमियों को भूमि का आवंटन तथा आरएफसी/रीको द्वारा की गई नीलामी के माध्यम से उद्यमियों द्वारा बीमार इकाइयों की खरीद आदि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकने के मुख्य कारण थे। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी उपर्युक्त तथ्यों से भली-भाँति परिचित थी तथा इसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावी प्रयास करने चाहिए थे।

2ब.8 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

2ब.8.1 भूमि का अधिग्रहण

प्रारम्भ से मार्च 1998 तक कम्पनी ने 226 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए 47329.22 एकड़ भूमि का कब्जा लिया (37 पुराने औद्योगिक क्षेत्रों/भू-सम्पदाओं को सम्मिलित करते हुए जिनमें राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 1979 से मार्च 1998 की अवधि में 4407.32 एकड़ भूमि हस्तांतरित की थी)।

जैसा कि अनुच्छेद 2ब.8.2 में चर्चा की गई है, कुल 42921.90 एकड़ भूमि में से 25465.70 लाख रुपये मूल्य की 21168.71 एकड़ भूमि को विकसित करने का कार्य शुरू नहीं किया गया था। यह पाया गया कि चार औद्योगिक क्षेत्रों में 412.58 लाख रुपये मूल्य की 515.05 एकड़ भूमि मालिकाना हक के विवाद के कारण अतिक्रमण में थी।

नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि:

2ब.8.1.1 जैसा कि ऊपर बताया गया है कम्पनी ने मार्च 1998 तक 47329.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था (भूमि अवाप्ति अभिलेखों के अनुसार) जबकि लेखों में 47805 एकड़ भूमि लेखाबद्ध है। यह बताया गया (अगस्त 1998) कि अन्तर के मिलान के प्रयास किये जा रहे हैं।

2ब.8.1.2 कम्पनी ने 25463 एकड़ भूमि राज्य सरकार से अधिग्रहित की थी जिसमें से केवल 8645 एकड़ का ही पट्टा-विलेख (लीज़-डीड) निष्पादित किया गया था (अगस्त 1998)। शेष 16818 एकड़ भूमि का पट्टा-विलेख का निष्पादन नहीं करने (5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी) के कारण, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि पट्टा-विलेख निष्पादन कार्य हेतु एक विशेष अभियान प्रवर्तित किया जा चुका है और यह उम्मीद की जाती है कि पट्टा-विलेख निष्पादन का कार्य निकट भविष्य में पूरा कर लिया जायेगा।

2ब.8.1.3 भूमि अवाप्ति में अधिक भुगतान

(i) भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 23 की उपधारा 1अ के अधीन, इसी अधिनियम की धारा 23(i) के अन्तर्गत की गई भूमि के बाजार मूल्य की गणना में भूमि अवाप्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिनिर्णय की तिथि या कब्जा लेने की तिथि तक के समय के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एक अतिरिक्त राशि जोड़कर भू-राजस्व प्राधिकारियों को देय होती है।

नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि दो औद्योगिक क्षेत्रों, कूकस (जयपुर) तथा सावंतसर (किशनगढ़) के भूमि अधिग्रहण के अधिनिर्णय मार्च से नवम्बर 1996 तक जारी कर दिये गये थे। कम्पनी ने अधिनिर्णय की यथातथ्यता की जाँच किये

बिना ही भू-राजस्व प्राधिकारियों (एलआरए) को भुगतान कर दिया (मार्च 1996 से दिसम्बर 1996 की अवधि में) जिसके परिणामस्वरूप 11 से 28 दिन तक के अधिक समय के लिए ब्याज की गलत गणना के कारण 15.08 लाख रुपये (सांवतसर: 11.51 लाख रुपये तथा कूकस: 3.57 लाख रुपये) का अधिक भुगतान हो गया। अधिक भुगतान की राशि की वापसी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

> माँग की यथातथ्यता की जाँच किये बिना ही एलआरए को भुगतान कर देने के परिणामस्वरूप 15.08 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया।

(ii) कोटा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने कम्पनी को 752 बीघा माप की जंगलात भूमि आवंटित की (जुलाई 1986) जिसमें बागानों के लिए 1.32 लाख रुपये का मुआवजा देय था। कम्पनी ने बिना किसी भुगतान के भूमि का कब्जा ले लिया (मई 1987)। दरों में संशोधन के कारण वन विभाग मुआवजे की राशि को 1.32 लाख रुपये से 13.12 लाख रुपये (दिसम्बर 1993), 19.19 लाख रुपये (मई 1995) तथा 20.29 लाख रुपये (सितम्बर 1995) तक बढ़ाता चला गया। वन विभाग द्वारा जनवरी 1997 में यह स्पष्ट कर देने के पश्चात् कि जब तक मांग की राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक विभाग और आगे भूमि आवंटन हेतु नये या पुराने, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, कम्पनी ने विलम्ब से 20.29 लाख रुपये जमा करा दिये (फरवरी 1997)। समय रहते 1.32 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप 18.97 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 1997) कि बागानों के मुआवजे के भुगतान में छूट प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे थे क्योंकि उस भूमि पर

> भूमि की अवाप्ति के समय ही बागानों के मुआवजे के 1.32 लाख रुपये का भुगतान करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 18.97 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

बागान नहीं थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वन विभाग ने अक्टूबर 1987 में ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि वहाँ कोई बागान हुए तो देय राशि और अधिक हो सकती थी।

(iii) कम्पनी ने तीन मामलों में भूमि की यथार्थ माप को सुनिश्चित किये बिना ही 11.65 लाख रुपये (कालाडेरा: 4.41 लाख रुपये; बिन्दायका: 4.63 लाख रुपये तथा एमटीसी-II, अजमेर: 2.58 लाख रुपये) का अतिरिक्त भुगतान कर दिया।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि कालाडेरा तथा बिन्दायका के सम्बन्ध में हुए अतिरिक्त भुगतान को जेडीए को देय अन्य भुगतानों में से समायोजित कर लिया जायेगा।

2ब.8.1.4 अतिक्रमण/भूमि के मालिकाना हक का विवाद

भूमि के मालिकाना हक के बारे में विवाद होने {बोरामडा चरण-III: 36 बीघा-2 बिस्वा(13.95 लाख रुपये); एमटीसी-IV, अजमेर: 11 बीघा-10 बिस्वा (13.59 लाख रुपये)} तथा भूमि पर अतिक्रमण होने (एमटीसी-IV, अजमेर: 2.90 लाख रुपये मूल्य की 5 बीघा-16 बिस्वा) के कारण 53 बीघा 8 बिस्वा (30.44 लाख रुपये) भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका।

अतिक्रमण/मालिकाना हक का विवाद होने के कारण 30.44 लाख रुपये की 53 बीघा 8 बिस्वा माप की भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी देखा गया है कि:

(अ) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1982 से 1994 की अवधि में 16 अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा 38,803 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था। अतिक्रमित भूमि का पुन: कब्जा लेने के क्रम में कम्पनी ने राजस्थान लोक अदालत (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अधीन भू-सम्पदा

अधिकारी के न्यायालय में दावे दर्ज कराये (10 मामले 1983 में तथा 6 मामले 1994 में)। भू-सम्पदा अधिकारी ने मार्च 1986 से अक्टूबर 1994 की अवधि में कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिए तथा अनाधिकृत व्यक्तियों को भूमि के कब्जे से बेदखल करने के लिए कम्पनी को अधिकृत कर दिया था लेकिन ढाई से 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कम्पनी अनाधिकृत अधिभोगियों से कब्जा खाली नहीं करा सकी। परिणामस्वरूप कम्पनी विकास प्रभारों की 232.82 लाख रुपये की राशि प्राप्त नहीं कर सकी। यदि उस भूमि को उपयुक्त उद्यमियों को आवंटित किया जाता तो कम्पनी उक्त राशि को प्राप्त कर सकती थी।

कम्पनी विकास प्रभारों के 290.30 लाख रुपये की वसूली नहीं कर सकी क्योंकि इसने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

(ब) इसी प्रकार, पाँच औद्योगिक क्षेत्रों (विजयनगर, किशनगढ़ चरण-III, केकड़ी, एमटीसी-II तथा ब्यावर-II) में अप्रैल 1989 से अप्रैल 1996 के दौरान विकसित किये गये 28 भू-खण्ड इसलिए आवंटित नहीं किये जा सके क्योंकि ये भू-खण्ड अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में थे। रीको ने न तो अनाधिकृत कब्जे के कारणों का पता लगाया और न ही अनाधिकृत व्यक्तियों का कब्जा हटाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही के लिए पहल की जिससे कि इन भू-खण्डों को उद्यमियों को आवंटित किया जाता। इन मामलों में भी कम्पनी विकास प्रभारों के 57.48 लाख रुपये वसूल नहीं सकी जिसे कि वह वसूल सकती थी यदि इन भू-खण्डों को किन्हीं उपयुक्त उद्यमियों को आवंटित किया जाता।

इस प्रकार अतिक्रमण को खाली कराने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं करने के कारण भूमि/भू-खण्डों के विकास पर किया गया 290.30 लाख रुपये का व्यय अनुत्पादित रहा।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(स) कम्पनी ने खाजूवाला, बीकानेर में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मुफ्त में आवंटित· 41.56 एकड़ सरकारी भूमि का 1979 में कब्जा लिया। 75 औद्योगिक भू-खण्ड विकसित करने के लिए नक्शे बनाये गये (जनवरी 1980) और उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए भू-खण्डों का आवंटन कर दिया गया (अगस्त 1980 से मई 1994 की अवधि में)। बिजली की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्र में विकास की कोई कार्यवाही नहीं की। विकास की किसी भी कार्यवाही के अभाव में औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया तथा 23 आवंटित भू-खण्डों की भूमि का कब्जा आवंटियों को नहीं दिया जा सका जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा जमा कराई गई 5.56 लाख रुपये की राशि जुलाई 1986 से अप्रैल 1994 की अवधि में वापस कर दी गई। विलम्ब से, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने सूचित किया (अप्रैल 1997) कि कब्जा लेने के क्रम में कम्पनी को पुलिस की मदद लेनी चाहिये। यद्यपि कम्पनी द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (सितम्बर 1998)।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों के विद्युत भार के प्रबन्ध के लिए समुचित विद्युत फीडर नहीं था और जिससे कि उद्यमियों को अविकसित भूमि आवंटित की गई थी लेकिन अधिकतर आवंटियों ने कार्य शुरू नहीं किया था। फरवरी 1994 में पुलिस तथा जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटा दिया गया था लेकिन कारगर भौतिक कब्जा नहीं लेने के कारण पुनः अतिक्रमण हो गया तथा अतिक्रमण को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन से अनुसरण किया जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिजली के अभाव में उद्योगों का विकास संभव नहीं हो सकता था। इस प्रकार अनुपयुक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही उचित नहीं थी।

(द) पोकरण में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने कम्पनी को 37,500 रुपये के प्रीमियम पर 150 बीघा (खसरा नम्बर 35) भूमि आवंटित की (फरवरी 1986)। प्रीमियम का भुगतान मार्च 1989 में कर दिया गया था। भूमि के स्वामित्व में विवाद के बारे में स्थानीय व्यक्तियों की अपील पर मार्च 1991 में शुरू किये गये विकास कार्य न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिये गये (मार्च 1991)। कम्पनी के अनुरोध पर (जनवरी 1992) राज्य सरकार ने 150 बीघा का एक दूसरा भू-खण्ड (खसरा नम्बर 37) 7,50,000 रुपये के प्रीमियम पर कम्पनी को आवंटित कर दिया (मई 1992) जिसका भुगतान 0.38 लाख रुपये के समायोजन के बाद कर दिया गया था (जुलाई 1992)।

विवादित स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उसी माप की दूसरी भूमि के आवंटन पर 7.12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(य) स्थल अभियन्ता के 1993-94 से 1997-98 की अवधि के प्रतिवेदनों में दर्शाया गया कि 8 औद्योगिक क्षेत्रों में 18 उद्यमियों द्वारा उन्हें आवंटित भूमि से 6368.10 वर्ग मीटर अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया (जोधपुर में चार मामलों में 1553.06 वर्ग मीटर, सीतापुरा में तीन मामलों में 2,727 वर्ग मीटर तथा उदयपुर में 11 मामलों में 2088.04 वर्ग मीटर)।

अनुसरण के बावजूद, उद्यमियों से देय विकास प्रभारों की 20.73 लाख रुपये की राशि (जोधपुरः 2.65 लाख रुपये, सीतापुराः 10.91 लाख रुपये तथा उदयपुरः 7.17 लाख रुपये) वसूल नहीं की जा सकी।

कम्पनी ने बताया (अगस्त/सितम्बर 1998) कि आवंटियों से अधिक भूमि की राशि वसूल करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश जारी कर दिए गए थे (मार्च 1998)।

2ब.8.1.5 अनपयुक्त भूमि

सांवर (उदयपुर) में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने कम्पनी को 45.21 लाख रुपये के प्रीमियम पर 322 बीघा 19 बिस्वा सरकारी भूमि आवंटित की (मई 1992)। कम्पनी ने, एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि की उपयुक्तता की जाँच किए बिना 45.21 लाख रुपये का भुगतान कर (जुलाई 1992) भूमि का कब्जा ले लिया। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उदयपुर ने प्रबन्ध निदेशक को सूचित किया (अक्टूबर 1992) कि उपर्युक्त भूमि में से 10.89 लाख रुपये मूल्य की 77 बीघा 15 बिस्वा माप की भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि यह तलहटी क्षेत्र में थी तथा उद्यमी भू-खण्डों का कब्जा लेने में हिचकिचायेंगे। परिणामस्वरूप, क्षेत्र को विकसित करने का कार्य नहीं किया गया। कार्यकारी निदेशक ने 10.89 लाख रुपये वापस देने के विषय में कलेक्टर से विचार-विमर्श किया, जिससे कलेक्टर सहमत नहीं हुए क्योंकि नियमों में इस प्रकार राशि की वापसी अनुमत नहीं थी। इस प्रकार, उपयुक्तता की जाँच किए बिना, भूमि अवाप्त करने की कम्पनी की अविवेकपूर्ण कार्यवाही से 10.89 लाख रुपये का निरर्थक व्यय वहन करना पड़ा।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि भूमि की उपयोगिता के लिए कम्पनी ने जलापूर्ति योजना बनाई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इससे कम्पनी का औद्योगिक विकास के लिए भूमि अवाप्ति का यथार्थ उद्देश्य पूरा नहीं होता तथा कम्पनी प्रस्तावित जलापूर्ति योजना में इस पूरे क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगी।

2ब.8.1.6 कम्पनी द्वारा 1976-77 से 1991-92 की अवधि के दौरान 14 औद्योगिक क्षेत्रों में 692.72 लाख रुपये मूल्य की 3642.02 एकड़ भूमि अवाप्त की गई थी। यद्यपि इस अवाप्त की गई भूमि (1623.30 एकड़) को विकसित नहीं किया गया/आंशिक विकसित किया गया तो भी 1992-93 से 1996-97 के दौरान 1708.94 लाख रुपये की 1448.73 एकड़ भूमि और अधिक अवाप्त कर ली गई जिसके परिणामस्वरूप 1708.94 लाख रुपये की निधियाँ अनावश्यक ही अवरुद्ध हो गई।

> कम्पनी ने 14 औद्योगिक क्षेत्रों में और अधिक भूमि अवाप्त करने में 1708.94 लाख रुपये अवरुद्ध कर दिए यद्यपि विद्यमान भूमि को विकसित किया जाना शेष था।

कम्पनी ने बताया (अगस्त/सितम्बर 1998) कि 12 औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यवाहियाँ शुरू कर दी गई है तथा मार्च 1999 तक हर तरह से पूर्ण कर ली जाएगी लेकिन विकास कार्यवाहियाँ इतने दीर्घकाल तक प्रारम्भ नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। आकेड़ा डूँगर तथा गोविन्दपुर बाड़ी के सम्बन्ध में यह बताया गया कि अविकसित क्षेत्र ही आवंटित कर दिया जायेगा। कम्पनी ने तथापि और अधिक भू-अवाप्ति के कारणों का उल्लेख नहीं किया जबकि विद्यमान भूमि को विकसित करना शेष था।

2ब.8.2 भूमि का विकास

2ब.8.2.1 कम्पनी द्वारा अधिग्रहित

42921.90 एकड़ भूमि (229 औद्योगिक क्षेत्र) में से 10522.96 एकड़ भूमि (83 औद्योगिक क्षेत्र) को 9319.81 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण विकसित कर दिया गया था। 65 औद्योगिक क्षेत्रों में 11230.23 एकड़ भूमि के केवल एक भाग को 13536.25 लाख रुपये की लागत पर विकसित किया गया था जबकि 25465.70 लाख रुपये की 21168.71 एकड़ भूमि (65 औद्योगिक क्षेत्रों में 4497.33 एकड़ तथा 81 क्षेत्रों में 16671.38 एकड़) को विकसित करने का कार्य 1 वर्ष से 9 वर्ष तक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं किया गया। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूमि प्राप्त करने में भारी राशि का निवेश करने के बाद भी भूमि को विकसित करने में कम्पनी की असफलता के परिणामस्वरूप न केवल 254.66 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि राज्य के उद्यमियों को उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा।

एक से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी 25465.70 लाख रुपये मूल्य की भूमि (21168.71 एकड़) को विकसित करने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि:

(अ) 20 औद्योगिक क्षेत्रों में, 2 से 19 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कुछ आधारभूत कार्यकलाप या तो अपूर्ण थे या अभी तक उनको निष्पादन हेतु लिया ही नहीं गया था। परिणामस्वरूप, समय/लागत अतिवृद्धि के कारण उनके विकास की लागत 1492.31 लाख रुपये से असाधारण रूप से बढ़कर 3132.81 लाख रुपये हो गई।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि आधारभूत कार्यकलाप निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किये जा सके क्योंकि कुछ क्षेत्र धीमी गति वाले थे तथा जिला मुख्यालयों से दूर थे। कम्पनी का उत्तर इस तथ्य का द्योतक है कि भूमि का अधिग्रहण बिना उचित विचार के किया गया था।

आगे संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि 15 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की अनुमानित लागत 787.15 लाख रुपये से बढ़कर 1992.70 लाख रुपये हो गई थी। इन औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग सभी औद्योगिक भू-खण्ड पूर्व में ही आवंटित हो चुके थे तथा इस वजह से कम्पनी के लिए विकास की अतिरिक्त लागत (501.53 लाख रुपये) वसूल करना संभव नहीं होगा।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि अतिरिक्त लागत, क्षेत्र के नये उद्यमियों से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपर्युक्त कारणों से कम्पनी बढी हुई अतिरिक्त लागत को पूर्णरूपेण वसूल करने में सक्षम नहीं होगी।

(ब) औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा में निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा के विकास के लिए ''रीको'' ने जून 1992 में 62.74 लाख रुपये की लागत से 570 बीघा 7 बिस्वा भूमि अवाप्त की थी। क्षेत्र के विकास के लिए 273.85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी 1993 में (क्षेत्र के विकास की नियत तिथि जनवरी 1994 सहित) जारी की गई थी जिसे संशोधित करके 549.51 लाख रुपये कर दिये गये थे (जून 1997)। मौलिक सुविधाओं, यथा नालियों की व्यवस्था, चारदीवारी, प्रतिधारक दीवारें, वृक्षारोपण आदि का सृजन किए बिना ही मार्च 1997 तक 245.42 लाख रुपये का व्यय करने के बाद नवम्बर 1997 में क्षेत्र को विकसित घोषित कर दिया गया था।

विभिन्न कार्यों के निष्पादन में विलम्ब (दो तरफा सड़क के निर्माण में 417 दिन, एक तरफा सड़क के निर्माण में 448 दिन, एक तरफा सड़क तथा नालियों/पुलियाओं के निर्माण में 280 दिन, सड़क पर विभाजक के निर्माण में 88 दिन तथा भूमि को समतल करने में 597 दिन) के मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया है, कम्पनी द्वारा नक्शे और कोलतार उपलब्ध नहीं कराना थे, जिसके लिए कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

2ब.8.2.2 राज्य सरकार से हस्तान्तरित

राज्य सरकार ने अक्टूबर 1979 में पूर्व में उद्योग विभाग द्वारा संधारित 37 औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान (4230.97 एकड़ भूमि) कम्पनी को उनके अग्रिम विकास एवं संधारण हेतु हस्तान्तरित किए थे। तदनन्तर सरकार द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों में 176.35 एकड़ भूमि (1991-92 में 13.97 एकड़, 1992-93 में 8.15 एकड़, 1993-94 में 7 एकड़ तथा 1995-96 में 147.23 एकड़) भी हस्तान्तरित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित कुल 4407.32 एकड़ भूमि में से 25 औद्योगिक क्षेत्रों में 3705.61 एकड़ भूमि पूर्ण विकसित थी, 4 औद्योगिक क्षेत्रों में 277.27 एकड़ भूमि आंशिक विकसित थी तथा 424.44 एकड़ भूमि अविकसित थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है:

(अ) उद्यमियों के कब्जे वाली भूमि, विकास प्रभारों, आर्थिक किराया तथा सेवा प्रभारों आदि की वसूली से सम्बन्धित समुचित अभिलेख संधारित नहीं किए जाने के कारण अग्रिम अवधि के लिए पट्टा (लीज़) अवधि बढ़ाने का निर्णय लागू नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप कम्पनी पट्टा राशि (लीज़ मनी) आदि की आगे वसूली करने में सक्षम नहीं थी।

(ब) राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को भूमि का मालिकाना हक हस्तान्तरित नहीं किया गया।

(स) इन क्षेत्रों में हस्तान्तरण से पहले से ही विद्यमान सड़कें, पुलिया, नालियाँ आदि के अनुरक्षण को छोड़कर कम्पनी ने अक्टूबर 1979 से लेकर मार्च 1998 तक इन औद्योगिक क्षेत्रों में आगे कुछ भी विकास नहीं किया।

(द) 41 भू-खण्ड, जो 1985-86 से पहले आवंटित किये गये थे तथा उनमें मार्च 1998 तक निर्माण/उत्पादन की कोई गतिविधियाँ नहीं थी, कम्पनी द्वारा निरस्त एवं कब्जा प्राप्त करने योग्य हो गये थे। तथापि, कम्पनी ने इन भू-खण्डों के आवंटन को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की थी जिसके लिए अभिलेखों में कारण उपलब्ध नहीं थे।

भू-खण्डों को निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि वहाँ पर 1985-86 से कोई गतिविधि नहीं थी।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि दोषी उद्यमियों को नोटिस जारी किए जा रहे थे तथापि, समय पर कार्यवाही नहीं करने के, कारण नहीं बताए गये थे।

(य) राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित (अक्टूबर 1979) 11 औद्योगिक क्षेत्रों के मामले में बिक्री योग्य क्षेत्र 1782.06 एकड़ था जिसके विरुद्ध कम्पनी के अभिलेखों में 31 मार्च 1997 को 1419.01 एकड़ दिखाया गया था। 363.05 एकड़ भूमि के अन्तर का मिलान 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि अन्तर के मिलान के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2ब.8.3 भू-खण्डों, शेड्स आदि का विकास

2ब.8.3.1 भू-खण्ड

31 मार्च 1998 तक विकास के लिए नियोजित भू-खण्ड, साथ ही 31 मार्च 1998 को 229 औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित भू-खण्ड, आवंटित भू-खण्ड, भू-खण्ड, जिनमें कारखाना भवन निर्माणाधीन था/भू-खण्ड जिनमें उत्पादन शुरू हो चुका था, की स्थिति निम्न प्रकार थी:

क्र.सं.	विवरण	पूर्ण विकसित भूमि वाले 83 औद्योगिक क्षेत्र	आंशिक विकसित भूमि वाले 65 औद्योगिक क्षेत्र	अविकसित भूमि वाले 81 औद्योगिक क्षेत्र	योग
			(संख्या मे)		
1.	विकास के लिए नियोजित भू-खण्ड	13491	13983	8718	36192
	अ विकसित	12773	12447	1454	26674
	ब अविकसित	718	1536	7264	9518
2.	आवंटित भू-खण्ड				
	अ विकसित	11193	10673	687	22553
	ब अविकसित	169	320	2124	2613
	योग	**11362**	**10993**	**2811**	**25166**
3.	अनावंटित भू-खण्ड				
	अ विकसित	1580	1774	767	4121
	ब अविकसित	549	1216	5140	6905
	योग	**2129**	**2990**	**5907**	**11026**
4.	ऐसे भू-खण्ड, जिनमें कारखाना भवन का निर्माण शुरू/पूर्ण हो गया था परन्तु उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ था।	1815	1069	187	3071
5.	ऐसे भू-खण्ड, जिनमें कारखाना भवन का निर्माण पूर्ण हो कर उत्पादन प्रारम्भ हो गया था।	5380	7609	617	13606

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है:

(i) जिन भू-खण्डों (13606) में उत्पादन शुरू हो गया था वे नियोजित भू-खण्डों के 37.59 प्रतिशत तथा आवंटित भू-खण्डों के 54.07 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नियोजित भू-खण्डों को विकसित नहीं करने तथा 4989.14 लाख रुपये मूल्य (अनुमानित) के विकसित भू-खण्डों (4121) को आवंटित नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। भू-खण्डों का आवंटन नहीं होने के कारण राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन का प्राथमिक उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

4989.14 लाख रुपये मूल्य (अनुमानित) के 4121 विकसित भू-खण्डों को आवंटित नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन का प्राथमिक उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि भू-खण्डों के कब्जे के लिए धीमी प्रक्रिया का मुख्य कारण, गत 3-4 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में भारी मंदी व्याप्त होना है।

(ii) निम्नांकित तालिका लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित 31 मार्च 1998 को तीन औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र के विकास तथा भू-खण्डों के आवंटन की स्थिति दर्शाती है:

क्षेत्र का नाम	विकसित क्षेत्र का माप	विकसित करने का वर्ष	विकसित करने की लागत	आवंटित भू-खण्डों का क्षेत्र	खाली क्षेत्र	खाली क्षेत्र की लागत
	(एकड़ में)		(रुपये लाखों में)	(एकड़ में)	(एकड़ में)	(रुपये लाखों में)
1. रेनवाल	36.32	1986-87	23.10	28.09	8.23	5.23
2. शिल्पग्राम पाल	20.53	1995-96	96.02	14.58	5.95	27.83
3. इलेक्ट्रोनिक्स काम्पलेक्स, कोटा	24.23	1996-97	155.34	17.89	6.34	40.65
					योग	73.71

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि 31 मार्च 1998 को 73.71 लाख रुपये मूल्य के विकसित भू-खण्ड मांग के अभाव में अनावंटित पड़े थे। इस प्रकार, मांग की सुनिश्चितता किये बिना ही औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के परिणामस्वरूप गत दो से 11 वर्ष तक की अवधि के लिए 73.71 लाख रुपये की राशि अवरुद्ध रहीं तथा इसके कारण अवरुद्ध राशि पर 40.02 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

2ब.8.3.2 आवंटित भू-खण्डों में कारखाना भवन का निर्माण नहीं करना/उत्पादन शुरू नहीं करना।

''रीको'' भूमि निष्पादन नियम, 1979 के नियम 21 के अनुसार एक आवंटी को कम्पनी के साथ पट्टा-अनुबन्ध की निष्पादन की तिथि से छः माह की अवधि में कारखाना भवन का निर्माण शुरू करना तथा 24 माह की अवधि में उत्पादन शुरू करना होता है। उपर्युक्त समयावधि संशोधित कर (मई 1993) क्रमशः एक वर्ष एवं तीन वर्ष कर दी गई थी। आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण/उत्पादन प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की चूक होने पर उपर्युक्त भूमि निष्पादन नियमों के नियम 11 तथा पट्टा-अनुबन्ध की धारा 2(अ) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त कर दोषी उद्यमी से भू-खण्ड का कब्जा प्राप्त कर दूसरे उद्यमी को भू-खण्ड आवंटित किया जाना था।

25166 आवंटित भू-खण्डों में से 1994-95 तक आवंटित 3699 भू-खण्ड, जिनमें निर्माण/उत्पादन शुरू नहीं किया गया था, 31 मार्च 1998 को पुनः कब्जा प्राप्त करने योग्य हो गये थे लेकिन कम्पनी ने भू-खण्ड को निरस्त करने तथा कब्जा वापस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की।

भू-खण्डों का आवंटन निरस्त करने/पुन: कब्जा प्राप्त करने में कम्पनी की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ये भू-खण्ड वास्तविक उद्यमियों को उपलब्ध नहीं कराये गये, जिसके कारण औद्योगिक विकास तो अवरुद्ध रहा ही साथ ही कम्पनी को भी उच्च दरों पर वसूल होने वाले विकास प्रभार के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि भू-खण्डों को निरस्त करते समय उद्यमियों द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया गया था तथा उपयुक्त मामलों में अवरोधन प्रभारों के आधार पर समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति दी गई थी। तथापि, समयावधि बढ़ाये गये तथा अवरोधन प्रभार वसूल किए गए मामलों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में समयावधि बढ़ाये गये मामलों की उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

2ब.8.4 शेड्स

आबू रोड़, अलवर, अजमेर, भिवाड़ी, पाली तथा सीकर में मार्च 1981 तक 13.11 लाख रुपये की लागत से निर्माण किये गये 16 शेड्स आवंटित नहीं किये जा सके क्योंकि वहाँ उद्यमियों से उनकी माँग नहीं थी। इन शेड्स को विद्यमान उद्यमियों को या अन्य प्रकार से आवंटित करने की संभावना खोजने के लिए कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार, 1981 से 13.11 लाख रुपये की राशि अवरुद्ध रही, जिसके परिणामस्वरूप 40.12 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

> 13.11 लाख रुपये मूल्य के शेड्स (16) आवंटित नहीं किये गए क्योंकि उद्यमियों की माँग नहीं थी।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि इन शेड्स को आवंटित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

2ब.8.5 समझौता शुल्क की वसूली नहीं होना

स्थल अभियन्ता द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान (मार्च 1994 से अक्टूबर 1997) यह पाया गया कि चार इकाइयों में 21 उद्यमियों (बीकानेर 4, जोधपुर 4, सीतापुरा 5 तथा उदयपुर 8) ने कम्पनी की अनुमति लिए बिना अपने भू-खण्डों में अनाधिकृत निर्माण करवा लिया था। यद्यपि कम्पनी ने भवन नियमन (फॉर्म-ई) के नियम 8(अ) के अनुसार उद्यमियों से समझौता शुल्क के 25.69 लाख रुपये (बीकानेर: 3.34 लाख रुपये, जोधपुर: 4.81 लाख रुपये, सीतापुरा: 6.63 लाख रुपये तथा उदयपुर: 10.91 लाख रुपये) की वसूली के लिए मार्च 1994 से नवम्बर 1997 की अवधि में माँग जारी कर दी थी लेकिन वसूली नहीं की जा सकी थी (अगस्त 1998)।

> 21 उद्यमियों से समझौता शुल्क के 25.69 लाख रुपये की वसूली होना अभी भी शेष था।

कम्पनी ने बताया (अगस्त/सितम्बर 1998) की अनाधिकृत निर्माण के नियमन के लिए, समझौता शुल्क में कुछ रियायतें देते हुए जनवरी 1998 से एक नई पद्धति लागू की है जिसके अच्छे परिणाम की आशा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुपयुक्त अनुश्रवण के कारण कम्पनी को समझौता शुल्क की दरों में रियायतें देनी पड़ी।

2ब.9 विविध देनदार

निम्नलिखित तालिका, 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के लिए विभिन्न देनदारों की स्थिति दर्शाती है:

वर्ष	शेड्स	भू-आवंटन के विकास प्रभार	फ्लेट्स/दुकानें आदि	योग
		(रुपये लाखों में)		
31 मार्च 1998 को बकाया	61.45	2588.20	58.36	2708.01
31 मार्च 1998 को अतिदेय	53.34	1580.36	33.34	1667.04
अतिदेय पर वसूलनीय ब्याज	128.15	223.40	3.55	355.10

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है:

- कम्पनी द्वारा विविध देनदारों का आयु-वार विवरण नहीं रखा गया।
- सरकार द्वारा अक्टूबर 1979 तक आवंटित भू-खण्डों से सम्बन्धित बकाया राशि की वसूली कम्पनी द्वारा की जाकर सरकार के पास जमा करानी थी। इस कार्य के लिए कम्पनी द्वारा आवश्यक पद्धति अपनाई जानी थी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों से प्राप्य राशि का एक अलग लेखा संधारित किया जाना था। तथापि, कम्पनी ने आवंटियों के लेखों के संधारण के लिए कोई पद्धति नहीं अपनाई।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि लेखों के समुचित संधारण के लिए सभी सम्बन्धितों को निर्देश जारी कर दिये गये थे (जून 1998)।

2ब.10 अन्य रूचिकर प्रकरण

2ब.10.1 कार्य निष्पादन में हानि

9 अक्टूबर 1995 को आमंत्रित तथा 17 नवम्बर 1995 को खोली गई खुली निविदाओं के आधार पर सड़क तथा सी.डी.वर्क्स एवं अन्य कार्यों के निर्माण के लिए दिसम्बर 1995 में सुप्रीम अस्फाल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एसएपीएल) को 282.41 लाख रुपये का कार्य आवंटित किया गया था। कार्य प्रारम्भ करने के लिए 1 जनवरी 1996 तथा कार्य पूर्ण करने के लिए 31 दिसम्बर 1996 की तिथियाँ निर्धारित की गई थी।

समय-समय पर निर्देश जारी करने तथा 20 अगस्त 1996 को कार्य वापस लेने के लिए अन्तिम नोटिस जारी करने के उपरान्त भी ठेकेदार ने संविदा के अनुसार कार्य की प्रगति की गति को बनाए नहीं रखा तथा इसके कारण कार्य वापस ले लिया गया

(अगस्त 1996) तथा शेष कार्य एकल निविदा आधार पर (बीएसआर 1993 से 35/39 प्रतिशत आधिक्य पर) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसबीसीसी) को अक्टूबर 1996 में 264.45 लाख रुपये में प्रदान कर दिया गया। आरएसबीसीसी को 76.41 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर जून 1997 में कार्य पूर्ण हो गया था।

कार्यादेश में जोखिम एवं लागत से सम्बन्धित शर्तो को सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप 76.41 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

आरएसबीसीसी तथा एसएपीएल द्वारा कार्य की विभिन्न मदों के लिए उद्धृत दरों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने दिसम्बर 1996 में एसएपीएल के विरुद्ध 76.41 लाख रुपये का एक दावा पेश किया। एसएपीएल ने जनवरी 1997 में जोखिम एवं लागत के दायित्व को, जिसका कि कम्पनी ने दावा किया था, अस्वीकृत कर दिया। दोषी ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर शेष कार्य के निष्पादन की शर्तो के अभाव में कम्पनी उपर्युक्त राशि वसूलने के लिए एसएपीएल के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकी तथा उसने 76.41 लाख रुपये की हानि वहन की।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 1998) कि विवाद के समाधान हेतु यह मामला पंच निर्णय के लिए भेज दिया गया है (जुलाई 1997)।

अगस्त 1998 में सरकार ने कम्पनी के विचार को ही पृष्ठांकित किया था।

निष्कर्ष

कम्पनी का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में औद्योगिक उन्नति के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करना था। तथापि, कम्पनी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत पीछे है, जैसा कि पूर्ववर्ती समीक्षा से देखा गया। भूमि की माँग, उपयुक्तता/समुचित मालिकाना हक आदि को सुनिश्चित किए बिना ही भूमि अवाप्ति के उदाहरण भी ध्यान में आए। भूमि अवाप्ति में दीर्घकालिक अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विकास कार्य शुरू नहीं किये गये, जिससे राज्य में औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हुई। विकास कार्यों के निष्पादन में देरी, सेवा प्रभारों की अविवेकपूर्ण/गैर वसूली, माँग की यथार्थता की जाँच किए बिना ही भूमि का भुगतान आदि के परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई।

कम्पनी को अपने कार्यकलापों को जीवनक्षम रखने हेतु क्षेत्रों के समय पर विकास के लिए अपनी कार्य पद्धति अनुकूल बनाकर विकसित भू-खण्डों के आवंटन के लिए प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्याय-3

सांविधिक निगम से सम्बन्धित समीक्षा

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह-प्रथम चरण

अध्याय -3

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह-प्रथम चरण

अनुच्छेद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	119
3.1	प्रस्तावना	121
3.2	संगठनात्मक ढाँचा	121
3.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	122
3.4	परियोजना का क्रियान्वयन	122
3.5	परियोजना का निष्पादन	124
3.6	रेल्वे साइडिंग	136
3.7	निष्पादन में विलम्ब के प्रभाव	137
	निष्कर्ष	138

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह–प्रथम चरण

झलकियाँ

राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य में ऊर्जा की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये नवम्बर 1992 व अगस्त 1994 में सूरतगढ़ में 1253.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रथम चरण में 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया जो कि अन्तिम रूप से बढ़कर जुलाई 1997 में 2282.49 करोड़ रुपये कर दी गई। प्रथम एवं द्वितीय इकाई जून 1996 व दिसम्बर 1996 में चालू होनी थी किन्तु केवल प्रथम इकाई ही 10 मई 1998 को तेल ईंधन द्वारा चालू की जा सकी थी एवं द्वितीय इकाई का कार्य प्रगति पर था।

(अनुच्छेद 3.1)

सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना का कार्य समय पर पूरा न होने के मुख्य कारण, सलाहकार की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण, सलाहकारों द्वारा विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने तथा निविदाओं को अन्तिम रूप देने में देरी, थे।

(अनुच्छेद 3.4.2)

दरों तथा अवधि जिसके लिए ब्याज देय था की जाँच किए बिना भूमि के मुआवजे आदि के भुगतान के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये का अधिक/अतिरिक्त भुगतान किया गया तथा उस पर 41.06 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.5.2.1)

सेन्टेज प्रभारों का भुगतान 10 प्रतिशत की बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से किया गया जबकि परिरूप/आरेखण मण्डल द्वारा ही उपलब्ध करवाये गये थे, परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड को 34.32 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

{अनुच्छेद 3.5.3(**iii**)}

इस्पात व सीमेन्ट की आपूर्ति नहीं करने के कारण मण्डल द्वारा आरएसबीसीसी को बिक्री कर एवं सेन्टेज प्रभारों के 60.86 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

{अनुच्छेद 3.5.3(**iv**)}

प्रथम इकाई के मार्च 1997 के बाद भी चालू करने में विलम्ब के कारण मण्डल द्वारा बीएचईएल को देय उपरिव्यय प्रभारों के रूप में 84 लाख रुपये का अतिरिक्त दायित्व स्वीकार करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.5.4.2)

मार्शलिंग यार्ड के रेल टॉप लेवल के प्रथक परिमाण उपलब्ध करवाने/निर्धारण करवाने के परिणामस्वरूप मण्डल को 2.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.6.1)

परियोजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब के कारण, परियोजना लागत 1253.31 करोड़ से बढ़कर 2282.49 करोड़ रुपये हो गई, परिणामस्वरूप औसत बिक्री मूल्य 1.86 रुपये प्रति युनिट के समक्ष उत्पादन लागत 2.54 रुपये प्रति युनिट तक बढ़ गई।

(अनुच्छेद 3.7)

3.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने मई 1984 में, कोयले पर आधारित तापीय विद्युत गृह की 210 मेगावाट की प्रथम व द्वितीय चरण में प्रति दो इकाइयाँ सूरतगढ़ में स्थापित करने हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन बनाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित किया। परियोजना में कई अन्य संशोधन करने के पश्चात, 250 मेगावाट की दो-दो इकाइयाँ प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रस्थापित करने का अन्तिम निर्णय जून 1990 में लिया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (अक्टूबर 1990) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जून 1991 में स्वीकृत कर दिया गया तथा योजना आयोग ने भी 1253.31 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में 250.16 करोड़ रुपये के ब्याज को शामिल कर किन्तु संचरण प्रणाली की 81.53 करोड़ रुपये की लागत को छोड़कर) की अनुमानित लागत पर अनुमोदित कर दी (नवम्बर 1991) जो बाद में संशोधित कर जुलाई 1995 में 1999.44 करोड़ रुपये एवं जुलाई 1997 में 2282.49 करोड़ रुपये कर दी गई। विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता न मिलने के कारण राज्य सरकार ने परियोजना को अपने ही संसाधनों द्वारा पूर्ण करने का निश्चय किया (नवम्बर 1992 व अगस्त 1994)। परियोजना प्रतिवेदन (अक्टूबर 1990) के अनुसार प्रथम चरण की प्रथम व द्वितीय इकाई क्रमशः जून 1996 व दिसम्बर 1996 में पूर्ण होना संभावित था। परियोजना कार्य मार्च 1992 में प्रारम्भ किया गया तथा प्रथम चरण की प्रथम इकाई को तेल ईंधन द्वारा 10 मई 1998 को प्रारम्भ किया जा सका व द्वितीय इकाई का कार्य अभी चल रहा था (सितम्बर 1998) जबकि द्वितीय चरण का कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना था।

3.2 संगठनात्मक ढाँचा

परियोजना निष्पादन का कार्य एक मुख्य अभियंता को सौंपा गया था जिसकी सहायतार्थ 3 उप मुख्य अभियन्ता, 11 अधीक्षण अभियन्ता, 24 अधिशाषी अभियन्ता व 72 सहायक अभियन्ता लगाये गये थे। परियोजना कार्यों का निष्पादन ठेके के आधार पर किया गया।

3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

सूरतगढ़ ताप विद्युत केन्द्र की प्रथम चरण की प्रथम व द्वितीय इकाई के निर्माण स्तर तक के क्रियाकलापों की समीक्षा अगस्त 1997 से अप्रैल 1998 के दौरान की गई थी। अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित कमियों व अनियमितताओं का अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है।

3.4 परियोजना का क्रियान्वयन

3.4.1 परियोजना अनुमान व वास्तविक व्यय

प्रथम चरण की दोनों इकाइयों के परियोजना अनुमान जो मण्डल द्वारा मूलत: बनाए गए थे एवं बाद में समय-समय पर संशोधित किए गए थे, के साथ ही उनके समक्ष किये गए वास्तविक व्यय को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों में दर्शाया गया है :

विवरण	मूल अनुमान (अक्टूबर 1990)	संशोधित अनुमान (जुलाई 1995)	पुन:संशोधित अनुमान (जुलाई 1997)	वास्तविक व्यय जून 1998 तक (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ो में)	
प्रारम्भिक व्यय	0.20	0.27	0.30	0.30
भूमि	1.65	6.00	5.70	5.63
सिविल कार्य	187.40	203.71	265.63	237.82
विद्युतीय कार्य	73.88	120.87	143.79	96.66
यांत्रिक कार्य	635.66	1149.96	1222.81	732.40
उप योग	**898.79**	**1480.81**	**1638.23**	**1072.81**
ओएण्डएम कर्मियों के प्रशिक्षण	104.36	118.63	189.89	71.05
निर्माण के दौरान ब्याज	250.16	400.00	454.37	398.03
योग	**1253.31**	**1999.44**	**2282.49**	**1541.89**

मण्डल द्वारा ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बहुत से बिल प्राप्त नहीं होने/निपटारा नहीं होने के कारण परियोजना पर किया गया कुल वास्तविक व्यय नहीं निकाला जा सका। तथापि जून 1998 तक, लेखों मे 1541.89 करोड़ रुपये का व्यय परियोजना के मद में लिखा गया था।

3.4.2 लागत अधिक लगना

जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद से देखा गया है कि प्रथम चरण पर अक्टूबर 1990 में, मूल अनुमान 1253.31 करोड़ रुपये के समक्ष जुलाई 1997 में अन्तिम संशोधित अनुमान 2282.49 करोड़ रुपये था जो कि 182 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।

मण्डल द्वारा अनुमानों को संशोधित करते समय विस्तृत अनुमान नहीं बनाऐ गये तथा व्यय में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण भी नहीं किया गया। तथापि, जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, असाधारण वृद्धि मुख्यत: निम्नांकित कारणों से थी :

अ. कार्य क्षेत्र में 94.31 करोड़ रुपये की वृद्धि,

ब. निम्न में विलम्ब:

- सलाहकार की नियुक्ति (8 माह)
- सलाहकार द्वारा विशिष्टियों को अन्तिम रूप देना (8 माह से 15 माह)
- भूमि अधिग्रहण (17 माह), तथा
- राख उन्मूलन संयत्र (ऐश हेण्डलिंग प्लांट) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा चालू करने की निविदाओं को अन्तिम रूप देना (12 माह) एवं परियोजना कार्य को शुरू करने में आरम्भिक देरी। इन देरियों के परिणामस्वरूप

देय मूल्य वृद्धि (182.73 करोड़ रुपये), अनुमानित लागत की तुलना में आदेश देने के समय दरों में वृद्धि (447.71 करोड़ रुपये), समय आधिक्य एवं लागत आधिक्य के कारण उपरिव्यय लागत एवं आकस्मिकताओं में वृद्धि (85.54 करोड़ रुपये) तथा निर्माण अवधि में ब्याज के भार में वृद्धि (204.21 करोड़ रुपये) के कारण लागत में वृद्धि हुई।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण में परिहार्य/अधिक भुगतान, मार्शलिंग यार्ड का नवीनीकरण, ब्याज/मूल्य वृद्धि का प्रावधान नहीं करना इत्यादि ने भी परियोजना की लागत वृद्धि में योगदान दिया।

इन सभी बिन्दूओं का अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है।

3.5 परियोजना का निष्पादन

3.5.1 सलाहकार की नियुक्ति

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए मानकों के अनुसार, सलाहकार की नियुक्ति परियोजना की स्वीकृति मिलने की तिथि से दो माह में की जानी चाहिये थी। क्योंकि तकनीकी स्वीकृति जून 1991 में प्राप्त हो चुकी थी, तद्नुसार, सलाहकार की नियुक्ति अगस्त 1991 में हो जानी चाहिये थी। तथापि, डवलपमेन्ट कन्सलटेंट लिमिटेड (डीसीएल) को आठ माह के विलम्ब से अप्रैल 1992 में 2.62 करोड़ रुपये के शुल्क पर सलाहकार नियुक्त किया जिसे प्रत्येक स्तर पर आपूर्ति सहायता प्रदान करने सहित अभियांत्रिकी एवं परिरेखन से सम्बन्धित कार्यो एवं प्रदूषण नियंत्रक से सम्बन्धित मामलों का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। नियुक्ति में विलम्ब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे । विभिन्न उपकरणों की विशिष्टिताओं को अन्तिम रूप देने, उपकरणों की आपूर्ति हेतु आदेश देने में विलम्ब हुआ एवं इससे परियोजना को समय पर पूर्ण किए जाने मे भी विलम्ब हुआ।

3.5.1.1 विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने में देरी

कई मामलों में, सलाहकार ने निविदाओं की विशिष्टियों (परिरूपों) को अन्तिम रूप देने में देरी की। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित असाधारण विलम्ब के कुछ मामले निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पैकेज	मण्डल द्वारा अन्तिम विशिष्टियों को प्राप्त करने की नियत तिथि	सलाहकार द्वारा प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब
(i)	केबलिंग व ग्राउण्डिंग	सितम्बर 1994	नवम्बर 1995	15 माह
(ii)	स्टेशन लाइटिंग	जुलाई 1994	अप्रैल 1995	10 माह
(iii)	एल टी स्विच गीयर	मई 1994	दिसम्बर 1994	8 माह
(iv)	बॉयलर व टरबो जनरेटर	अगस्त 1992	अक्टूबर 1993	15 माह

विशिष्टियों की अन्तिम रूप देने में विलम्ब का परियोजना को पूर्ण करने में हुई देरी में योगदान रहा। तथापि, डीसीएल के विरुद्ध शर्तो के संदर्भ में क्षतिपूर्ति की 26.30 लाख रुपये की राशि वसूल करने के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

3.5.2 भूमि अधिग्रहण

परियोजना के निष्पादन हेतु सीईए द्वारा निर्धारित माइलस्टोन रूपरेखा के अनुसार भूमि का अधिग्रहण अक्टूबर 1991 तक करना था जबकि भूमि का अधिग्रहण मार्च 1993 व जनवरी 1997 की अवधि में किया गया।

भूमि अधिग्रहण में असाधारण देरी के परिणामस्वरूप मुख्य संयंत्र के लिए स्थापना स्थल उपलब्ध करवाने में देरी हुई जिससे बॉयलर व टीजी सेट की स्थापना में विलम्ब हुआ तथा समय अधिक लगने की वजह से परियोजना की लागत में वृद्धि हुई।

यह भी देखा गया कि भूमि की अनुमानित आवश्यकता 165 लाख रुपये मूल्य की 835 हेक्टेयर भूमि के विरुद्ध मण्डल ने 562.96 लाख रुपये मूल्य की 1279.58 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की।

मण्डल ने बताया (नवम्बर 1997) कि परियोजना के प्रारम्भिक अनुमान अन्तरिम थे जबकि भूमि का अधिग्रहण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आरेखणों के आधार पर किया गया था जो यह दर्शाता था कि परियोजना के प्रारम्भिक अनुमान अपर्याप्त थे।

3.5.2.1 भूमि के मुआवजे का अधिक भुगतान

(i) राज्य सरकार के दिनांक 29 जनवरी 1991 के आदेशानुसार, असिंचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहित करने के लिये 2500 रुपये प्रति एकड़ (1562.50 प्रति बीघा) मुआवजा देय था। भू-राजस्व प्राधिकारी, सूरतगढ़ ने असिंचित क्षेत्र में 805 बीघा सरकारी भूमि के लिये कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रचलित बाजार दर 6000 रुपये प्रति बीघा (16 हजार रुपये के लगान प्रभारों के अतिरिक्त) के आधार पर 48.46 लाख रुपये की मांग (दिसम्बर 1992) प्रस्तुत की। मण्डल ने मांगी गई दरों के औचित्य की जाँच किए बिना जनवरी 1993 में 48.46 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जिससे 35.72 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया । मण्डल ने भू-राजस्व प्राधिकारी से जनवरी 1994 में 35.72 लाख रुपये वापिस करने की प्रार्थना की जिसे मान लिया गया (फरवरी 1997) लेकिन भुगतान प्रतीक्षित था (मई 1998)। बिना जाँच किए भुगतान के परिणामस्वरूप अगस्त 1998 तक 28.34 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

> **दरों तथा अवधि जिसके लिए ब्याज देय था की जाँच किये बिना भूमि के मुआवजे आदि के परिणामस्वरूप 101.43 लाख रुपये का अधिक/अतिरिक्त भुगतान किया गया तथा उस पर 41.06 लाख रुपये की हानि हुई।**

(ii) इसी प्रकार मण्डल ने बिना इस तथ्य की जाँच किए कि 2 जनवरी 1993 को अन्तरिम अवार्ड का पूर्ण भुगतान कर दिया था, मई 1995 में 5.12 लाख रुपये ब्याज का भुगतान कर दिया। अगस्त 1998 तक इसकी वापसी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(iii) एक अन्य मामले में जनवरी 1993 में 60.59 लाख रुपये का अधिक भुगतान हो गया था जिसे बाद में अगस्त 1994 में समायोजित/वापस प्राप्त कर लिया गया था। तथापि, इससे 12.72 लाख रुपये की ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार, बिना जाँच के भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप 101.43 लाख रुपये का अतिरिक्त/अधिक भुगतान हो गया तथा जिस अवधि के दौरान राशि भू-राजस्व प्राधिकारी के पास पड़ी रही उसके परिणामस्वरूप 41.06 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

3.5.3 सिविल कार्य

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को सिविल इनपुट्स उपलब्ध करवाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने सभी सिविल कार्य बिना खुली निविदायें आमंत्रित किए राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसबीसीसी) को देने का निर्णय किया (मई 1993), जो राजस्थान सरकार द्वारा 18 जुलाई 1990 के दिशा निर्देशों के अनुसार था, जिसमें एक करोड़ रुपये से अधिक के सिविल कार्यों को प्राथमिकता से लागत जमा आधार पर आरएसबीसीसी को सौंपे जा सकते थे।

निम्नांकित तालिका में आरएसबीसीसी द्वारा निष्पादित किए गए कार्यो का विस्तृत विवरण दिया गया है :

कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य दिये जाने का माह	पर्ट चार्ट के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	मार्च 1998 तक कार्य की वर्तमान स्थिति	विलम्ब
	(रुपये लाखों में)		(माह में)		(माह में)
आरसीसी फाउन्डेशन					
प्रथम इकाई	718.95	जून 1993	9 से 21	मुख्य कार्य 11 से 33 माह में पूर्ण हुआ	2 से 12
द्वितीय इकाई	639.10	अप्रैल 1995	-	कार्य प्रगति में 33500 क्यूबिक मीटर में से सिर्फ 19950 क्यूबिक मीटर कंकरीट कार्य पूर्ण हुआ	-
प्रथम इकाई के मुख्य विद्युत गृह की अधिरचना हेतु सिविल व वास्तुशिल्पीय निर्माण कार्य	1212.11	जून 1994	21	मुख्य कार्य 33 माह में पूर्ण हुआ जबकि लघु कार्य निर्माणाधीन है	12 से 24
द्वितीयइकाई	500.00	अप्रैल 1995	-	मुख्य कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ	-

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है :

(i) जैसा कि उपर बताया गया है कि कार्य का आंवटन खुली निविदाऐं आमंत्रित किए बिना ही आरएसबीसीसी को किया गया था जिससे लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि लागत जमा आधार पर कार्य आवंटन मितव्ययी था।

(ii) सिविल कार्यो के निष्पादन हेतु समय-समय पर जारी कार्य आदेशों के अनुसार, आरएसबीसीसी को कार्य सलाहकार द्वारा जून 1992 में बनाऐ गये पर्ट चार्ट के अनुसार इस प्रकार निष्पादित करना था जिससे कि प्रथम इकाई जून 1996 में चालू की जा सके। तथापि, इन कार्यो के लिए विस्तृत निर्माण कार्यक्रम को मण्डल तथा आरएसबीसीसी द्वारा सयुंक्त रूप से अन्तिम रूप दिया जाना था किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुऐ, आरएसबीसीसी ने कार्य शुरू करने एवं पूर्ण करने में अपने अनुसार ही समय लिया जिससे पर्ट चार्ट में दी गई समयावधि की तुलना में 2 से 24 माह के बीच विलम्ब हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप समय आधिक्य का भी परियोजना लागत की वृद्धि में योगदान रहा।

(iii) जिन मामलों में परिरूप/आरेखण इत्यादि मण्डल द्वारा दिए जाने थे, उनमें राजस्थान सरकार ने नवम्बर 1994 में सेन्टेज प्रभारों* (चार्जेज) को 12.5 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिये। अप्रैल 1995 में आरसीसी नींव का कार्य, सिविल तथा वास्तुशिल्पीय कार्य इत्यादि का कार्यादेश दिया गया। यद्यपि, परिरूप/आरेखण आदि मण्डल द्वारा प्रदान किए गए थे फिर भी आरएसबीसीसी को जुलाई 1998 तक किये गये कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभारों (1372.80 लाख रुपये) का भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप 34.32 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

आरएसबीसीसी को सेन्टेज प्रभारों का भुगतान 10 प्रतिशत की बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से करने के परिणामस्वरूप 34.32 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

---

* सेन्टेज प्रभार कार्य की लागत पर प्रशासनिक व्यय एवं लाभ अंश को सम्मिलित करते हुए प्रतिशतता के आधार पर दिया जाता है।

(**iv**) बिक्री कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत होने के कारण मण्डल सीमेन्ट/इस्पात के क्रय पर बिक्री कर की 16 प्रतिशत की सामान्य दर के समक्ष 4 प्रतिशत की रियायती दर का लाभ उठाने को अधिकृत था। चूंकि बिक्री कर ठेकेदार को, उन मामलों में जिनमें मण्डल सीमेन्ट उपलब्ध करवाता, पुनर्भरण योग्य था, अतः उसे 12 प्रतिशत के अन्तर के बिक्री कर की राशि का लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त सेन्टेज प्रभारों में भी बचत होती क्योंकि यदि सामान, यथा, इस्पात एवं सीमेन्ट मण्डल उपलब्ध करवाता तो दर 5 प्रतिशत थी जबकि किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं किये जाने के मामले में यह 12.5 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अक्टूबर 1993 से अप्रैल 1995 की अवधि में मण्डल ने किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की जिसके फलस्वरूप मण्डल को बिक्री कर/सेन्टेज प्रभारों के रूप में 60.86 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। अप्रैल 1995 के पश्चात् मण्डल द्वारा आरएसबीसीसी को माल की आपूर्ति की जा रही थी।

> **मण्डल द्वारा इस्पात व सीमेंट की आपूर्ति न किये जाने के कारण आरएसबीसीसी को बिक्री व सेन्टेज प्रभारों के 60.86 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया।**

(**v**) प्रथम इकाई के नगर-क्षेत्र के लिए आरएसबीसीसी ने 6.32 लाख रुपये की लागत से 2711 मीटर, 80 एमएम व्यास की पाईप लाईन बिछाई। जब नगर- क्षेत्र का कार्य प्रारम्भ हुआ तब यह ध्यान में आया कि पाईप लाईन की क्षमता पानी की आवश्यकता की पूर्ति के प्रबन्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, परिणामस्वरूप आरएसबीसीसी द्वारा पानी

> **आरएसबीसीसी को गलत विशिष्टियाँ उपलब्ध करवाने के कारण, मण्डल ने 22.37 लाख रुपये का पानी के किराया प्रभारों का परिहार्य व्यय किया।**

के टेंकर नगर-क्षेत्र के सिविल कार्यों के लिए किराये पर लिये एवं किराये के 22.37 लाख रुपये के प्रभारों का भुगतान किया। तदनन्तर, मण्डल ने 79.52 लाख रुपये की लागत पर नगर-क्षेत्र के निर्माण के लिए पानी की आपूर्ति करने हेतु एक अलग पानी की लाईन डाली (जून 1997)। इस प्रकार मण्डल द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिए गलत विशिष्टियां उपलब्ध करवाने के कारण उसे 22.37 लाख रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

3.5.4. यांत्रिकी कार्य

3.5.4.1 बॉयलर व टरबाईन जनरेटर की आपूर्ति

(अ) प्रथम इकाई

बॉयलर तथा टरबाईन जनरेटर (टीजी) की आपूर्ति हेतु, मण्डल ने 'भेल' को बॉयलर तथा टरबाईन जनरेटर की 250 मेगावाट क्षमता की एक इकाई की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजने की प्रार्थना की (नवम्बर 1991)। 'भेल' ने एक इकाई की अन्तरिम लागत 285 करोड़ रुपये प्रस्तुत की (7 मार्च 1992) और 10 प्रतिशत अग्रिम की माँग की। तथापि, मण्डल ने 15 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया (31 मार्च 1992)। बॉयलर एवं टीजी हेतु विस्तृत विशिष्टियाँ 'भेल' को जुलाई 1992 में उपलब्ध करा दी गई। संयंत्र की विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए भेल ने अपने प्रस्ताव को एक इकाई के लिए सम्बद्ध सहायक उपकरणों सहित अगस्त 1992 को आधार वर्ष मानते हुए स्वदेशी कच्चा माल व मजदूरी व्ययों के मूल्य परिवर्तन के अधीन 307.54 करोड़ रुपये (एफओआर वर्क्स) की लागत पर संशोधित कर दिया (23 सितम्बर 1992)।

मण्डल ने समझौता वार्ता के पश्चात प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा माल की आपूर्ति सितम्बर 1995 के अन्त तक करने के लिए आदेश जारी किया (नवम्बर 1993) तथापि, माल की आपूर्ति अप्रैल 1998 तक की गई और संस्थापन कार्य मई 1998 में पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित पाया गया :

(i) उद्धृत् (पर्ट) चार्ट के अनुसार, बायलर व टीजी की आपूर्ति हेतु आदेश सितम्बर 1992 में दिया जाना था जबकि यह नवम्बर 1993 में दिया जा सका। 'भेल' को विस्तृत विशिष्टियाँ उपलब्ध करवाने में विलम्ब तथा सलाहकार की नियुक्ति न किए जाने एवं 'भेल' के कार्य क्षेंत्र निश्चित करने व निवेश उपलब्ध कराने में असाधारण देरी (14 माह) के कारण आपूर्ति आदेश जारी करने में 14 माह की प्रारम्भिक देरी हुई।

उपरोक्त विलम्ब समस्याओं के सही समन्वय एवं निर्देशन के द्वारा टाले जा सकते थे।

(ii) मण्डल द्वारा 'भेल' को सही समय पर भुगतान न किए जाने की वजह से 'भेल' ने न केवल माल आपूर्ति में देरी की बल्कि देरी से किए गये भुगतान के लिए 14.28 करोड़ रुपये ब्याज की भी मांग की, तथापि, इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया हैं।

(ब) द्वितीय इकाई

यद्यपि मण्डल को प्रथम इकाई की धीमी प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी थी एवं इकाई को चालू करने की तिथि स्थगित कर जून 1996 से मार्च 1998 कर दी गई थी (अक्टूबर 1997) फिर भी, द्वितीय इकाई के बॉयलर व टीजी पैकेज आदेश की बुकिंग के लिये 'भेल' को 62.10 करोड़ रुपये का अप्रैल 1996 से सितम्बर 1996 के बीच अग्रिम भुगतान कर दिया। यह रकम 'भेल' को देय राशि को चुकाने के लिए उपयोग की जा सकती थी जिससे कि प्रथम इकाई के बॉयलर व टीजी की आपूर्ति में तेजी लाई जा सकती थी तथा ऊपर बताये गये अन्य भुगतानों में हुए विलम्ब पर लगने वाले ब्याज को भी टाला जा सकता था।

प्रथम इकाई की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 'भेल' को द्वितीय इकाई के बॉयलर व टीजी सेट की आपूर्ति के लिए दिया गया 62.10 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान न्याय संगत नहीं था।

3.5.4.2 अतिवृद्धि प्रभार

स्टीम जनरेटर व टीजी सेट के निर्माण, परीक्षण व संस्थापन करने के अनुबन्ध की धारा 10 के अनुसार, अगर किन्हीं कारणों से जिनके लिए भेल आरोपी नहीं था, कार्य पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च 1997 से आगे बढ़ाई गई, उस स्थिति में 6 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से अतिवृद्धि प्रभार का भुगतान देय होगा। प्रथम इकाई के टीजी का संस्थापन केवल तेल ईंधन द्वारा मई 1998 में किया जा सका तथा इसमें 14 माह का विलम्ब हुआ जिसके लिए आरोपित कारण थे:

> **प्रथम इकाई को मार्च 1997 के बाद भी चालू करने में विलम्ब के कारण मण्डल द्वारा भेल को देय अति वृद्धि प्रभारों के 84 लाख रुपये का अतिरिक्त दायित्व स्वीकार करना पड़ा**

(i) मण्डल द्वारा भुगतान में विलम्ब के कारण 'भेल' द्वारा पैकेज सामग्री की आपूर्ति नहीं करना,

(ii) एक अनुभवहीन फर्म (आईईएस) जिसकी चर्चा नीचे की गई है को संयंत्र की आपूर्ति एवं निर्माण के लिए टर्न की आधार पर ठेका दिये जाने के कारण अखनिजयुक्त पानी की उपलब्धता नहीं होना,

(iii) बॉयलर व कन्डेन्सर, फ्यूल पम्प हाऊस, टीजी हॉल के नींव आधार से सम्बन्धित सिविल कार्य में विलम्ब, तथा

(iv) विद्युत संचालित परिवहन क्रेन/विद्युत शक्ति उपलब्ध नहीं करवाना।

प्रथम इकाई को संस्थापित करने में हुए विलम्ब के कारण, मण्डल को मई 1998 तक अतिवृद्धि प्रभार के 84 लाख रुपये का अतिरिक्त दायित्व स्वीकार करना पड़ा।

3.5.4.3 अखनिजयुक्त पानी संयंत्र को पूर्ण होने में देरी

आमंत्रित निविदाओं (मई 1993) के आधार पर अखनिजयुक्त पानी की तीन धाराओं के संयंत्र की आपूर्ति व स्थापना के लिये एक आदेश, इन्डोकेन इन्जीनियिरिंग सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड पूना (आईईएस) को, दरें निम्नतम होने के कारण मई 1994 में 472.50 लाख रुपये की लागत पर, दिया गया किन्तु अतिरिक्त मुख्य अभियंता (केटीपीएस) द्वारा फरवरी 1994 में प्रतिवेदित इस तथ्य की अवहेलना करते हुए कि आईईएस द्वारा डीएम संयंत्र के निष्पादन हेतु उपलब्ध कराए गये विवरण डीएम संयंत्र की कम से कम दो वर्ष तक चालू स्थिति में रहने की तकनीकी आवश्यकता से मिलान नहीं खा रहे थे।

संयंत्र की आपूर्ति एवं निर्माण की नियत तिथि जनवरी 1996 थी। यह देखा गया कि अक्टूबर 1997 में चालू की गई धारा-I खराब होने की वजह से ठीक तरह से काम नहीं कर पाई। मण्डल द्वारा निर्देशित (अक्टूबर 1997) करने पर आईईएस ने खराबी को दूर करने में दो माह का समय लिया। तथापि धारा-II मार्च 1998 में संस्थापित की गई तथा धारा-III के माल की आपूर्ति (मई 1998) प्रगति में थी एवं संयंत्र की स्थापना प्रतीक्षित थी। आईईएस के प्रतिनिधि ने अक्टूबर 1997 में हुई मींटिग में बतलाया कि वित्तीय कठिनाईयों तथा इकाई की पुनर्सरचना के कारण फर्म का प्रदर्शन असंतोषप्रद रहा।

डीएम संयंत्र से सम्बन्धित कार्य एक अनुभवहीन फर्म को देने के फलस्वरूप एसटीपीएस की प्रथम इकाई को पूर्ण करने में देरी हुई।

इस प्रकार, एक अनुभवहीन व अयोग्य फर्म की बिना उनकी वित्तीय स्थिति की जांच किये कार्य आवंटन का, परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों में योगदान रहा।

3.5.5 राख प्रबन्धन व्यवस्था (ऐश हेण्डलिंग सिस्टम)

3.5.5.1 राख प्रबन्धन संयंत्र के संस्थापन में विलम्ब

राख प्रबन्धन संयंत्र के लिए, दोनो ईकाइयों हेतु, आपूर्ति एवं संस्थापन के आदेश जारी करने की नियत तिथि मई 1994 के स्थान पर, जून 1995 में 25 करोड़ रुपये की लागत पर (निविदाऐं जून 1994 में आमंत्रित की गई थी) बर्न स्टेण्डर्ड लिमिटेड (बीएससीएल) को प्रथम व द्वितीय इकाई का कार्य क्रमशः सितम्बर 1996 व मार्च 1997 तक निर्माण सहित पूर्ण करने हेतु आदेश जारी किये। कार्य अभी भी प्रगति पर था (अगस्त 1998)। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित विलम्ब के मुख्य कारण थे:

(i) मण्डल ने सलाहकार द्वारा मई 1993 में दिये गये डिजाइन इन्डेन्ट मीमो (डीआईएम) पर टिप्पणियाँ देने में 8 माह का असाधारण समय लेना।

(ii) निविदाओं को अन्तिम रूप देने में मण्डल द्वारा आठ माह के स्थान पर 12 माह का समय लेना।

(iii) परिरूपों तथा विभिन्न कार्यों की दरों की अनुसूची के अनुमोदन में विलम्ब, कार्य स्थल को उपलब्ध न कराना तथा बिलों का भुगतान न करना।

उपरोक्त सभी कारण नियंत्रण योग्य होने से, समुचित योजना/समन्वय, अनुसरण तथा निर्देशन से टाले जा सकते थे।

3.5.6 विद्युतीय कार्य

3.5.6.1 स्टेशन लाइटिंग सिस्टम्स के संस्थापन में विलम्ब

विद्युत गृह की प्रथम इकाई की स्टेशन लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण व चालू करने की निविदाऐं मार्च 1995 में आंमत्रित की गई। ये निविदाऐं जून 1995 में खोली गई तथा निम्नतम दरें होने के कारण बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली को 431.82 लाख रुपये की लागत से आशय पत्र जारी किया गया (दिसम्बर 1995)। सिस्टम के संस्थापन की नियत तिथि दिसम्बर 1996 थी तथापि, इसकी स्थापना तथा चालू करने का कार्य प्रगति पर था (सितम्बर 1998)। सिस्टम के संस्थापन में विलम्ब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

3.5.6.2 कम भार के टावर्स की आपूर्ति

सितम्बर 1995 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सूचित किया कि टावर्स का वजन अनुमानित 5500 किलोग्राम होगा। जबकि आपूर्ति आदेश जारी करते समय (जनवरी 1996) मण्डल ने प्रत्येक टावर के भार का कोई उल्लेख नहीं किया। जांच के दौरान देखा गया कि 24 दिसम्बर 1996 से 15 फरवरी 1997 तक आपूर्त किये गये 24 टावर्स का भार 5500 किलोग्राम प्रति टावर के स्थान पर 3975 किलोग्राम था। मण्डल द्वारा बताए जाने पर (फरवरी 1997), बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बताया (मार्च 1997) कि आदेश में भार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था तथा ठेका बिना भार के उल्लेख के एक मुश्त परिरूप पैकेज के आधार पर था।

इस प्रकार, मण्डल को आपूर्ति आदेश में टावर्स के भार का उल्लेख न करने की वजह से 8.49 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

3.6 रेलवे साइडिंग

3.6.1 मार्शलिंग यार्ड का निर्माण- परिहार्य व्यय

रेलवे द्वारा 1427.94 लाख रुपये की लागत से मार्शलिंग यार्ड का निर्माण करने हेतु, डीसीएल द्वारा बनाये गये परिरूप व विशिष्टियों को जनवरी 1992 में रेलवे को भेजे गये । विशिष्टियों के अनुसार, मार्शलिंग यार्ड का रेल टॉप लेवल ई-I 190 एम था। तद्नुसार रेलवे प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया (अक्टूबर 1993)। पूर्व में दिये गये स्तर की तकनीकी अनुपयुक्तता को ध्यान में रखते हुऐ विशिष्टियों को बदलकर (अक्टूबर 1995) ई-I-190, 456 एम कर दिया गया तथापि रेलवे ने बिना अतिरिक्त लागत के संशोधित परिरूप के आधार पर यार्ड के निर्माण कार्य में सुधार करने मे अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की (अक्टूबर 1995) चूँकि निर्माण कार्य अग्रिम स्तर

मार्शलिंग यार्ड के रेल टॉप लेवल के अनुपयुक्त परिमाण उपलब्ध करवाने के परिणामस्वरूप मण्डल को 213 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

तक हो चुका था। डीसीएल ने सितम्बर 1996 में संशोधित आरेखणों को संशोधित स्तर (लेवल) के आधार पर अनुमोदित कर दिया जो कि सितम्बर 1996 में ही रेलवे को प्रेषित कर दिए गये तथा 213 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय पर सुधार कार्य कर दिया गया जिसका कि मण्डल ने फरवरी 1997 में भुगतान कर दिया। इस प्रकार, रेल टॉप लेवल के अनुपयुक्त परिमाण उपलब्ध करवाने/निर्धारण करने के परिणामास्वरूप 213 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

3.7 निष्पादन में विलम्ब के प्रभाव

परियोजना की प्रथम चरण की दोनों इकाईयों का निर्माण कार्य दिसम्बर 1996 तक पूरा हो जाना था, तथापि केवल प्रथम इकाई को तेल ईंधन द्वारा मई 1998 में चालू किया जा सका तथा वाणिज्यिक उत्पादन अभी उपलब्ध किया जाना था जबकि द्वितीय इकाई के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी। परियोजना के कार्यान्वयन में हुये असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत अनुमान 1253.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 2282.49 करोड़ रुपये हो गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की औसत बिक्री दर वर्तमान में 1.86 रुपये प्रति युनिट है जबकि औसत अनुमानित लागत 1.36 रुपये प्रति युनिट की दर से बढ़कर 2.54 रूपये प्रति युनिट तक पहुंच गई जो कि वर्तमान बिक्री दर से बहुत ज्यादा है।

> **परियोजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब के कारण परियोजना लागत 1253.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 2282.49 करोड़ रुपये हो गई, परिणामस्वरूप 1.86 रुपये प्रति युनिट औसत बिक्री मूल्य के समक्ष उत्पादन लागत 2.54 रुपये प्रति युनिट तक बढ गई।**

उपरोक्त मामला सरकार/मण्डल के ध्यान में मई 1998 में लाया गया, उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 1998)।

निष्कर्ष

राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह का विचार किया गया। मई 1984 में परियोजना प्रतिवेदन बनाकर परियोजना का आरम्भिक कार्य प्रारम्भ किया तथापि 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी एक भी इकाई (परियोजना की चार इकाईयों में से) उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर सकी। जैसा कि लेखापरीक्षा में पाया गया, असाधारण विलम्ब का एक कारण कोष में कमी भी था। इसके बावजूद भी दूसरी इकाई का कार्य हाथ में ले लिया गया तथा अग्रिम दे दिया गया। मण्डल को अपने सीमित संसाधनों का उपयोग एक समय में एक इकाई के लिए ही करना चाहिये था। परियोजना के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता को, जो कि बिजली की अत्यन्त कमी का सामना कर रही थी, उर्जा शक्ति से वंचित रहना पड़ा।

अध्याय-4

विविध रुचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में

4ब. सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में

अध्याय-4

विविध रुचिकर प्रकरण

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
4अ	*सरकारी कम्पनियाँ*	*143*
4अ.1	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	143
4अ.1.1	सेवा में वृद्धि की अनुमति देने पर परिहार्य व्यय	143
4अ.1.2	शोधित स्प्रिट के क्रय पर अतिरिक्त भुगतान	145
4अ.2	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	147
4अ.2.1	उधार बिक्री की नीति की पालना न करने के कारण हानि	147
4अ.2.2	अतिरिक्त लागत पर वैगन की खरीद	149
4अ.3	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड -थैलों के अति भण्डारण पर अतिरिक्त व्यय	152
4ब.	*सांविधिक निगम*	*155*
4ब.1	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	155
4ब.1.1	अतिरिक्त व्यय	155
4ब.1.2	उपभोक्ता का मौसमी कारखाने के रूप में अनुचित वर्गीकरण	156
4ब.1.3	ब्याज की हानि	158
4ब.1.4	ईंधन अधिभार के बिल नहीं बनाना/कम राशि के बिल बनाना	159
4ब.1.5	बैंकों द्वारा धन प्रेषण का अनुश्रवण नहीं करना	161
4ब.1.6	ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (गैर-परम्परागत स्त्रोत) तथा वित्तीय असुविधाऐं	162
4ब.1.7	जे.के.सिन्थेटिक्स लिमिटेड को अनुचित लाभ	168
4ब.1.8	विद्युत प्रभारों के कम राशि के बिल बनाना	173
4ब.2	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	175
4ब.2.1	कमीशन का परिहार्य भुगतान	175
4ब.2.2	तृतीय पक्ष दावे के लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त करने में विलम्ब	177
4ब.2.3	दुकानों को किराये पर देने में विलम्ब	178
4ब.2.4	सांगानेर में भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब	180
4ब.2.5	एक स्वीकार्य प्रस्ताव पर टायरों का विक्रय नहीं करने के कारण हानि	183
4ब.2.6	बियरिंग्स का क्रय	185

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रुचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियाँ

4अ.1 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

4अ.1.1 सेवा में वृद्धि की अनुमति देने पर परिहार्य व्यय

कम्पनी ने योग्य और अनुभवी उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बावजूद एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता को बार-बार सेवा में वृद्धि की अनुमति दी जिसके कारण पूर्व अधिकारी के वेतन एवं भत्तों पर 5.84 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

कम्पनी के सेवा नियमों के उपबन्ध 9(ब) के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरा करने पर सेवानिवृत्त होगा जिसे यदि आवश्यकता समझें तो कम्पनी द्वारा स्वनिर्णय से उसे पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। कम्पनी ने उप महाप्रबन्धक एवं मुख्य अभियन्ता, जिसको अगस्त 1991 में सेवानिवृत्त हो जाना था, को मई 1991 में एक विशेष मामला मानते हुए, दो वर्षों के लिए सेवा में वृद्धि स्वीकृत की। जून 1993 में फिर दो वर्षो की वृद्धि इन निर्देशों के साथ स्वीकृत की कि इस वृद्धि की अवधि में मुख्य अभियन्ता पद हेतु एक उपयुक्त अभ्यार्थी का चयन किया जाये। विलम्ब से, पद विज्ञापित किया गया तथा एक उपयुक्त अनुभवी तथा योग्य अभ्यार्थी को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एसीई) के पद पर नियुक्त किया (जून 1995) गया जिसको निश्चित समयावधि के बाद मुख्य अभियन्ता का कार्यभार संभालना था। तथापि, कम्पनी ने फिर दो वर्षो की वृद्धि इस आधार पर स्वीकृत की (जून 1995) कि दो वर्षो की बढ़ाई हुई अवधि 31 अगस्त 1997 को समाप्त होने की समयावधि में नया एसीई कार्यभार संभालने हेतु परिपक्व हो जायेगा। अगस्त 1997 में, फिर 30 जून 1998 तक सेवा वृद्धि इस आधार पर स्वीकृत कर दी

गयी कि जून 1995 में नियुक्त एसीई मुख्य अभियन्ता पद का स्वतंत्र भार संभालने हेतु पूर्णतया परिपक्व नहीं हुआ था।

इस प्रकार, एक कर्मचारी को 6 वर्ष 10 माह की दी गई सेवा वृद्धि न केवल सेवा नियमों के प्रावधानों और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के विरुद्ध थी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप, योग्य अधिकारी की जून 1995 में की गई नियुक्ति के बाद, कम्पनी को 5.84 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

> सेवा नियमों के प्रावधानों के विपरीत सेवा में वृद्धि स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप नये अधिकारी की नियुक्ति के बाद 5.84 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1997 तथा मार्च 1998) कि पदधारी के अनुभव एवं विशेषज्ञता तथा नये नियुक्त एसीई की परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए, जून 1995 में वृद्धि स्वीकृत की गई थी। अगस्त 1997 में आगे वृद्धि इसलिए स्वीकृत की गई कि नया एसीई पूर्णतया परिपक्व नहीं हुआ था। सरकार ने, तथापि, बताया कि 30 जून 1998 के बाद वृद्धि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

सरकार का उत्तर निम्न कारणों की वजह से तर्कसंगत नहीं हैं:

(i) कम्पनी ने जून 1986 में लिये गये निर्णय का अनुश्रवण नहीं किया जिसमें यह आकांक्षा की गई थी कि उप महाप्रबन्धक एवं मुख्य अभियन्ता अपने एक अधीनस्थ अभियन्ता को प्रशिक्षित करेगा जो उसकी सेवानिवृत्ति पर उसका कार्यभार संभालेगा,

(ii) प्रबन्धन को अधिकारी की अगस्त 1991 में सेवानिवृत्ति का ध्यान था तथा उसकी सेवानिवृति दिनांक से पूर्व ही उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति हेतु निश्चित प्रयास किये जाने चाहिए थे,

(iii) कम्पनी जून 1993 में स्वीकृत किए गए द्वितीय सेवा वृद्धि की अवधि में एक उपयुक्त व्यक्ति को भर्ती नहीं कर सकी, तथा

(iv) जून 1995 में नियुक्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता योग्य था तथा उसे मुख्य अभियन्ता के रूप में ऐसी सहकारी चीनी मिल्स का जिनकी क्षमता कम्पनी की क्षमता से बहुत अधिक थी, सात वर्षो का अनुभव था।

राज्य सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि 30 जून 1998 के बाद वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी, कम्पनी के निदेशक मण्डल ने (27 जून 1998) पदधारी को एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त करने का निर्णय लिया।

अधिकारी की पुनर्नियुक्ति अनियमित थी क्योंकि राजस्थान सेवा नियमों- पेंशन नियमों के नियम 149 से 151 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार से वांछित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

4अ.1.2 शोधित स्प्रिट के क्रय पर अतिरिक्त भुगतान

कम्पनी ने शोधित स्प्रिट की दरों में वृद्धि की अनुमति दी जो कि अनुबन्ध की शर्तो में उपलब्ध नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 59.90 लाख बल्क लीटर (बीएल) शोधित स्प्रिट के क्रय पर 159.13 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

कम्पनी ने 40 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट के प्रापण हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की (जनवरी 1997)। 9 भागीदारों ने समझौते के पश्चात् 10.90 रुपये प्रति बल्क लीटर से 11.50 रुपये प्रति बल्क लीटर के बीच में स्थिर दरें उद्धरित की।

तीन फरवरी 1997 को, कम्पनी ने 6 फर्मो (यू.पी.को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड (यूपीकोशुफैफेलि) की 6 इकाइयों सहित) को 71.16 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट की आपूर्ति हेतु क्रय आदेश दिये। सुपुर्दगी सूची के अनुसार आपूर्ति तीन महिनों (फरवरी से अप्रैल 1997) के बीच की जानी थी।

आदेशित कुल मात्रा 71.16 लाख बल्क लीटर में से, फर्मो ने 35.58 लाख बल्क लीटर फरवरी 1997 में तथा शेष 35.58 लाख बल्क लीटर

मार्च 1997 में आपूर्ति करना प्रस्तावित किया जिसके विरुद्ध 24.67 लाख बल्क लीटर (यूपीकोशुफैफेलि: 14.63 लाख बल्क लीटर तथा अन्य फर्में: 10.04 लाख बल्क लीटर) के अनुज्ञा पत्र जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी (उत्पाद शुल्क विभाग, राजस्थान) द्वारा फरवरी 1997 में जारी किए गए। फरवरी 1997 में जारी किए गए अनुज्ञा पत्रों में से, यूपीकोशुफैफेलि द्वारा किसी मात्रा की आपूर्ति नहीं की गई तथा अन्य फर्में फरवरी 1997 तक केवल 5.60 लाख बल्क लीटर ही आपूर्त कर सकी।

इस दौरान यूपीकोशुफैफेलि ने (6 मार्च 1997) भारत सरकार द्वारा 1 मार्च 1997 से मोलासिस् पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने के कारण, 2.76 रुपये प्रति बल्क लीटर की वृद्धि की माँग की। यद्यपि इस तरह की वृद्धि अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत नहीं आती थी, कम्पनी ने 2.76 रुपये प्रति बल्क लीटर की वृद्धि की अनुमति दे दी (मार्च 1997)। चूंकि यूपीकोशुफैफेलि को वृद्धि की अनुमति दी जा चुकी थी, अन्य आपूर्तिकर्ताओं को भी उनके निवेदन पर दरों में वृद्धि की अनुमति दे दी गई। इसके बाद 59.90 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट (38.62 लाख बल्क लीटर यूपीकोशुफैफेलि से तथा 21.28 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट अन्य से) मार्च 1997 से मई 1997 की अवधि में प्राप्त हुई।

दरों में वृद्धि की अनुमति देने के कम्पनी के निर्णय के परिणामस्वरूप 159.13 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

अनुबन्ध की शर्तों के विरुद्ध शोधित स्प्रिट की आपूर्ति की दरों में वृद्धि स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 159.13 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1997) कि उत्पाद शुल्क विभाग को मदिरा की निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने हेतु, कम्पनी के पास वृद्धि को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा चूंकि लागत एवं जोखिम पर प्रापण करने में एक महीने से

अधिक का अतिरिक्त समय और लगता जो कि उत्पाद शुल्क विभाग को मदिरा की आपूर्ति पर प्रभाव डाल सकता था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क विभाग को मदिरा की आपूर्ति के वायदे कम्पनी को भली-भाँति ज्ञात थे, तथा यदि कम्पनी ने मदिरा के उत्पादन हेतु शोधित स्प्रिट का पर्याप्त माल बनाए रखा होता तो इनको पूरा किया जा सकता था।

प्रबन्धन ने आगे बताया (मई 1998) कि यूपीकोशुफैफेलि को अनुज्ञा पत्र जारी होने में विलम्ब का कारण उत्पाद शुल्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्यात अनुज्ञा पत्रों को जारी करने में विलम्ब तथा आपूर्तिकर्ताओं को सुपुर्दगी सूची की सूचना टेलीफोन द्वारा देना था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समस्या का विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण करके विलम्ब को टाला जा सकता था। सुपुर्दगी सूची जारी करने के सम्बन्ध में, कम्पनी ने कोई अभिलेख नहीं रखे थे।

4अ.2 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

4अ.2.1 उधार बिक्री की नीति की पालना न करने के कारण हानि

कम्पनी ने बिना उचित प्रतिभूति प्राप्त किए; एक फर्म को उधार बिक्री की अनुमति दी जो भुगतान करने में दोषी रही तथा कम्पनी को ऐसी बिक्री के 90.34 लाख रुपये को अपलिखित करना पड़ा चूंकि फर्म की सम्पत्तियाँ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ले ली गई थी।

बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु कम्पनी ने साख पत्र (एल/सी), या अन्य पारपत्र जैसे बैंक द्वारा प्रमाणित हुंडियाँ या अनुसूचित बैंक द्वारा भुगतान हेतु प्रमाणित प्रलेखों के एवज में तथा समय-समय पर निर्धारित दरों से ब्याज लगाने सहित अधिकतम 90 दिन (नवम्बर 1993 में बढ़ाकर 180 दिन कर दिये गये) की अवधि हेतु उधार बिक्री की अनुमति देने का निर्णय (अक्टूबर 1992) लिया। कम्पनी ने, तथापि, फॉस्फेट

इण्डिया (पीआई), उदयपुर (हिन्दुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई की एक इकाई) को बिना उचित प्रतिभूति प्राप्त किए रॉक फॉस्फेट की उधार बिक्री की अनुमति प्रदान की। पीआई द्वारा जारी किए गए चैक, सितम्बर 1993 (12 लाख रुपये) एवं अगस्त-अक्टूबर 1994 (19.07 लाख रुपये) में अनादरित हो गये तथा मुख्य प्रबन्धक (विपणन) द्वारा पीआई द्वारा अनुवर्ती खरीद हेतु एल/सी एवं बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने का आग्रह करने की दी गई सलाह (अप्रैल 1995) की अवहेलना करते हुए, कम्पनी ने पीआई को नवम्बर 1995 तक उधार सुविधा (120 दिनों तक) देना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप, जब फरवरी 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पीआई की सम्पत्तियों को अधिकृत कर उनसे प्राप्त विक्रय मूल्यों को पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप हुए नुकसानों का सामना करने के लिए उपयोग की अनुमति दी, बकाया देय राशि 1 अप्रैल 1994 के 7.08 लाख रुपये (अतिदेय 3.65 लाख रुपये) से बढ़कर 90.34 लाख रुपये (आपूर्ति की गई सामग्री की लागत 80.45 लाख रुपये, उधार सुविधा पर ब्याज 9.06 लाख रुपये तथा बिक्री कर का भुगतान न करने पर दण्डनीय ब्याज 0.83 लाख रुपये) हो गई। 15 फरवरी 1996 को पीआई से प्राप्त हुआ 90 लाख रुपये का एक और चैक बैंक द्वारा निधियों की कमी के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। चूंकि वसूली का कोई अवसर नहीं रहा, कम्पनी ने 1995-96 के लेखों में 90.34 लाख रुपये को डूबत ऋण के मद में अपलिखित कर दिया।

इस प्रकार, पीआई को बिक्री के मामले में एलसी अथवा अन्य पारपत्रों के एवज में उधार बिक्री की नीति की पालना करने में असफल रहने के कारण, कम्पनी को 90.34 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

उधार बिक्री की नीति की पालना नहीं करने के कारण कम्पनी को 90.34 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने बताया (जून 1998) कि रॉक फॉस्फेट के आयात को धारामुक्त तथा नियंत्रण मुक्त करने से अपने बाजार अंश को बनाए रखने के लिए छूट दी गई थी, तथापि, निराशाजनक स्थिति के प्रसारण संकेतों को टालने के लिए बिक्री के परिपत्र में सामान्य संशोधन नहीं किया गया। अस्वीकृत चैकों के लिए, प्रबन्ध निदेशक/अधिकारियों, जिनके द्वारा जारी किए गए चैक बाद में अस्वीकृत हो गए थे, के विरुद्ध अगस्त 1996 में एक फौजदारी दावा प्रस्तुत कर दिया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना एलसी या अन्य पारपत्रों के अभाव में उधार देना कम्पनी के हितों के विपरीत था तथा कोर्ट केस में कोई प्रगति नहीं हुई थी (जून 1998)।

4अ.2.2 अतिरिक्त लागत पर वैगन की खरीद

''बॉक्सन'' वैगन की खरीद को अंतिम रूप देने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी को 288.85 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।

रेलवे द्वारा 1994 में प्रस्तावित ''आपका अपना वैगन'' की संशोधित योजना को ध्यान में रखते हुए, शम्भूपुरा रेलवे स्टेशन से ग्राहकों के 13 ब्रॉड गेज गंतव्य रेलवे स्टेशनों पर रॉक फॉस्फेट के परिवहन की आवश्यकता हेतु, कम्पनी के निदेशक मण्डल ने (15 अप्रैल 1995) तीन ''बॉक्सन'' वैगन रेक्स (181 वैगन) प्रापण करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। जून/अगस्त 1995 में की गई निविदा में भाग लेने वाली 10 फर्मो में से, 7 फर्में सूचिबद्ध पाई गई तथा मूल्यांकन करने पर बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बीएससीएल) का प्रस्ताव न्यूनतम पाया गया। फर्मो को बातचीत के लिए बुलाया गया और अपने संशोधित प्रस्ताव 23 सितम्बर 1995 तक प्रस्तुत करने हेतु कहा गया (14 सितम्बर 1995)।

संशोधित प्रस्तावों का मूल्यांकन (23 सितम्बर 1995) करने पर, बीएससीएल 10,39,175 रुपये प्रति वैगन की प्रभावी दर के साथ, 23 नवम्बर 1995 तक प्रस्ताव की वैधता के साथ पुन: न्यूनतम निविदाकर्ता उभर कर आया। क्रय समिति ने पूर्ण आदेश बीएससीएल को देने की सिफारिश की (8 नवम्बर 1995)।

प्रबन्ध निदेशक ने प्रसार माध्यम द्वारा मण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर बीएससीएल को आदेश देने का वित्त नियंत्रक का प्रस्ताव (9 नवम्बर 1995) स्वीकार नहीं किया, जिसने अपने क्रम में (16 नवम्बर 1995) निविदाकर्ताओं से वैधता में 15 दिन की वृद्धि हेतु तथा एजेण्डा को मण्डल में प्रसार के लिए कहा। चूंकि बीएससीएल के प्रस्ताव की वैधता 27 नवम्बर 1995 को समाप्त हो रही थी, 27 नवम्बर 1995 को एक क्रय आशय पत्र जारी कर दिया गया। जब कम्पनी ने (नवम्बर 1995) प्रस्तावों की वैधता अवधि 15 दिसम्बर 1995 तक बढ़ाने हेतु कहा था तो 27 नवम्बर 1995 को आशय पत्र जारी करना सही भावना में प्रतीत नहीं होता। तथापि, बीएससीएल ने अपने प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने से इन्कार कर दिया (28 नवम्बर 1995) तथा अपना प्रस्ताव आगतों की लागत में वृद्धि के कारण वापिस ले लिया।

संशोधित प्रस्तावों पर भली-भाँति विचार विमर्श तथा समझौते के बाद, उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर इत्यादि के अलावा, 10.90 लाख रुपये प्रति वैगन की दर से, सिमको तथा टैक्समेको को क्रमश: 121 तथा 60 वैगन की आपूर्ति हेतु फरवरी 1996 में भारतीय रेलवे को एफओआर सुपुर्दगी के अनुबन्ध के साथ आदेश प्रदान कर दिया गया। तथापि, बीएससीएल के संशोधित प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया चूंकि बैंक गारंटी का विस्तार नहीं किया गया था। जुलाई 1996 से सितम्बर 1996 की अवधि में आपूर्तिकर्ताओं ने वैगनों की सुपुर्दगी रेलवे को कर दी।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1997) कि कम्पनी ने क्रय मामलों को अंतिम रूप देने के लिये कोई मानक/समयावधि निश्चित नहीं की। यह मानते हुए कि 90 दिन, जिसके लिए प्रस्ताव की आरम्भिक वैधता हेतु कहा गया था, क्रय को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त थे, कम्पनी ने मामले को अंतिम रूप देने में 291 दिन लगाये। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित, मामले को अंतिम रूप देने में हुई असामान्य देरी के मुख्य कारण निम्न प्रकार थे :

(i) कम्पनी ने निविदा आमंत्रित करने से पूर्व तकनीकी विशिष्टताओं के सम्बन्ध में रेलवे प्राधिकारी से सलाह प्राप्त नहीं की। मामले को 18 जुलाई 1995 को मण्डलीय रेलवे प्रबन्धक (डीआरएम) अजमेर के पास भेजा गया, जिसने लिखित में अपनी असमर्थता प्रकट की चूंकि मामले को रेलवे बोर्ड के मार्फत भेजा जाना चाहिए था। तत्पश्चात् रेलवे प्राधिकारी से मामले के लिए अनुसरण नहीं किया गया।

(ii) 1 अगस्त 1995 को वाणिज्यिक बोली खुलने के बाद, मामले की पत्रावली 25 अगस्त 1995 तक वरिष्ठ प्रबन्धक, विपणन के पास रही।

(iii) प्रसार माध्यम से मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने पर प्रबन्ध निदेशक की असहमति कम्पनी के वित्तीय हितों के अनुकूल नहीं थी।

इस प्रकार, मामले को तय करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 181 ''बाक्सन'' के क्रय में 288.85 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

''बाक्सन'' वैगन के क्रय के मामलों को तय करने में हुए असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी को 288.85 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।

सरकार ने बताया (अप्रैल 1998 एवं जून 1998) कि:

(i) बीएससीएल ने जान बूझकर प्रस्ताव की वैधता में वृद्धि को नहीं चुना तथा संभवतया, स्थिति से युक्ति से बच निकलने का प्रयास किया चूंकि उन्हें यह महसूस हो गया था कि उनका प्रस्ताव बहुत न्यूनाधिक एवं अवास्तविक था।

(ii) वैगन्स का रिसर्च डिजाइन एवं स्टैण्डर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ), रेलवे की एक इकाई, द्वारा विकसित एवं अनुमोदित परिरूपों के अनुसार निर्माण किये जाने की आवश्यकता थी। डीआरएम, जो आरडीएसओ से जुड़ा हुआ था, को तकनीकी प्रस्तावों को देखने और कम्पनी को सलाह देने के लिए निवेदन किया गया था; तथा

(iii) मण्डल द्वारा अनुमोदन में किसी अनपेक्षित विलम्ब की स्थिति में, प्रबन्ध निदेशक द्वारा वैधता में वृद्धि के लिए कहना कम्पनी के हित में था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

(i) बीएससीएल ने उनके पत्र दिनांक 28 नवम्बर 1995 में उनके प्रस्ताव की वैधता में वृद्धि से इस आधार पर मना किया था कि कम्पनी द्वारा मामले में निर्णय लेने में अनावश्यक देरी की जा चुकी थी और जून 1995 के बाद मूल सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि हो चुकी थी।

(ii) सरकार ने, तथापि, डीआरएम, अजमेर से सूचना प्राप्त (जुलाई 1995) होने के बाद भी रेलवे प्राधिकारियों से मामला न उठाने के कारणों से अवगत नहीं कराया।

4अ.3 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

थैलों के अति भण्डारण पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने अपनी भण्डार स्थिति का निर्धारण किये बिना बाजरा/सरसों के बीजों के विक्रय हेतु थैलों का क्रय किया जो कि बिना उपयोग के पड़े थे।

अपने सामान्य बीज वितरण कार्यक्रम (जीएसडीपी) के अन्तर्गत बाजरा/सरसों के बीजों की एक किलोग्राम मात्रा की पैकिंग में बिक्री करने हेतु, कम्पनी ने 1990-91 में 11.79 लाख रुपये की राशि के 10.72 लाख थैलों (1.10 रुपये प्रति थैले की दर से) का क्रय किया। 1 अप्रैल 1991 को भण्डार में 10.81 लाख थैलों के शेष की उपलब्धता की अवहेलना करते हुए तथा उनके उपयोग के उद्देश्य को

सुनिश्चित किये बिना, कम्पनी ने 1991-92 में पुनः 8.10 लाख रुपये की राशि के 6.81 लाख थैलों (1.19 रुपये प्रति थैले की दर से मार्च 1991 से जून 1991 की अवधि में प्राप्त हुए) का क्रय किया।

क्षेत्रीय कार्यालयों ने इन थैलों की क्षमता एवं मजबूती एक किलोग्राम मात्रा के बीज को रखने के अनुकूल नहीं पायी। एक किलोग्राम बाजरा/सरसों के बीज की पैकिंग करने के लिए उपयुक्त क्षमता एवं मजबूत बीज थैलों की उपलब्धता नहीं करने की क्षेत्रीय कर्मियों से प्राप्त शिकायतों के कारण, कम्पनी ने निर्णय लिया (जुलाई 1993) कि एक किलोग्राम बाजरा/सरसों के बीज की पैकिंग हेतु 1.5 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त क्षमता वाले आकर्षक एवं मजबूत थैलों का क्रय किया जाये और भण्डार में पहले से उपलब्ध थैले, जो एक किलोग्राम बाजरा/सरसों के बीज की पैकिंग के लिये उपयुक्त नहीं थे, राज्य सरकार को उनके मिनीकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत आपूर्ति करने के लिए 800 ग्राम बीज की पैकिंग में उपयोग किये जायें। तद्नुसार, एक किलोग्राम बीज की पैकिंग के उपयोग के लिए, 12,10,200 थैलों (1.97 रुपये प्रति थैले की दर से) की आपूर्ति हेतु एकता मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड एक्सपोरट्र्स, जयपुर (एएमई) को अगस्त 1993 में क्रय आदेश दे दिया गया। जबकि उक्त क्रय आदेश के विरुद्ध आपूर्ति प्रगति में थी, कम्पनी ने अगस्त 1993 के क्रय आदेश की आपूर्ति को निरस्त/समापन करने पर विचार किये बिना, बाजरा/सरसों के बीज की एक किलोग्राम मात्रा की पैकिंग के लिए हत्थे वाले थैले क्रय करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 1993)। अगस्त 1993 के आदेश के विरुद्ध आपूर्ति सितम्बर 1993 से मार्च 1994 की अवधि में प्राप्त हुई। नवीन प्रकार के थैलों के क्रय की ओर परिवर्तन के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। पुनः 2,50,500 थैलों (3.11 रुपये प्रति थैले की दर से) के क्रय हेतु आदेश मई 1994 में एएमई को दिया गया जिसके विरुद्ध आपूर्ति जून 1994 से मार्च 1995 की अवधि में प्राप्त हुई। इन थैलों का वर्ष 1994-95 में जीएसडीपी में विक्रय के लिए बाजरा/सरसों के एक किलोग्राम बीज की पैकिंग करने हेतु उपयोग किया गया।

वर्तमान भण्डार की स्थिति को ध्यान में रखे बिना, बीज के थैलों की क्षमता एवं मजबूती की उपयुक्तता को सुनिश्चित किए बिना क्रय करने तथा अगस्त 1993 में दिये गये आदेश की अवांछित शेष मात्रा को निरस्त नहीं करने के परिणामस्वरूप, कम्पनी को 18.32 लाख थैलों, (1990-91, 1991-92 एवं 1993-94 में क्रय किए गए क्रमशः 2.90 लाख थैले, 6.81 लाख थैले एवं 8.61 लाख थैले) जो कि बिना उपयोग के पड़े थे (मार्च 1998), के भण्डार पर 28.25 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

थैलों के प्रापण में भण्डार की स्थिति को ध्यान में न रखने से, कम्पनी ने आधिक्य भण्डार जो अब तक अनुपयोगी पड़ा था, पर 28.25 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

सरकार ने बताया (मई 1998) कि थैले उपयोग करने की अवस्था में थे और उनका उपयोग 2-3 लाख प्रतिवर्ष की दर से मिनीकिट एवं प्रदर्शन के लिए पैकिंग हेतु किया जा सकेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने इन थैलों का पिछले 6-7 वर्षों की अवधि में उपयोग नहीं किया तथा भण्डार को उपयोग करने में अगले 6 वर्ष ओर लग सकते है जिसके परिणामस्वरूप समय के व्यतीत होने के साथ गुणवत्ता में गिरावट के अलावा अवरुद्ध राशि पर 26.83 लाख रुपये के ब्याज की भी हानि होगी।

4ब सांविधिक निगम

4ब.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

4ब.1.1 अतिरिक्त व्यय

मण्डल ने बिना किसी उपयुक्त कारण के परिष्कृत बुल रिंग सेगमेन्टस (बीआरएस) के 18 सेट "भेल" से खरीदने का निश्चय किया जिसकी दरें दूसरे पूर्तिकर्ताओं की अपेक्षा बहुत अधिक थी और मण्डल ने 8.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

कोटा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) की आवश्यकता (अक्टूबर 1994 में प्राप्त) की पूर्ति हेतु खुली निविदा आंमत्रित करने के बाद, अक्टूबर 1995 में मल्टीमेल्ट स्टील प्राइवेट लिमिटेड, (एमएसपीएल), रामपुराफूल को 42,677 रुपये प्रति सेट की लेन्डेड कीमत पर बीआरएस के 18 सेटों की पूर्ति करने हेतु एक क्रय आदेश दिया गया। माल अप्रैल 1996 (9 सेट) और अक्टूबर 1996 (9 सेट) में प्राप्त हुआ। जब उपर्युक्त खरीद को अंतिम रूप दिया जा रहा था, वर्ष 1996-97 के लिए बीआरएस की आवश्यकता 45 निर्धारित की गई और एमएसपीएल से आपूर्ति न होने के कारण उत्पन्न कमी की अनपेक्षित आकस्मिकता का प्रबन्ध करने हेतु 18 बीआरएस भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) से और 27 बीआरएस खुली निविदा से क्रय करने का निर्णय किया गया (सितम्बर 1995)। तद्नुसार, एक क्रय आदेश ''भेल'' को 76,580 रुपये प्रति सेट की दर से 18 बीआरएस की खरीद हेतु प्रदान किया गया (15 नवम्बर 1995), और खुली निविदा आमंत्रित करने के बाद (21 दिसम्बर 1995) एक क्रय आदेश एआईए मैगोटैक्स लिमिटेड (एआईएएमएल) को 43,360 रुपये प्रति सेट की दर से 27 बीआरएस हेतु प्रदान किया गया (22 मई 1996)। ''भेल'' से आपूर्ति अप्रैल 1996 (6 सेट) और सितम्बर 1996 (12 सेट) में प्राप्त हुई जबकि एआईएएमएल से पूर्ति नवम्बर 1996 और फरवरी 1997 के मध्य प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीआरएस के 18 सेटों के क्रय का आदेश उच्च दर पर ''भेल'' को देना, जिसके परिणामस्वरूप 8.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, उपयुक्त नहीं था क्योंकि केटीपीएस के प्राधिकारियों का यह तर्क कि एमएसपीएल माल की आपूर्ति सही समय पर नहीं कर सकेगा, भिन्न सिद्ध हुआ क्योंकि एमएसपीएल द्वारा माल की आपूर्ति सुपुर्दगी सूची के अनुरूप ही कर दी गई।

''भेल'' से उच्च कीमत पर बुल रिंग सेगमेन्टस प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 8.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार ने जून 1998 के अपने उत्तर में आगे किसी नये तथ्यों को नहीं बताया है।

4ब.1.2 उपभोक्ता का मौसमी कारखाने के रूप में अनुचित वर्गीकरण

रिफाईनरी सहित तेल मिल का ''मौसमी कारखाने'' के रूप में अनुचित वर्गीकरण के कारण न्यूनतम प्रभार के 5.52 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

समय-समय पर संशोधित विद्युत आपूर्ति टैरिफ, 1985 की धारा 3(7) के अनुसार, ''मौसमी कारखाने'' का अर्थ उन कारखानों से है जो अपने उत्पादन की प्रकृति की विशिष्टता के कारण वर्ष के अधिकतम 8 महीनों की अवधि के दौरान निरन्तर काम कर सकते हो और जिनका बेमौसम के दौरान मासिक उपभोग पूर्ववर्ती मौसमी अवधि के औसत मासिक उपभोग के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। नवम्बर 1990 में भीलवाड़ा रिफाइन एण्ड सॉलवेन्ट प्लांट प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा (उपभोक्ता) को ऑयल रिफाइनरी के लिए 138 केवीए का उच्च दाब कनेक्शन प्रदान किया गया। उपभोक्ता को अगस्त 1992 तक के बिलिंग माह तक उच्च दाब टैरिफ-वृहत औद्योगिक भार (अनुसूची एलपीएचटी-I) के अन्तर्गत बिल जारी किए गए और उपभोक्ता द्वारा इसी के अनुसार भुगतान किया गया था। उपभोक्ता द्वारा तेल मिल होने के कारण संस्थापन को मौसमी कारखाने के रूप में माने जाने की प्रार्थना

(सितम्बर 1992) पर, उपभोक्ता की वास्तविक स्थिति की जाँच कार्यकारी अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा की गई जिसने जुलाई 1993 में सूचित किया कि उपभोक्ता के पास एक तेल मिल रिफाइनरी सहित थी जो अप्रैल 1991 से जून 1993 तक निरन्तर कार्यरत थी। यद्यपि कार्यकारी अभियन्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कारखाने को बेमौसमी मानने हेतु पर्याप्त था, तब भी उपभोक्ता के परिसर को निदेशक (वाणिज्यिक संचालन) द्वारा मौसमी कारखाने के रूप में मान लिया गया और वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए 2.67 लाख रुपये की राशि सितम्बर 1994 और जून 1995 में उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी। तदनन्तर, फरवरी 1997 तक इसे मौसमी कारखाने के रूप में मानते हुए न्यूनतम प्रभारों के बिल भी 12 माह की बजाय केवल 8 माह के लिए बनाए गए। 1 मार्च 1997 को 1.79 लाख रुपये का भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया। इस प्रकार तेल मिल का मौसमी कारखाने के रूप में अनुचित वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 1992-93 से 1996-97 के दौरान न्यूनतम प्रभारों के 5.52 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

तेल मिल का मौसमी कारखाने के रूप में अनुचित वर्गीकरण के परिणामस्वरूप न्यूनतम प्रभारों के 5.52 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

सरकार ने बताया (जनवरी 1998) कि उपभोक्ता एक तेल मिल, रिफाइनरी सहित था जो टैरिफ की धारा-7 के अन्तर्गत मौसमी कारखाने की परिभाषा में आता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्यकारी प्रबन्धक (डीडी), भीलवाड़ा ने आगे मई 1998 में सूचित किया कि कनेक्शन मौसमी नहीं था।

4ब.1.3 ब्याज की हानि

निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में माल की सुपुर्दगी न करने की स्थिति में, अग्रिम पर ब्याज के कर निर्धारण सम्बन्धी किसी धारा को सम्मिलित न करने के कारण, मण्डल 7.56 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं कर सका।

केटीपीएस के पास अतिरिक्त पुर्जे रखने हेतु, मण्डल ने 1.20 करोड़ रुपये की लागत के 110 मेगावाट टरबाईन के लिए 18 वीं स्टेज से परिष्कृत एमपी रोटर की पूर्ति के लिए भेल को एक आदेश 2 फरवरी 1989 को प्रदान किया। आपूर्ति आदेश के अनुबन्धों व शर्तों, जिसमें 10 प्रतिशत ब्याज रहित अग्रिम (12 लाख रुपये) के साथ, जो 4 फरवरी 1989 को दे दिया गया था, के अनुसार माल की आपूर्ति फरवरी 1991 तक करनी थी। तथापि, भेल ने माल की आपूर्ति, 4 वर्ष और 6 माह की अवधि के बाद, सितम्बर 1995 में की। माल की आपूर्ति में इस असाधारण विलम्ब के कारणों का उल्लेख न तो अभिलेखों में था और न ही लेखापरीक्षा को सूचित किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मण्डल ने अपने क्रय आदेश में न तो सुपुर्दगी अवधि के बाद रखी गई अग्रिम राशि पर ब्याज की वसूली हेतु और न ही भेल द्वारा आपूर्ति में विलम्ब के लिए शास्ति/परिनिर्धारित नुकसान की उगाही से सम्बन्धित किसी धारा को सम्मिलित किया। इस प्रकार की धाराओं की अनुपस्थिति के कारण मण्डल भेल से निर्धारित सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद मार्च 1991 से अगस्त 1995 तक रखे अग्रिम राशि पर ब्याज (7.56 लाख रुपये) की वसूली नहीं कर सका।

> आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के बाद भी दी गई अग्रिम राशि रखे रहने के ब्याज के भुगतान की शर्त को क्रय आदेश में सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप 7.56 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (जनवरी और जून 1998) कि एमपी रोटर बीमित स्पेयर के रूप में आदेशित था और मण्डल ने क्रय आदेश में कीमत परिवर्तन धारा को शामिल न करके रोटर की लागत वृद्धि की बचत की है जिसकी भेल अक्सर माँग करता है। इसने शास्ति की धारा और अग्रिम पर ब्याज के भुगतान को भी स्वीकार नहीं किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कीमत परिवर्तन, निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में माल की सुपुर्दगी करने पर ही भुगतान योग्य होता है। इस प्रकरण में, माल की सुपुर्दगी निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के बाद दी गई और इस प्रकार से भी कोई लागत वृद्धि भुगतान योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त अग्रिम भुगतान, संग्रहण अग्रिम के रूप में है, जिस पर दूसरे संगठनों द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है, मण्डल को, यदि माल की सुपुर्दगी में निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के बाद विलम्ब हो तो अपने स्वार्थ की सुरक्षा के लिए, क्रय आदेश में अग्रिम पर ब्याज लेने हेतु एक उपयुक्त धारा को शामिल करना चाहिए था।

4ब.1.4 ईंधन अधिभार के बिल नहीं बनाना/कम राशि के बिल बनाना

ईंधन अधिभार की अन्तर राशि (118.75 लाख रुपये) के बिल बनाने में विलम्ब/नहीं बनाने के परिणामस्वरूप 18.99 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

मण्डल द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ में ईंधन लागत परिवर्तन एवं ईंधन समायोजन उपबन्ध दिये हुए है। ईंधन अधिभार (एफएससी) की अंतिम दर लम्बित रहने तक उपभोक्ताओं से अनन्तिम दर पर बिल प्रभारित किये जाते है और अंतिम समायोजन उस समय किया जाता है जब मण्डल द्वारा सम्बन्धित वर्ष (मई से अप्रैल का बिलिंग माह) के लिए ईंधन अधिभार की अंतिम दर निकाली जाती है और प्रकाशित की जाती है तथा अंतिम तथा अनन्तिम दरों के मध्य ईंधन अधिभार के अन्तर की राशि की सूचना उपभोक्ताओं को दी जाती है और उनसे वसूल की जाती है।

वर्ष 1992-93 से 1994-95 के लिए ईंधन अधिभार की अंतिम दर का प्रकाशन मण्डल द्वारा क्रमश: नवम्बर 1995, अक्टूबर 1996 और जनवरी 1997 में किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा तीन वृत्तों (बीकानेर, चुरू और हनुमानगढ़) की पाँच इकाइयों (कोलायत, लाडनूँ, लूनकरणसर, सादुलपुर और नौहर) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि :

(i) मण्डल ने मण्डल या वृत्त स्तर पर बिलों को शीघ्रता से जारी करने तथा ईंधन अधिभार की अंतिम राशि की नियमित वसूली पर निगरानी और नियंत्रण रखने हेतु कोई प्रक्रिया/विवरणी की व्यवस्था नहीं की,

(ii) इकाइयों में ईंधन अधिभार के अंतिम आदेश प्राप्त करने में 13 से 82 दिनों की देरी हुई, और

(iii) इकाइयों में निर्देश प्राप्त होने के बाद बिल बनाने में 3 से 26 माह की देरी हुई।

बिल बनाने के योग्य 118.78 लाख रुपये की अन्तर राशि में से इन पाँच इकाइयों ने 41.12 लाख रुपये के ही बिल बनाये (मार्च 1998 तक) तथा 77.66 लाख रुपये के बिल बनाने शेष थे। बिल बनाने में असाधारण विलम्ब से मण्डल को 118.78 लाख रुपये के राजस्व को जल्दी प्राप्त करने से वंचित कर दिया और उससे मार्च 1998 तक 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 18.99 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

> **ईंधन अधिभार की अंतिम दर की अन्तर राशि के बिल बनाने/नहीं बनाने में असाधारण देरी से मण्डल को 118.78 लाख रुपये के राजस्व को जल्दी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 18.99 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।**

सरकार ने बताया (मार्च 1998) कि जल्दी बिल बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये है और वसूली की प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा।

4ब.1.5 बैंकों द्वारा राशि प्रेषण का अनुश्रवण नहीं करना

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे) द्वारा हस्तान्तरित निधियों को मुख्य खाते में जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 65.70 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1992-93 के अनुच्छेद 3क.5(ii) में हस्तान्तरित निधियों को मुख्य खाते में जमा करने में विलम्ब का उल्लेख किया गया था।

मण्डल द्वारा एसबीबीजे के साथ की गयी व्यवस्था (जून 1984 और दिसम्बर 1988) के अनुसार एसबीबीजे की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्रित निधियों को, जमा शेष में जैसे ही राशि 20,000 रुपये से अधिक हो, उसी दिन तार-अन्तरण द्वारा 100 रुपये के गुणकों में जयपुर स्थित मुख्य संग्रहण खाते में हस्तान्तरित करनी होती है तथा कुल शेष को डाक-अन्तरण द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को कार्य समय की समाप्ति पर हस्तान्तरित करना होता है। प्रत्येक संग्रहण शाखा को सभी जमाओं तथा केन्द्रीय संग्रहण खाते में हस्तान्तरित निधियों का एक मासिक विवरण पात्र मण्डल को भेजना होता है। मण्डल ने, तथापि, एसबीबीजे द्वारा निधियों के प्रेषण में विलम्ब पर ब्याज की माँग नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा 7 जनवरी 1997 से 31 दिसम्बर 1997 की अवधि में 15 संचालन एवं अनुरक्षण वृत्तों (24 वृत्तों को छोड़कर) की 207 शाखाओं के लेखाओं की नमूना जाँच (जुलाई 1997-अप्रैल 1998) में यह पाया कि विभिन्न शाखाओं द्वारा तार-अन्तरण से प्राप्त राशियों को जयपुर के केन्द्रीय संग्रहण खाते में जमा करने में अत्यधिक विलम्ब एक से 297 दिनों (शाखाओं द्वारा निधियों के बाहर से/स्थानीय स्थानान्तरण में 5/2 दिन की अनुग्रह अवधि अनुमत करने के बाद) के बीच विचरित रहा।

एसबीबीजे की शाखाओं द्वारा केन्द्रीय संग्रहण खाते में निधियों के प्रेषण में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप मण्डल को 65.70 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार निधियों के प्रेषण में देरी के परिणामस्वरूप न्यूनतम ब्याज दर (14 प्रतिशत) के आधार पर, जो कि मण्डल अन्यथा उधार निधियों पर चुका रहा था, 65.70 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (फरवरी/अगस्त 1998) कि निधियों को जमा करने में देरी, जैसा कि एसबीबीजे ने 1993 में बताया, अनेक सन्देशों को विकृत रूप से तथा तार-अन्तरण को डाक प्राधिकारियों से प्राप्त करने में विलम्ब, कारण थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के अनुसार विलम्ब मुख्यतया: बैंकों से प्रेषण का मासिक विवरण पत्र प्राप्त करने का अनुपयुक्त अनुश्रवण और निधियों के सही समय पर प्रेषण करने का अपर्याप्त अनुश्रवण से सम्बन्धित था। इसके अतिरिक्त, मण्डल ने निधियों के प्रेषण में विलम्ब पर ब्याज लगाने सम्बन्धी कोई समझौता एसबीबीजे से नहीं किया जैसा कि गुजरात राज्य विद्युत मण्डल (जीएसईबी) ने किया था।

4ब.1.6 ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (गैर-परम्परागत स्रोत) तथा वित्तीय असुविधाऐं

ऊर्जा क्रय अनुबन्धों (पीपीए) में सम्मिलित होने में विभिन्न कमियों के कारण, मण्डल को उनके कार्यान्वयन पर पर्याप्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (आईपीपी) के लिए आवश्यक ईंधन का आवंटन नहीं करना भी समयबद्ध पूर्णता एवं सन्निहित उत्पादन को प्रभावित करेगा।

1. प्रस्तावना

पन्द्रहवें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस) प्रतिवेदन (जुलाई 1995) में राजस्थान राज्य के लिए ऊर्जा प्राप्ति स्थल क्षमता (बस बार*) तथा शीर्ष आवश्यकता के आधार पर वर्ष 1997-98 हेतु ऊर्जा आवश्यकता क्रमश: 23473 एमकेडब्ल्यूएच तथा 4128 एमडब्ल्यू अनुमानित की जो कि वर्ष 2001-02 तक बढ़कर क्रमश: 31881 एमकेडब्ल्यूएच तथा 5606 एमडब्ल्यू हो जायेगी।

---

* बस बार का अर्थ प्राप्ति स्थल है जहाँ मण्डल विद्युत उत्पादन स्थल से ऊर्जा प्राप्त करता है।

राजस्थान राज्य की (केन्द्रीय क्षेत्र के अंश सहित) 31 मार्च 1998 को अनुमानित स्थापित क्षमता 3958.95 एमडब्ल्यू थी और 1997-98 की अवधि में कुल उत्पादित ऊर्जा 10875 एमकेडब्ल्यूएच अनुमानित थी जिसके वर्ष 2001-02 तक क्रमशः 4154.95 एमडब्ल्यू एवं 13940 एमकेडब्ल्यूएच तक बढ़ जाने की अपेक्षा थी। ऊर्जा प्राप्ति स्थल पर 1997-98 की अवधि में अनुमानित ऊर्जा उपलब्धता (क्रमशः 826.25 एमकेडब्ल्यूएच एवं 1156 एमकेडब्ल्यूएच अपर उपभोग को घटाने के बाद) 10048.75 एमकेडब्ल्यूएच थी जिसके वर्ष 2001-02 तक बढ़कर 12784 एमकेडब्ल्यूएच हो जाने की अपेक्षा थी।

2. ऊर्जा क्रय अनुबन्धों का निष्पादन

राजस्थान में 1 अप्रैल 1995 को ऊर्जा की उपलब्धता 3009.07 एमडब्ल्यू थी जो माँग (6268.90 एमडब्ल्यू) से 48 प्रतिशत कम थी और जिसके वर्ष 2001-02 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशंका थी। अन्तर को घटाने तथा ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार ने अगस्त 1995 में आईपीपी के माध्यम से राजस्थान में ऊर्जा परियोजनाऐं स्थापित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार 2746 एमडब्ल्यू के उत्पादन के लिए, 16 आईपीपी के साथ फरवरी 1996 से दिसम्बर 1996 की अवधि में किये गये पीपीए निम्न प्रकार थे:

क्रमांक	संयंत्र का नाम	आईपीपी की संख्या	क्षमता जिसके लिए पीपीए हस्ताक्षरित किए गए
1.	लघु ऊर्जा संयंत्र	12	2646 एमडब्ल्यू
2.	सौर ऊर्जा	2	100 एमडब्ल्यू
3.	तापीय विद्युत गृह	1	702 एमडब्ल्यू
4.	लिग्नाइट विद्युत गृह	1	500 एमडब्ल्यू

3. 16 आईपीपी के साथ किए गए पीपीए में से, लेखापरीक्षा के दौरान 12 लघु ऊर्जा संयंत्रों तथा 2 सौर ऊर्जा के लिए किए गए पीपीए की विवेचना की गई और निम्नलिखित बिन्दु ध्यान में आए :

(i) विकास प्रतिभूति

पीपीए के नियम (v) के उपबन्ध संख्या 5.1 के अनुसार, आईपीपी को प्रति संयंत्र एक करोड़ रुपये (25 लाख रुपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा शेष 75 लाख रुपये बैंक गारन्टी के रूप में) की विकास प्रत्याभूति प्रस्तुत करनी थी, तथापि, 12 आईपीपी में से किसी ने भी 24 लघु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 1800 लाख रुपये की बैंक गारन्टी प्रस्तुत नहीं की, इस प्रकार आईपीपी की कमियों के कारण, मण्डल पीपीए को समापित करने के कारण उत्पन्न होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु बैंक गारन्टी की माँग करने की स्थिति में नहीं होगा।

आईपीपी द्वारा प्रदान नहीं की गई 1800 लाख रुपये की बैंक गारण्टी के अभाव में, उनकी कमियों के कारण, पीपीए को समापित करने की दशा में मण्डल इस स्थिति में नहीं होगा कि हानि की बैंक गारण्टी माँगकर क्षतिपूर्ति कर सकें।

(ii) राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अतिरिक्त साख पत्र खोलना

यद्यपि पीपीए का नियम V-सी मण्डल को इसके भुगतान दायित्वों के निष्पादन पर राज्य सरकार की गारण्टी निर्दिष्ट करता है परन्तु इसमें पाक्षिक ऊर्जा की आपूर्ति के समान 202.82 करोड़ रुपये का अपरिवर्तनीय आवर्ती साख पत्र खोलने का एक अन्य प्रावधान {नियम VII(जी)} भी है तथा ऊपर वर्णित नियम के उपबन्ध (एच) के अनुसार मण्डल की आय एवं इसके नकद संग्रहण खाते में आने वाली 150 करोड़ रुपये मासिक संग्रहण सीमा से परे अन्य नकद प्राप्तियों पर एक प्रभार भी माना गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अतिरिक्त मण्डल द्वारा साख पत्र खोला जाना केवल आईपीपी के अनुकूल है।

(iii) यथा समय भुगतान के लिए छूट उपबन्ध की अनुपस्थिति

भुगतान में विलम्ब पर बैंक दर और 8 प्रतिशत के योग से अतिरिक्त ब्याज लगाने सम्बन्धी आईपीपी के हितों की रक्षा करने हेतु प्रावधान {अन्तर्नियम VII(सी)} के बावजूद, बिलों के भुगतान पर छूट, जो भारत सरकार (ऊर्जा मंत्रालय) के दिनांक 31 मार्च 1992 के गजट अधिसूचना में सन्निहित है, खरीददार को साख पत्र के माध्यम से भुगतान करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से तथा अन्य प्रकार से भुगतान करने पर 1 प्रतिशत की दर से उपलब्ध होगी, तथापि, अनुबन्ध में छूट उपबन्ध अनुपस्थित था।इस प्रकार मण्डल को, इन आईपीपी का पीएलएफ 69.5 प्रतिशत (मण्डल का 1996-97 का पीएलएफ) लेने पर भी 281.82 करोड़ रुपये के औसत मासिक बिल का एक प्रतिशत, 2.82 करोड़ रुपये (अनुमानित) प्रतिमाह रियायत राशि छोड़नी पड़ेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 1992 के अनुसार रियायतों की उपलब्धता के लिए 'छूट उपबन्ध' की अनुपस्थिति में, मण्डल को 2.82 करोड़ रुपये की रियायत प्रतिमाह छोड़नी पड़ेगी।

(iv) परियोजनओं के निष्पादन की स्थिति

ऊर्जा संयंत्र सितम्बर 1997 से नवम्बर 2000 की अवधि में चालू किए जाने थे। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि :

- छः मामलों में केवल भूमि अवाप्त की गयी थी तथा 18 ऊर्जा संयंत्रों, जिनको सितम्बर 1998 से दिसम्बर 1999 की अवधि में चालू किया गया जाना निर्धारित था, पर निर्माण गतिविधियाँ प्रारम्भ ही नहीं की गयी थी (अगस्त 1998)।

- 2646 एमडब्ल्यू के लिए हस्ताक्षरित किये गये पीपीए के विरुद्ध, भारत सरकार ने 780 एमडब्ल्यू के लिए ही ईंधन आवंटित किया।

इस प्रकार, ईंधन यथा नेफ्था के कम आवंटन तथा ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने में विलम्ब के कारण राजस्थान राज्य इसके आईपीपी से ऊर्जा के परियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा।

4. परिनिर्धारित नुकसान

पीपीए के अन्तर्नियम-III के उपबन्ध 3.2(i) के अनुसार, मण्डल निष्क्रमण एवं संचरण सुविधाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगा। संयंत्र के वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक से तीन माह पूर्व अन्तर्सम्बद्ध सुविधाओं को पूरा नहीं करने की दशा में भी अभियन्ताओं का इस बात का प्रमाण पत्र कि ऊर्जा संयंत्र परीक्षण के लिए तैयार है, प्राप्त होने के तीस दिन के बाद ऊर्जा संयंत्र को चालू किया हुआ मान लिया जायेगा। ऊर्जा संयंत्र को चालू किया हुआ मान लेने की दशा में, आईपीपी 0.73 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच की दर से स्थायी प्रभारों का भुगतान प्राप्त करने को अधिकृत होंगे, जिसकी गणना चालू किया हुआ मान लेने की अवधि के लिये 500 केडब्ल्यूएच/केडब्ल्यू के उत्पादन स्तर पर आधारित नामपट्टिका* श्रेणी पर की जायेगी। तथापि, आईपीपी द्वारा संयंत्र को नियत तिथि तक पूरा करने में असफल रहने तथा चालू करने के समय या परियोजना अवधि में नामपट्टिका क्षमता में कमी की स्थिति में, मण्डल के हितों की रक्षा करने के लिए कोई नियम सन्निविष्ट नहीं किया गया। इससे आईपीपी को अनुचित लाभ प्रदान करने पड़ेंगे।

> **पीपीए में परिनिर्धारित नुकसान हेतु शर्त को सम्मिलित न करने से, यदि आईपीपी की कमियों के कारण परियोजना को पूरा करने में विलम्ब होता है तो भी आईपीपी को अनुचित लाभ प्रदान करने पड़ेंगे।**

---

* नामपट्टिका क्षमता का अभिप्राय ऊर्जा संयंत्र की सभी इकाइयों की नामपट्टिका क्षमता का योग है।

5. टैरिफ भुगतान और राजस्व वसूली

पीपीए के शर्तानुसार प्रस्तुत किये गये पाक्षिक बिलों का भुगतान मण्डल द्वारा बिल सम्बन्धी बीजक की सुपुर्दगी के साथ चौथे कार्य दिवस को किया जायेगा। अनुमानों के अनुसार, वाणिज्यिक परिचालन के बाद पहले वर्ष में आईपीपी को 202.81 करोड़ रुपये के ऊर्जा प्रभारों का पाक्षिक भुगतान करना होगा।

1994-95 से 1996-97 के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ऊर्जा की बिक्री के विविध देनदारों की स्थिति के विश्लेषण से पता चला कि उक्त वर्षो के लिए विविध देनदार, उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय की 77, 80 एवं 86 दिनों की आय के बराबर थे। पीपीए के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए सिर्फ 15 दिनों की उधार अवधि तथा राजस्व वसूली के लिए औसत 81 दिनों की अवधि को ध्यान में रखते हुए वसूली में कमी को पूरा करने के लिए, मण्डल को 892.36 करोड़ रुपये (202.81 करोड़ रुपये/ 15 X 66 दिन) तक की अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मण्डल द्वारा राजस्व की वसूली में सामान्य रूप से लिये जाने वाले 81 दिनों की अवधि के विरुद्ध पीपीए के अन्तर्गत 15 दिनों के उधार की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, मण्डल को 892.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करनी होगी।

यदि कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, वर्तमान में मण्डल जिस दर पर उधार प्राप्त कर रहा है, उधार लेता है तो 124.93 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का वार्षिक ब्याज का भार पड़ेगा।

6. सौर ऊर्जा

100 एमडब्ल्यू (प्रत्येक 50 एमडब्ल्यू की) की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, एक बाड़मेर जिले में तथा दूसरी जैसलमेर जिले में, दो ऊर्जा क्रय अनुबन्ध 31 दिसम्बर 1996 की निर्धारित तिथि तक पूरा करने की शर्त के साथ फरवरी 1996

एवं मार्च 1996 में हस्ताक्षरित किये गये। इनर्जन इन्टरनेशनल को नवम्बर 1995 में 200 एमडब्ल्यू के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया। तथापि, किसी भी स्थल पर निष्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की गई (अगस्त 1998)। कार्य को निष्पादित नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अनुबन्धित दायित्वों को समय में पूरा नहीं कर पाने पर परिनिर्धारित नुकसान हेतु किसी दण्ड शर्त की अनुपस्थिति में, यह संदेहास्पद है कि मण्डल विकास प्रतिभूति को जब्त करने में सक्षम होगा तथा किसी संभावित हानि के विरुद्ध मण्डल अपने हितों की रक्षा कर सकेगा।

उपर्युक्त तथ्य सरकार/मण्डल को मई 1998 में प्रतिवेदित किये गये थे लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1998)।

4ब.1.7 जे.के.सिन्थेटिक्स लिमिटेड को अनुचित लाभ

नगद प्रतिभूति के अनियमित समायोजन तथा न्यूनतम प्रभार, पावर फैक्टर प्रभार, ईंधन प्रभार और बकाया देयता की वसूली नहीं होने के कारण मण्डल को 473.35 लाख रुपये की हानि हुई।

जे.के.सिन्थेटिक्स लिमिटेड, पृथ्वीपुरा, झालावाड़ (उपभोक्ता खाता संख्या जेएलडब्ल्यूसी-एचटी-3) को 3000 केवीए का एक उच्च दाब विद्युत सम्बन्ध 20 मार्च 1989 को दिया गया जिसे 10 अगस्त 1989 को 5000 केवीए और 1 जनवरी 1990 को 8000 केवीए तक बढ़ा दिया गया और फिर 30 नवम्बर 1994 से 6000 केवीए तक कम कर दिया। अपने अधीनस्थ संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने के फलस्वरूप इसे 12 नवम्बर 1995 को शून्य तक घटा दिया गया। तद्नुसार, उपभोक्ता की प्रार्थना पर इस स्पष्ट अनुबद्धता के साथ कि केवल आपातकाल में ही विद्युत प्राप्त करेंगे क्योंकि वे अपने अधीनस्थ शक्ति संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपने संयंत्र द्वारा उत्पादित आधिक्य ऊर्जा को मण्डल को भी प्रदान करेंगे, विद्युत सम्बन्ध

को स्थायी से अस्थायी में परिवर्तित कर दिया गया। उपभोक्ता की प्रार्थना (1 जनवरी 1996) पर निदेशक, वाणिज्यिक ने वर्ष 1992-93 के लिए ईंधन प्रभार की अन्तर दर और 2 अक्टूबर 1995 से 31 अक्टूबर 1995 तक की तालाबन्दी के अवधि के ऊर्जा प्रभार की राशि के विरुद्ध देय भुगतान के सम्बन्ध में जमा प्रतिभूति (35.13 लाख रुपये) का समायोजन करने की अनुमति दी (फरवरी 1996)। नगद प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया देयता 31 मार्च 1997 को 54.46 लाख रुपये थी।

यह जानकर कि उपभोक्ता बकाया देयताओं का भुगतान नहीं कर रहा था और देयताओं को वसूल करने की प्रतिभूति नहीं थी, मण्डल ने 1 अप्रैल 1997 से 10 लाख रुपये मासिक किश्तों में देयतओं की वसूली हेतु समझौता किया। 19 मई 1997 को 10 लाख रुपये का एक भुगतान करने के बाद, उपभोक्ता ने वचनबद्ध भुगतान करना बंद् कर दिया। इसलिए, विद्युत आपूर्ति का सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया (27 मई 1997), जिसे 30 जुलाई 1997 को इस वचनबद्धता पर पुनः चालू कर दिया कि 30 लाख रुपये तुरन्त तथा शेष किश्तों में जमा कराए। विद्युत आपूर्ति का दुबारा 3 सितम्बर 1997 को सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया क्योंकि उपभोक्ता इस वचनबद्धता को भी पूरा करने में असफल रहा।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है :

(अ) प्रतिभूति का अनियमित समायोजन

आपूर्ति की साधारण शर्तो और विविध प्रभारों की श्रेणी के अनुसार केवल अनुबन्ध की समाप्ति और मण्डल की सभी संभावित देयताओं के समायोजन के बाद ही जमा प्रतिभूति पुनः लौटाई/समायोजित की जा सकती थी लेकिन इस प्रकरण में, अनुबन्ध समाप्त नहीं किया गया लेकिन आपूर्ति की प्रकृति को स्थायी सम्बन्ध से अस्थायी सम्बन्ध में बदल दिया गया और इस प्रकार उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया

देयताओं की स्थिति मालूम किए बिना ही जमा नगद प्रतिभूति को ईंधन प्रभार हेतु समायोजित कर दिया गया जोकि मण्डल के हित में नहीं था। 30 मई 1997 को लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, मण्डल के निदेशक, वाणिज्यिक द्वारा बताया गया कि समायोजन प्रामाणिक प्रथा और स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किया गया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन सीनेह एण्ड कम्पनी, अजमेर के इसी तरह के प्रकरण में, उपभोक्ता की नगद प्रतिभूति और बैंक गारण्टी को बकाया देयता के विरुद्ध रोक लिया गया था और एक अनुमति पत्र भी प्राप्त किया गया था कि यदि भावी माँगों के लिए राशि कम पड़ जायेगी तो शेष राशि उपभोक्ता द्वारा जमा करा दी जायेगी।

नगद प्रतिभूति के अनियमित समायोजन के फलस्वरूप न केवल 15.81 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई बल्कि देयताओं की वसूली को भी संदिग्ध बना दिया।

इस प्रकार, मण्डल ने न केवल मण्डल के पास उपलब्ध जमा नगद प्रतिभूति (सीएसडी) के 35.13 लाख रुपये पर 15.81 लाख रुपये का ब्याज खोया बल्कि अपनी देयताओं की वसूली को भी संदिग्ध बना दिया।

मण्डल ने आगे बताया (नवम्बर 1997) कि बैंक गारण्टी समयानुसार मांगी गई थी लेकिन बैंक ने राशि अदा नहीं की। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 11 मार्च 1995 को समाप्त हो रही बैंक गारण्टी मांगने के लिए मण्डल ने पहली बार 8 मार्च 1995 को बैंक से सम्पर्क किया और इसके बाद कभी भी इस प्रकरण का अनुसरण नहीं किया गया।

(ब) न्यूनतम प्रभारों की वसूली नहीं करना

(i) उन प्रकरणों में जहाँ एक महीने में विद्युत का वास्तविक उपभोग न्यूनतम उपभोग से कम रहता है, उपभोक्ता को न्यूनतम उपभोग प्रभार का भुगतान करना आवश्यक है। लेकिन इस प्रकरण में, उपभोक्ता को केवल विद्युत के वास्तविक उपभोग का बिल जारी किया गया जो कि न्यूनतम उपभोग से कम था। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1995 और मई 1997 की अवधि में विद्युत प्रभारों के 175.06 लाख रुपये की कम वसूली की गयी थी।

(ii) उपभोक्ता को कारखाने के 8 घन्टे काम के आधार पर गणना किये गये एक महीने के उपभोग की राशि के बराबर राशि जमा करानी अपेक्षित थी। मण्डल ने उपभोक्ता को राशि जमा कराने के लिए नहीं कहा जो कि 50.76 लाख रुपये थी।

सरकार ने बताया (फरवरी 1998) कि विद्युत प्रभारों की कम वसूली की गणना और विद्युत सम्बन्ध को अस्थाई मानते हुए एक महीने की जमा के लिए कहना गलत था क्योंकि उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति विशेष समझौते के अन्तर्गत थी जिसके अन्तर्गत अस्थाई उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ उपभोक्ता से वसूल करनी थी और मण्डल ने 1.5 गुणा की दर से प्रभार (650.77 लाख रुपये) वसूल किया जो कि दूसरी दृष्टि से विद्युत सम्बन्ध को स्थाई मानते हुये वास्तविक उपभोग पर देय राशि (567.41 लाख रुपये) से अधिक था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुबंधित माँग को शून्य तक घटा दिया गया था और उपभोक्ता को मण्डल से विद्युत लेने की अनुमति केवल उपभोक्ता के अधीनस्थ संयंत्र के नित्यक्रम अनुरक्षण/खराब हो जाने की स्थिति में आश्रय व्यवस्थानुसार थी। इस वर्तमान प्रकरण में, उपभोक्ता द्वारा विद्युत नियमित रूप से प्राप्त की गई। इस प्रकार, न्यूनतम प्रभारों की वसूली नहीं करने के लाभ की अनुमति देना और जमा प्रतिभूति प्राप्त नहीं करना, उपभोक्ता के साथ किये गये विशेष समझौते के निष्कर्षो के विरुद्ध था और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को 225.82 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

न्यूनतम प्रभारों की वसूली नहीं करने और विद्युत की नियमित आपूर्ति के बावजूद प्रतिभूति प्राप्त नहीं करने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को 225.82 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

(स) वसूली नहीं करना

विद्युत आपूर्ति की टैरिफ के अनुसार, उपभोक्ता को कम से कम 0.90 पावर फैक्टर बनाये रखने की आवश्यकता थी। पावर फैक्टर के 0.90 से कम रहने की स्थिति में उपयुक्त दर से एक अधिभार वसूल करना पड़ता था लेकिन मण्डल ने उपभोक्ता को 0.90 तक पावर फैक्टर का अनुरक्षण नहीं करने के बावजूद बिल जारी नहीं किया।

इसी प्रकार, अस्थाई आपूर्ति प्राप्त कर रहे एचटी उपभोक्ता को ईंधन अधिभार के बिल सामान्य दर प्लस 50 प्रतिशत से जारी करने थे जबकि उपभोक्ता को मण्डल द्वारा ईंधन अधिभार की सामान्य दर से बिल जारी किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर उपभोक्ता को 116.25 लाख रुपये (पावर फैक्टर प्रभार के 62.75 लाख रुपये और ईंधन प्रभार के 53.50 लाख रुपये) का बिल जारी किया गया (अगस्त 1997) लेकिन उपभोक्ता ने कुछ भी भुगतान नहीं किया। यदि बिल समय पर जारी किए जाते तो मण्डल देयताओं को वसूल कर सकता था।

पावर फैक्टर प्रभार के बिल समय पर जारी नहीं करने और ईंधन प्रभार के कम राशि के बिल बनाने और इस पर कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं होने के कारण मण्डल 221.27 लाख रुपये की बकाया देयताओं को वसूल करने में समर्थ नहीं हो सकेगा।

31 मार्च 1998 को उपभोक्ता के विरुद्ध मण्डल की कुल बकाया देयताओं की राशि 221.27 लाख रुपये थी। क्योंकि सितम्बर 1997 में उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति का सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया, संयंत्र संचालन में नहीं है और मण्डल के पास वित्तीय नियंत्रण नहीं है, अत: देयताओं की वसूली के अवसर बहुत कम हो गए।

सरकार ने बताया (फरवरी 1998) कि इयूडीआर एक्ट, 1992 के अन्तर्गत देयताओं की वसूली के लिए उपभोक्ताओं को 8 अगस्त 1997 को नोटिस जारी कर

दिया गया था और भू-राजस्व कानून, 1956 के नियम 229 के अन्तर्गत चल सम्पत्ति का उल्लेख करने हेतु नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है।

(द) प्राप्त विद्युत की लागत का समायोजन नहीं करना

यह ध्यान देना रूचिकर है कि उपभोक्ता के साथ किए गए विशेष समझौते के अनुसार, मण्डल ने दिसम्बर 1995 और मई 1996 की अवधि में उपभोक्ता के अधीनस्थ संयंत्र से 10.45 लाख रुपये की विद्युत प्राप्त की और देयताओं का समायोजन किए बिना अप्रैल 1996 और जून 1996 की अवधि में भुगतान कर दिया।

सरकार ने बताया (फरवरी 1998) कि मण्डल द्वारा विद्युत देने और विद्युत प्राप्त करने से सम्बन्धित बिल विभिन्न एजेन्सियों द्वारा अलग-अलग जारी किए जा रहे थे और इस प्रकार उनका आपस में मिलान करना रह गया था। मण्डल का उत्तर मण्डल की विभिन्न एजेन्सियों के मध्य समन्वय नहीं होना दर्शाता है जिसके परिणामस्व्यप उपभोक्ता को 10.45 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

> उपभोक्ता से प्राप्त विद्युत और उसे आपूर्त विद्युत के प्रभारों का समायोजन नहीं करने के कारण मण्डल ने उपभोक्ता को 10.45 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

4ब.1.8 विद्युत प्रभारों के कम राशि के बिल बनाना

मण्डल ने आपूर्ति की सामान्य शर्तों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उपभोक्ता से औसत उपभोग के बजाय वास्तविक उपभोग पर प्रभार लगाया जबकि मीटर उपकरण दोषपूर्ण थे। इसके परिणामस्वरूप 17.80 लाख रुपये की कम राशि का बिल बना।

माउण्ट शिवालिक उद्योग, गुन्टी, बहरोड़ (एमएसआई) के परिसर में लगाए गए (17 मई 1995) केडब्ल्यूएच, केवीएएच और केवीए मीटर उपकरण, जो दोषपूर्ण थे (जैसा कि फरवरी 1996 में मीटर और संरक्षण वृत्त द्वारा बताया गया), मार्च 1996 में स्टेटिक मीटर से बदल दिये गये। आगे 29 मार्च 1996 को सीटी/पीटी सेट जल गया,

उसे एमएसआई से लागत (0.47 लाख रुपये) की वसूली किए बिना 26 अप्रैल 1996 को पुनः बदल दिया गया। इसके बाद, मीटर उपकरण सही उपभोग बता रहे थे। आपूर्ति की सामान्य शर्तों की धारा 19 (डी) (vii) के प्रावधानों और विविध प्रभारों के मान, जिसे अक्टूबर 1995 में संशोधित किया गया, के अनुसार एमएसआई पर सही मीटर उपकरण लगाने के तुरन्त बाद अनुवर्ती चार माह की अवधि के औसत उपभोग के आधार पर प्रभार लगाया जाना चाहिए था। इस अवधि (मई 1995 से अप्रैल 1996) के दौरान जिसमें मीटर उपकरण दोषपूर्ण रहे, एमएसआई को वास्तविक उपभोग/न्यूनतम उपभोग के बिल जारी किए गये। जिसके परिणामस्वरूप एमएसआई का, सीटी/पीटी सेटों की वसूलनीय लागत को सम्मिलित करते हुए, 17.80 लाख रुपये की कम राशि का बिल बनाया गया। मण्डल द्वारा कम प्रभारित राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई (अगस्त 1998)।

विद्युत उपभोग की गलत गणना के कारण 17.80 लाख रुपये की राशि का कम बिल बना/वसूली की।

सरकार ने बताया (जून 1998) कि मई 1995 में एमएसआई के परिसर में लगाए गये मीटर उपकरण सही थे। तथापि, जाँच (फरवरी 1996) में यह पाया कि मीटर का 'आर' फेज गायब था और उससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि मीटर उपकरण इनकी स्थापना के समय से ही दोषपूर्ण थे। उत्तर निम्नलिखित कारणों से तर्कसंगत नहीं है :-

- मण्डल के 22 अप्रैल 1978 के आदेश के अनुसार, उपभोक्ता के परिसर की नवम्बर 1995 तक जाँच (छः माह में एक बार) की जानी थी, इसके बजाय इसकी फरवरी 1996 में जाँच की गई, जिससे मीटर उपकरण में दोष का पता लगाने में देरी हुई।
- जून 1995 में, उपभोक्ता ने मण्डल को सूचित किया कि पीटी सेट में खराबी है,

- जाँच रिपोर्ट (फरवरी 1996) में यह उल्लेख नहीं था कि एमएसआई की गलती के कारण 'आर' फेज गायब था, इस कारण स्थापना के समय से ही सभी फेजों का उचित सम्बन्ध नहीं करने के अवसरों को नकारा नहीं जा सकता, और
- मण्डल ने, तथापि, अनुवर्ती चार माह के आधार पर औसत उपभोग की गणना नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया।

4ब.2 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.2.1 कमीशन का परिहार्य भुगतान

मण्डल ने बुकिंग कार्यालयों से अपने बुकिंग क्लर्कों को हटा लिया और यह काम निजी एजेन्टों को सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप एजेन्टों को कमीशन (16 लाख रुपये) का परिहार्य भुगतान हुआ।

बुकिंग क्लर्कों को मार्ग पर लगाकर अड्डा कन्डक्टर की कमी को दूर करने के लिए निगम ने कमीशन आधार पर प्राधिकृत बुकिंग एजेन्टों द्वारा टिकट बेचने की प्रणाली आरम्भ की (जुलाई 1991)। निर्धारित शर्तों और नियमों के अन्तर्गत एजेन्सी देने हेतु आगारों के मुख्य प्रबन्धकों को प्राधिकृत किया गया (जून 1991)। अक्टूबर 1993 में, कोटपूतली आगार के 19 बुकिंग कार्यालयों को बुकिंग एजेन्टों में आवंटित किया गया जिससे आगार के 19 बुकिंग क्लर्क (बानसूर-5, बहरोड़-4, खैरथल-4, पाटन-2 और कोटपूतली-4) अधिशेष माने गये। अधिशेष माने गये बुकिंग क्लर्कों की सेवाओं का उपयोग मार्ग पर कन्डक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रस्तावित था।

इन 19 बुकिंग क्लर्कों में से 2 बुकिंग क्लर्कों का मार्ग पर कन्डक्टर के रूप में उपयोग किया गया, शेष 17 बुकिंग क्लर्कों का उपयोग पश्च लेखापरीक्षा, चैक पोस्ट पर राजस्व रोकड़िया या मार्ग-पत्रकों की जाँच के लिए किया गया। कोटपूतली

आगार के मुख्य प्रबन्धक ने सूचित किया (दिसम्बर 1995) कि अतिरिक्त बुकिंग क्लर्कों को मार्ग पर पदस्थापित करने के विरुद्ध बुकिंग क्लर्कों ने उच्च न्यायालय से इस आधार पर स्थगन प्राप्त कर लिया कि नियुक्ति की नीति के अनुसार, 1975 तक नियुक्त किये गये कन्डक्टरों और जिन्होंने बुकिंग क्लर्क के पद हेतु विकल्प दिया था, उनको अड्डा कन्डक्टर/मार्ग पर कन्डक्टर का कार्य करने हेतु नहीं कहा जायेगा और इस कारण उनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय के कार्य में लिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया कि निगम का कमीशन आधार पर बुकिंग एजेन्टों को बुकिंग कार्यालय आवंटित करने का निर्णय इन आधारों पर अविवेकपूर्ण था कि :

(i) 17 बुकिंग क्लर्क, अधिशेष माने हुये, वे थे जिन्होंने निगम की नीति के फलस्वरूप बुकिंग क्लर्क के रूप में विकल्प दिया था और उनका अड्डा कन्डक्टर/कन्डक्टर के रूप में कार्य करने हेतु उपयोग नहीं किया जा सका;

(ii) दिसम्बर 1993 से जुलाई 1996 के दौरान और उसके बाद में भी कोटपूतली आगार में हमेशा से ही मण्डल के 1987-88 के निर्णय की अनुपालना में स्वीकृत स्टॉफ से अधिक स्टॉफ था। इस प्रकार, बुकिंग एजेन्टों को बुकिंग कार्यालय आवंटित करने के कारण न केवल बुकिंग क्लर्कों का कम उपयोग हुआ बल्कि एजेन्टों को भी 16 लाख रुपये के कमीशन का परिहार्य भुगतान हुआ।

बुकिंग एजेन्टों को बुकिंग कार्यालय आवंटित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 16 लाख रुपये के कमीशन का परिहार्य भुगतान हुआ।

उपर्युक्त तथ्यों (i) और (ii) की उपेक्षा करने के निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप दिसम्बर 1993 से जून 1997 के दौरान बुकिंग एजेन्टों को 16 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

4ब.2.2 तृतीय पक्ष दावों के लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त करने में विलम्ब

तृतीय पक्ष दुर्घटना के लिए बीमा आवरण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति देने में राज्य सरकार द्वारा विलम्ब होने के कारण निगम दुर्घटना दावों में 3.02 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहा।

मोटर वाहन कानून, 1988 के प्रावधानों के अनुसार मण्डल अपनी गाडियों द्वारा दुर्घटना, करने के मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें मोटर वाहन का उपयोग करने के कारण, मृत्यु या व्यक्तियों को शारीरिक चोट या तृतीय पक्ष की किसी सम्पत्ति का नुकसान शामिल है। इस प्रकार के दावों का निर्णय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा किया जाता है।

निगम ने इस प्रकार के दावों की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का बीमा आवरण प्राप्त नहीं किया और तृतीय पक्षों को भुगतान अपने स्वयं के संसाधनों से ही किया गया। 14 नवम्बर 1994 से उपर्युक्त कानून की धारा 140 के अनुसार 'कोई गलती नहीं' के सिद्धान्त पर प्रारम्भिक भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति की राशि मृत्यु/तृतीय पक्ष की पूर्ण अयोग्यता के मामलों में क्रमशः 25000 रुपये/12000 रुपये से बढ़ाकर 50,000/ 25,000 रुपये कर दी गयी। एक नयी जोड़ी गयी धारा 163-ए के अन्तर्गत, भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति राशि की गणना, तृतीय पक्ष की वार्षिक आय और उम्र को निर्धारित गुणक से गुणा करने के आधार पर गठित सूत्र से की जानी थी। बसों की औसत संख्या में वृद्धि (1993-94 में 3857, 1994-95 में 4164, 1995-96 में 4184 और 1996-97 में 4492) और प्रति व्यक्ति आय में सामान्य वृद्धि से, 1996-97 तक पिछले चार वर्षों के दौरान भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि 5.54 करोड़ रुपये से 7.34 करोड़ रुपये के मध्य विचरित रही।

निगम द्वारा मार्च 1996 में आमन्त्रित किये गये प्रस्तावों के जवाब में सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित दरों (मई 1996) के आधार पर, 4492 बसों के लिए प्रीमियम का वार्षिक भार 2.88 करोड़ रुपये निकाला गया। इस विषय पर निगम द्वारा विचार किया गया (सितम्बर 1996) और मामले को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया (नवम्बर 1996) जिसकी स्वीकृति, बिना कारणों का उल्लेख किये,

राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई। सरकार ने बताया (नवम्बर 1997) कि स्वीकृति सरकार के पास विचाराधीन होने तक निगम को दुर्घटना दावों को स्वीकारना पड़ा।

> तृतीय पक्ष दुर्घटनाओं के लिए बीमा आवरण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब के फलस्वरूप निगम दुर्घटना दावों में 3.02 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहा ।

यदि सरकार बीमा पॉलिसी को प्राप्त करने की स्वीकृति का अनुमोदन कर देती तो निगम क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान की गई राशि (5.90 करोड़ रुपये) और प्रीमियम के लिए भुगतान योग्य राशि (2.88 करोड़ रुपये) के अन्तर (3.02 करोड़ रुपये) को वर्ष 1996-97 के लिए ही बचा लेता।

सरकार ने बताया (मई 1998) कि प्रारम्भ में औपचारिक विचार विमर्श के दौरान बीमा कम्पनियों ने तृतीय पक्ष दायित्वों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की अनिच्छा व्यक्त की और अनुमोदन सरकार के पास लम्बित रहने से बीमा आवरण प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मई 1996 में, बीमा कम्पनियाँ अपनी दरें पहले ही प्रस्तावित कर चुकी थी।

4ब.2.3 दुकानों को किराये पर देने में विलम्ब

मत्स्य नगर आगार, अलवर में नये बनाए गए बस अड्डे पर दुकानों को किराये पर देने में विलम्ब के कारण निगम 4.82 लाख रुपये के सम्भावित राजस्व को प्राप्त करने से वंचित रहा।

निगम के मत्स्य नगर आगार (अलवर) पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 26.55 लाख रुपये की लागत से आवास विकास संस्थान के माध्यम से एक नया बस अड्डा, जिसमें यात्री प्लेटफार्म, बुकिंग कार्यालय इत्यादि सम्मिलित थे, और आठ दुकानों का निर्माण करवाया (जून 1995)। बस अड्डे का भौतिक कब्जा जुलाई 1995 में प्राप्त किया गया।

नवनिर्मित बस अड्डे से बसों का संचालन अगस्त 1995 से शुरू हुआ जबकि आगार द्वारा दुकानों को आवंटित करने की कार्यवाही विलम्ब से दिसम्बर 1995 में

शुरू की तथा दुकानों को आवंटित करने का प्रस्ताव निगम के मुख्यालय को अनुमोदनार्थ भेजा गया (दिसम्बर 1995)। मुख्यालय ने फरवरी 1996 में अलवर आगार के पुराने बस अड्डे पर विद्यमान लाइसेंसी को एक दुकान आवंटित करने की अपनी स्वीकृति दी जो कि 2700 रुपये प्रतिमाह की दर से फरवरी 1996 में आवंटित की गई और शेष 7 दुकानों को प्रस्ताव आमंत्रण द्वारा आवंटित करने की सलाह दी। दुकानों के आवंटन हेतु प्रस्ताव, तथापि, विलम्ब से, सितम्बर 1996 में आमंत्रित किए गये और 7 दुकानें 1 अक्टूबर 1996 से 3109 रुपये से 8900 रुपये के मध्य विचरित मासिक लाइसेंस फीस की दर से किराये पर दी। आवंटन के बाद, निगम नियमित रूप से किराया प्राप्त कर रहा है।

दुकानों को किराये पर देने में विलम्ब के कारण आरएसआरटीसी 4.82 लाख रुपये की संभावित आय से वंचित रहा।

इस प्रकार, निविदाओं की कार्यवाही करने में पर्याप्त समझी जाने वाली 2 महीने की अवधि लेने के बाद, दुकानों को किराये पर देने की कार्यवाही को पूरा करने में 14 महीने लेने के कारण निगम 4.82 लाख रुपये की सम्भावित आय प्राप्त करने से वंचित रहा और परिणामस्वरूप 0.72 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (मई 1998) कि दुकानों के आवंटन में देरी मुख्यतया आगार पर बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण थी। उत्तर इस कारण से तर्कसंगत नहीं है कि दुकानों को किराये पर देने के प्रस्ताव के निबंधनों और शर्तो के अनुसार लाइसेंसियों को बिजली और पानी के कनेक्शन अपने स्वयं के स्तर और लागत से प्राप्त करने थे।

4ब.2.4 सांगानेर में भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब

अल्प राशि (1.02 लाख रुपये) का भुगतान नहीं करने के कारण भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप निर्माण की अनुमानित लागत में 30.55 लाख रुपये की वृद्धि हो गयी।

जयपुर में नगरीय बस सेवा का विस्तार करने के कारण, राज्य सरकार ने निर्णय किया (फरवरी 1993) कि निगम को नया बस आगार और बस अड्डे के निर्माण के लिए भू-खण्ड उपलब्ध करवाया जाये। निर्णय के अनुसार भूमि की लागत, जहाँ भूमि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (आरएचबी)/जयपुर विकास प्राधिकरण(जेडीए)/ नगर निगम/रीको इत्यादि से सम्बन्धित हो वहाँ भूमि की अवाप्ति लागत और भूमि के सीधे विकास की लागत होगी और जहाँ भूमि राज्य सरकार से सम्बन्धित हो वहाँ बिना लागत होगी।

आरएचबी ने अपनी सांगानेर स्कीम के सैक्टर संख्या-10 में 245 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 15,550 वर्ग मीटर माप का एक भू-खण्ड पट्टे के आधार पर आवंटित करने (जुलाई 1993) का प्रस्ताव दिया और निगम को तीन महीने के अंदर 41.20 लाख रुपये की एक राशि जमा करने और आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित करने की सलाह थी। निगम ने आरएचबी से प्रार्थना की (जुलाई 1993) कि दरें फरवरी 1993 के सरकारी आदेश के अनुसार प्रभारित की जायें। तद्नुसार, निगम से विचार विमर्श के बाद आरएचबी ने 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 15,550 वर्ग मीटर भू-खण्ड की लागत के रूप में 12.44 लाख रुपये जमा कराने की पुष्टि भेजने के लिये सूचित किया (अक्टूबर 1993)। भूमि 3 जनवरी 1994 को आवंटित की गई और निगम को 13.87 लाख रुपये (भूमि की कीमत: 12.44 लाख रुपये, विविध प्रभार : 1.12 लाख रुपये और एक वर्ष के लिए अग्रिम पट्टा राशि के 0.31 लाख रुपये) तीन महीनों के अंदर जमा कराने थे। निगम ने, तथापि, केवल 12.75 लाख रुपये की राशि 12 जनवरी 1994 को जमा कराई और आरएचबी से भूमि का कब्जा देने की प्रार्थना की। आरएचबी ने निगम को सूचित किया (फरवरी 1994) कि विविध प्रभारों के हेतु 1.12 लाख रुपये की शेष राशि की प्राप्ति

के बिना भूमि का कब्जा नहीं दिया जायेगा। इस राशि के अधित्याग के निगम के निवेदन (फरवरी 1994) को नहीं माना गया। निगम ने 1.20 लाख रुपये (ब्याज सहित) अगस्त/सितम्बर 1994 में जमा कराये।

आरएचबी ने आगे 28 सितम्बर 1994 को, पट्टा राशि और जुलाई 1994 तक राशि जमा कराने में विलम्ब पर ब्याज हेतु 1.03 लाख रुपये 30 सितम्बर 1994 तक जमा कराने की माँग की। प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिवाद के अंतर्गत राशि जमा कराने के आदेशों (अगस्त 1995) के बावजूद निगम द्वारा आगे कोई भुगतान नहीं किया गया। आहरित चैक (28 अगस्त 1995) को बाद में, आरएचबी के अध्यक्ष और आवासन आयुक्त के मामले में संभावित बातचीत के आधार पर, 23 मार्च 1996 को निरस्त कर दिया गया।

जून 1997 में, निगम और आरएचबी के मध्य मामले पर विचार-विमर्श हुआ, जहाँ आरएचबी भूमि का कब्जा देने पर सहमत हुई बशर्ते कि जनवरी 1997 तक चुकाने वाली पट्टा राशि और पूर्व माँगों को जमा कराने में विलम्ब पर ब्याज हेतु 2.05 लाख रुपये की माँग (जनवरी 1997) का 50 प्रतिशत जनवरी 1997 तक भुगतान कर दिया जाये। ब्याज के अधित्याग के मामले पर, तथापि, इसकी उप समिति द्वारा निर्णय लिया जाना था। 30 जुलाई 1997 को 1.02 लाख रुपये का भुगतान किया गया। भूमि का कब्जा, तथापि, विलम्ब से 24 जनवरी 1998 को लिया गया। भूमि का का कब्जा प्राप्त करने में विलम्ब के कारण, निगम को मई 1994 में अनुमोदित 44.35 लाख रुपये की मूल स्वीकृति के विरुद्ध बस अड्डे के निर्माण हेतु 75 लाख रुपये की परिवर्तित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति को अनुमोदित करना पड़ा (मार्च 1998)।

> अल्प राशि का भुगतान नहीं के कारण भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप जनवरी 1994 से निधियों के अवरुद्ध होने पर 7.46 लाख रुपये के ब्याज की हानि तथा 30.55 लाख रुपये की अतिरिक्त निर्माण लागत को वहन करना पड़ेगा।

इस प्रकार, विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल जनवरी 1994 से अवरुद्ध निधियों पर 7.46 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई बल्कि आगार के निर्माण में 30.55 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत को वहन करना पड़ेगा।

सरकार ने बताया (जून 1998) कि जब भूमि का कब्जा लिया जा रहा था, यह ध्यान में आया कि पहले दिखायी गई भूमि के स्थान पर, आरएचबी दूसरा भू-खण्ड आवंटित कर रहा था जिसमें गहरे गढ्ढे थे और इसलिए निगम ने भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया और आरएचबी से दूसरा भू-खण्ड आवंटित करने के लिए निवेदन किया। ब्याज की हानि के सम्बन्ध में, सरकार ने बताया कि यदि भूमि वर्तमान में प्राप्त की जाती तो इसकी लागत बहुत अधिक होती।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विविध प्रभारों के 1.02 लाख रुपये की अल्प राशि और ब्याज को समय पर जमा कराया जाता तो निगम प्रारंभ में आवंटित भूमि का कब्जा लेने की स्थिति में होता और 7.46 लाख रुपये के ब्याज की हानि के अलावा नई जगह पर आगार के निर्माण पर 30.55 लाख रुपये के अतिरिक्त दायित्व से बच जाता।

4ब.2.5 एक स्वीकार्य प्रस्ताव पर टायरों का विक्रय नहीं करने के कारण हानि

निगम की वास्तविक आधार पर बेकार टायरों की बिक्री के लिए क्षतिपूरक (ऑफसेट) कीमत निर्धारित करने में असफलता के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्द्धी दरों के लाभ को प्राप्त नहीं किया और 2.46 लाख रुपये की हानि वहन करके इन टायरों की व्यथित बिक्री का आश्रय लेना पड़ा।

निगम अपने बेकार टायरों की बिक्री खुली नीलामी या मोहरबंद प्रस्तावों के आधार पर करता है। प्राप्त किए गए नीलामी आदेशों/प्रस्तावों की तुलना समय-समय पर निर्धारित क्षतिपूरक कीमत से की जाती है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, क्षतिपूरक कीमतें पूर्व की नीलामियों या मुहरबंद प्रस्तावों, अवधि जिसमें माल बिना बिके पड़ा रहा और बाजार प्रवृति में प्राप्त दरों के आधार पर निश्चित/संशोधित की जाती है। मार्च 1996 से फरवरी 1997 की अवधि से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि निर्धारित/संशोधित क्षतिपूरक कीमतें अवास्तविक थी, जैसा कि नीचे प्रकट किया गया है:

- मार्च 1996 से फरवरी 1997 के दौरान, बेकार टायरों की बिक्री के लिए आठ नीलामी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्राप्त प्रस्ताव 90 रुपये से 135 रुपये प्रति टायर (विशिष्ट ढेर के 1000 टायरों के लिए 151 रुपये प्रति टायर को छोड़कर) के मध्य थे। इनको क्षतिपूरक कीमत जो 154 रुपये प्रति टायर थी, से कम होने की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया। क्षतिपूरक कीमत जनवरी 1996 में आयोजित नीलामी में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निर्धारित की गई थी। तथापि, यह ध्यान में आया कि निगम द्वारा निर्धारित क्षतिपूरक कीमतें वास्तविक नहीं थी क्योंकि बोलीकर्ता ने केवल दरें उद्धृत की थी लेकिन माल नहीं उठाया था। यद्यपि, निगम पूर्व नीलामी (नवम्बर 1995) में 125 रुपये प्रति टायर का उच्चतम प्रस्ताव प्राप्त कर चुका था, इसने 154 रुपये प्रति टायर की क्षतिपूरक कीमत को निर्धारित करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया।

- बहुत विलम्ब से (फरवरी 1997) क्षतिपूरक कीमत को 110 रुपये प्रति टायर तक उन दरों के आधार पर कम कर दिया गया जिन पर मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) दूसरे राज्य परिवहन उपक्रमों के बेकार टायरों का विक्रय कर चुका था।

टायर एक अग्नि प्रणत वस्तु है और गोदाम में दीर्घ समय तक रखने से इनमें दरारें पड़ जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि पूर्व 4 नीलामियों में विभिन्न पार्टियों द्वारा दी गई उच्चतम नीलामी बोलियाँ 130 रुपये प्रति टायर थी, जो बाजार प्रवृत्ति का चित्रण करती थी, गोदाम में पड़े 14,500 बेकार टायरों के लिए अगस्त 1996 में प्राप्त 135 रुपये प्रति टायर के प्रस्ताव को, क्षतिपूरक कीमत से कम होने के कारण अस्वीकार करना अविवेकपूर्ण था।

तद्नन्तर, जून से अक्टूबर 1997 के दौरान, उपर्युक्त 14,500 टायरों को 125 रुपये से 110 रुपये प्रति टायर के मध्य दरों पर विक्रय कर दिया गया।

वास्तविक क्षतिपूरक कीमत का निर्धारण नहीं करने के परिणामस्वरूप बेकार टायरों की बिक्री से कम वसूली होने के कारण 2.46 लाख रुपये की हानि हुई।

क्षतिपूरक कीमतों को पूर्व नीलामियों/मुहरबंद प्रस्तावों या बाजार प्रवृत्ति में प्राप्त दरों के आधार पर समय पर निर्धारित नहीं करने के कारण, 14,500 टायरों का 135 रुपये प्रति टायर की दर से विक्रय नहीं किया जा सका और कम कीमत पर विक्रय किया गया जिसके फलस्वरूप 2.46 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने बताया (मई 1998) कि क्षतिपूरक कीमतें, पूर्व नीलामियों में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा उच्च दरें प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जैसा कि ऊपर वर्णित है, निर्धारित क्षतिपूरक कीमतें अवास्तविक थी क्योंकि निगम जनवरी 1996 में उच्चतम बोली लगाने वाले से प्राप्त दरों (154 रुपये प्रति टायर) पर टायरों का विक्रय इस कारण नहीं कर सका था कि बोलीकर्ता ने टायरों को नहीं उठाया।

4ब.2.6 बियरिंग्स का क्रय

निगम द्वारा बियरिंग्स के आदेश देते समय एक फर्म को उपेक्षित किया गया जिसकी दरे कम थी एवं जिसका राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संघ (एएसआरटीयू) के साथ अपरिमित दर का ठेका था। इसके परिणामस्वरूप बियरिंग्स का अन्य स्रोतों से क्रय करने पर परिहार्य भुगतान (5.27 लाख रुपये) करना पड़ा।

निगम ने 1995 एवं 1996 के दौरान ऑस्टिन इन्जीनियरिंग कम्पनी (एईसी), जूनागढ़, गुजरात से जिसका एएसआरटीयू के साथ अपरिमित दर ठेका था, बियरिंग्स की पर्याप्त खरीद की।

एक वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बियरिंग्स की खरीद के मामले पर क्रय मण्डल द्वारा विचार-विमर्श किया गया (जनवरी 1997), जिसमें एईसी को एक स्वीकृत स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया। यह तय किया गया था कि यदि तीन स्रोत होंगे तो सबसे कम दरों वाली पहली, दूसरी तथा तीसरी फर्मो को आदेश 50:30:20 के अनुपात में दिया जायेगा। यदि दो स्रोत होंगे तो आदेश 60:40 के अनुपात में दिया जायेगा एवं यदि केवल एक ही स्रोत होगा तो उस वस्तु की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति केवल उसी स्रोत से की जानी थी। चूंकि एईसी द्वारा निर्मित दो प्रकार की बियरिंग्स (स्टीयरिंग बियरिंग-टाटा एवं स्पाईगॉट बियरिंग-लेलैण्ड) के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, अत: यह निर्णय लिया गया कि किसी भी विशेष प्रकार की बियरिंग, जो कि दोषपूर्ण पाई गई थी अथवा जिसका निष्पादन दोषपूर्ण था, के बारे में मण्डल द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक एईसी द्वारा निर्मित बियरिंग्स का उचित/विस्तृत विश्लेषण किया जाये। 10 फरवरी 1997 को महा प्रबन्धक (उत्पादन) को 1996 के दौरान क्रय किए गए एईसी द्वारा निर्मित बियरिंग्स की विस्तृत जाँच करने हेतु कहा गया। मुख्य उत्पादन प्रबन्धक ने 20 मई 1997 को 5 प्रकार के बियरिंग्स में (पूर्व में बताये गये दो प्रकार के बियरिंग्स सहित) दोषों को दर्शाया।

बियरिंग्स के आयु सम्बन्धी अभिलेखों तथा उनकी बनावट के अनुसार कार्य निष्पादन के अभाव में बियरिंग्स के कालपूर्व ही असफल हो जाने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

उत्पादन प्रबन्धक से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, विलम्ब से 26 नवम्बर 1997 को इस प्रकरण पर क्रय मण्डल द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं जिन बियरिंग्स के बारे में शिकायतें थी उनके अतिरिक्त एईसी को एक स्वीकृत योग्य प्रस्ताव के रूप में मान लिया गया। महाप्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब एवं महाप्रबन्धक (उत्पादन) से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद इस मामले में निर्णय लेने में क्रय मण्डल द्वारा 6 महीने का असाधारण समय लिये जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस दौरान, निगम ने फरवरी 1997 से नवम्बर 1997 की अवधि में अन्य आपूर्तिकर्ताओं से, एईसी की उपेक्षा करते हुए जिसकी लगभग सभी बियरिंग्स के लिए दरें कम थी एवं एईसी निर्मित बियरिंग्स में से केवल कुछ प्रकार की बियरिंग्स के बारे में ही प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई थी, अधिक लागत पर सामान प्राप्त किया। यह क्रय मण्डल के उस निर्णय (जनवरी 1997) के भी विरुद्ध था जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन्हीं बियरिंग्स के मामले जिनके बारे में प्रतिकूल सूचनाएँ प्राप्त हुई थी, ही क्रय मण्डल के समक्ष पूर्व निर्णय की समीक्षा हेतु लाए जाने थे।

> एईसी, जो कि न्यूनतम निविदाकार तथा नियमित आपूर्तिकर्ता था, को आदेश नहीं देने के कारण, निगम को बियरिंग्स की खरीद पर 5.27 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

यदि क्रय मण्डल के निर्णय (जनवरी 1997) के अनुसार बियरिंग्स (दोषपूर्ण पाये गये बियरिंग्स को छोड़कर) की खरीद हेतु दूरदर्शिता से आदेशों को एईसी को दिया जाता तो निगम को जनवरी 1997 से नवम्बर 1997 के दौरान किए गए बियरिंग्स के क्रय पर 5.27 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

सरकार ने बताया (जून 1998) कि प्रतिकूल सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में एईसी को स्वीकृत योग्य स्रोत के रूप में नहीं माना गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसमें महाप्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब तथा महाप्रबन्धक (उत्पादन) से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद क्रय मण्डल द्वारा इस मामले को निर्णित करने में असाधारण विलम्ब, के कोई कारण नहीं दिये गये थे। निगम ने स्वयं ही (नवम्बर 1997) में एईसी को आदेश प्रदान करने का निर्णय लिया था एवं तद्नुसार दिसम्बर 1997 में एईसी को आदेश प्रदान किया था।

सुषमा दाबक.

जयपुर
दिनांक : 16 फरवरी 1999

(सुषमा वि. दाबक)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- II, राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक : 22 फरवरी 1999 FEB

(वी. के. शुंगलू)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध

अनुबन्ध - I

ऐसी कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं थी ।

(अनुच्छेद 1.2.11 तथा पृष्ठ 25 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सरकार द्वारा निवेश (रुपये करोड़ों में)
1.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	0.75
2.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	0.17
3.	मान इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	0.15
4.	मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	0.25
5.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	0.16
6.	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	0.30
	योग	1.78

अनुबन्ध - II

31 मार्च 1998 को अद्यतन पूँजी, बजट से जावक, बजट से दिया गया ऋण एवं बकाया ऋण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(अनुच्छेद 1.2.2 तथा 1.2.3 एवं पृष्ठ 6 तथा 9 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	1997-98 के अन्त में प्रदत्त-पूँजी					वर्ष के दौरान राज्य सरकार के बजट से दिया गया ऋण	बकाया दीर्घ-कालीन ऋण
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारित कम्पनियां	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3अ)	(3ब)	(3स)	(3द)	(3य)	(4)	(5)
1.	<u>कृषि</u>							
	(i) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	599.73	-	-	1.00	600.73	-	33.40
	(ii) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	15.69	271.90	-	-	287.59	-	-
	(iii) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	127.00	-	-	-	127.00	-	-
	(iv) राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	510.00	103.93	-	20.35	634.28	-	1000.00
	उप योग (1)	1252.42	375.83	-	21.35	1649.60	-	1033.40
2.	<u>उद्योग</u>							
	(i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	15560.25 (120.00)	-	-	-	15560.25 (120.00)	1840.00	84874.42
	(ii) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	514.39	27.00	-	5.01	546.40	140.00	474.00
	उप योग (2)	16074.64 (120.00)	27.00	-	5.01	16106.65	1980.00	85348.42
3	<u>अभियांत्रिकी</u>							
	हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	7.60	-	-	0.05	7.65	-	11.08
4	<u>इलेक्ट्रोनिक्स</u>							
	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (क्र.सं.2(i) की सहायक कम्पनी)	-	-	30.00	-	30.00	-	187.88
5	<u>हस्तशिल्प एवं हाथकरघा</u>							
	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	592.00 (75.00)	-	-	23.00	615.00 (75.00)	121.50	1023.21

(1)	(2)	(3अ)	(3ब)	(3स)	(3द)	(3य)	(4)	(5)
6.	वन							
	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	19.00	-	-	-	19.00	-	-
7.	खान							
	(i) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	6171.60	-	-	1.00	6172.60	-	4029.93
	(ii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1633.00	-	-	-	1633.00	400.00	948.68
	(iii) राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड (क्र.सं. 7(ii)की सहायक कम्पनी)	-	-	19.00	-	19.00	-	21.01
	(iv) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड (क्र.सं. 7(ii)की सहायक कम्पनी)	-	-	133.79	-	133.79	-	21.16
	उप योग (7)	7804.60	-	152.79	1.00	7958.39	400.00	5020.78
8.	निर्माण							
	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1000.00	-	-	-	1000.00	-	11354.78
9.	चीनी							
	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	360.33	-	-	4.40	364.73	-	470.00
10	पर्यटन							
	(i) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	106.75	-	-	-	106.75	-	46.00
	(ii) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1383.84	-	-	-	1383.84	-	1290.50
	उप योग (10)	1490.59	-	-	-	1490.59	-	1336.50
11	विविध (ऊर्जा)							
	राजस्थान राज्य पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	130.00 (35.00)	-	-	-	130.00 (35.00)	-	-
	कुल योग	28731.18 (230.00)	402.83	182.79	54.81	29371.61 (230.00)	2501.50	105786.05

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान बजट से जावक को दर्शाते है।

अनु

सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित

वर्ष के लेखों को 30 सितम्बर 1998 तक

(अनुच्छेद 1.2.4 एवं

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग/ क्षेत्र का नाम	निगमन की दिनांक	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (-) (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	1996-97	1998-99	(-)137.44
2.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28 मार्च 1978	1997-98	1998-99	(+)229.83
3.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	कृषि	31 मार्च 1975	1997-98	1998-99	(-)0.18
4.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	कृषि	25 जनवरी 1984	1996-97	1997-98	(+)13.43
	उप योग					
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च 1969	1997-98	1998-99	(+)1130.81
6.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1961	1997-98	1998-99	(+)450.72
	उप योग					
7.	हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	अभियांत्रिकी	18 मार्च 1963	1997-98	1998-99	(-)0.45
8.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (रीको की सहायक कम्पनी)	इलैक्ट्रोनिक्स	23 जनवरी 1985	1997-98	1998-99	(-)11.51
9.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	3 मार्च 1984	1996-97	1998-99	(-)338.22
10.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	24 मई 1985	1991-92	1996-97	(-)1.82

बन्ध - III

वित्तीय परिणाम जिनके नवीनतम अन्तिम रूप दिया जा चुका था।

पृष्ठ संख्या 14 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता
8	9	10	11	12
600.73	(-)1990.43	(-)347.33	(-)24.18	शून्य
634.28	(+)372.95	2007.85	330.64	16.47
287.59	(-)17.56	270.03	(-)0.18	शून्य
127.00	(+)5.91	138.38	13.43	9.71
		2068.93	**319.71**	
15560.25	(+)656.91	104272.67	8689.83	8.33
546.40	(+)80.71	1828.33	484.43	26.50
		106101.00	**9174.26**	
7.65	(-)16.77	2.23	(-)0.45	शून्य
30.00	(-)232.77	(-)11.21	(-)11.51	शून्य
540.00	(-)957.64	541.91	(-)232.90	शून्य
19.00	(-)14.14	4.67	(-)1.82	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
11.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	खान	7 मई 1947 (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	1997-98	1998-99	(+)1927.79
12.	राजस्थन राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खान	27 सितम्बर 1979	1996-97	1997-98	(+)23.56
13.	राजस्थान स्टेट ग्रेनाइटस एवं मार्बल्स लिमिटेड (राराखविनि की सहायक कम्पनी)	खान	2 फरवरी 1977	1997-98	1998-99	(-)0.11
14.	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड (राराखविनि की सहायक कम्पनी)	खान	22 नवम्बर 1983	1997-98	1998-99	(-)34.81
	उप योग					
15.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड[1]	निर्माण	8 फरवरी 1979	1997-98	1998-99	(+)705.00
16.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	चीनी	1 जुलाई 1956	1997-98	1998-99	(+)17.28
17.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	1996-97	1997-98	(+)22.45
18.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	1996-97	1997-98	(+)11.60
	उप योग					
19.	राजस्थान राज्य पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	विविध	6 अप्रेल 1995	1996-97	1998-99	शून्य
	कुल योग					

1 लेखे लेखापरीक्षा जाँच में थे ।

(रुपये लाखों में)

8	9	10	11	12
6172.60	(+)54.74	20001.62	3336.10	16.68
1633.00	(-)350.49	2147.16	200.35	9.33
19.00	(-)50.72	(-)10.71	(-)0.11	शून्य
133.79	(-)148.60	(-)44.80	(-)34.81	शून्य
		22093.27	3501.53	
1000.00	शून्य	16538.63	746.90	4.52
364.73	शून्य	1781.72	157.10	8.82
106.75	(+)48.11	209.71	22.45	10.71
1383.84	(+)25.01	3278.80	270.71	8.26
		3488.51	293.16	
95.00	शून्य	79.23	शून्य	शून्य
		152688.89	13945.98	

अनुबन्ध-IV

वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, तथा वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.3 एवं पृष्ठ संख्या 9 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य* (अनुपयोगित अर्थ-साहाय्य)	वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टी (वर्ष के अन्त तक बकाया)				
			राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में खोले गये साख-पत्र	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकेदारों को अनुबन्ध के अन्तर्गत देय भुगतान	योग
1.	**2.**	**3**	**4(अ)**	**4(ब)**	**4(स)**	**4(द)**	**(4य)**
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	94.10 (उपलब्ध नहीं)	-	-	-	-	-
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	1460.00 (1678.90)	-	32500.00 (62101.47)	-	-	32500.00 (62101.47)
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	358.37 (59.77)	-	- (25.00)	-	-	- (25.00)
4.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2.89 (उपलब्ध नही)	- (180.00)	-	-	-	- (180.00)
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	-	-	20000.00 (2465.00)	-	-	20000.00 (2465.00)
6.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	13754.78 (13754.78)	-	-	13754.78 (13754.78)
7.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	- -	-	- (1290.50)	-	-	- (1290.50)
8.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	275.69 (221.33)	-	-	-	-	-
9.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	- (14.08)	-	-	- (14.08)
	योग	**2191.05 (1960.10)**	**- (180.00)**	**66254.78 (79650.83)**	-	-	**66254.78 (79830.83)**

टिप्पणी:- 1. आँकड़ें कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अन्त तक अनुपयोगित अर्थ-साहाय्य/बकाया गारण्टी को दर्शाते हैं।

* केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अर्थ-सहाय्य प्राप्त नही हुआ।

अनुबन्ध-V

वर्ष 1997-98 के दौरान विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की उपयोजित क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.8 एवं पृष्ठ 24 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रतिस्थापित/रेटेड क्षमता	वास्तविक उपयोग	उपयोगित क्षमता की प्रतिशतता
1.	2	3	4	5
1. कृषि				
	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	बीज एवं लिंट		
		2.95 लाख क्वि.	1.65 लाख क्वि.	55.93
		(2.29 लाख क्वि.)	(1.63 लाख क्वि.)	(71.18)
2. खान		ग्रेफाइट		
	(i) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1800 मै.टन	559 मै.टन	31.06
		(1800 मै.टन)	(461 मै.टन)	(25.61)
		फ्लोर्सपार		
		2304 मै.टन	शून्य	शून्य
		(2304 मै.टन)	(शून्य)	(शून्य)
	(ii) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	(अ) क्रशिंग संयंत्र (पुराना) 10.26 लाख टन	2.48 लाख टन	24.17
			(2.68 लाख टन)	(26.12)
		(ब) एच.जी.ओ. क्रशिंग संयत्र 9.03 लाख टन	4.24 लाख टन	46.95
			(3.44 लाख टन)	(38.10)
		(स) मुख्य प्रोसेस संयंत्र 4.21 लाख टन प्रतिवर्ष	1.47 लाख टन	34.92
			(1.02 लाख टन)	(24.23)
3. चीनी		गन्ना (क्विंटलों में)		
	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	1000 मै.टन क्रशिंग/ डिफ्यूजन प्रतिदिन	917.79 मै.टन प्रतिदिन या 103710 मै.टन 113 दिनों में	91.78
			(934.02 मै.टन प्रतिदिन या 90600 मै.टन 97 दिनों में)	(90.60)
		चुकन्दर (क्विंटलों में) 600 मै.टन क्रशिंग/ डिफ्यूजन प्रतिदिन	526.64 मै.टन प्रतिदिन या 13692.70 मै.टन 26 दिनों में	87.77
			(424.32 मै.टन प्रतिदिन या 15700 मै.टन 37 दिनों में	(70.72)
		रेक्टीफाइड स्प्रीट (एल.पी.एल. में)		
		17250 प्रतिदिन श्री गंगानगर में	14953 एल.पी.एल.	
			(9619 एल.पी.एल.)	

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते है।

अनु

सांविधिक निगमों के संक्षेपित दर्शाने वाला विवरण-पत्र लेखों को अंतिम रूप

(अनुच्छेद 1.3.3 एवं 1.3.7
(कॉलम 6 से 10 तक में दिये

क्रम संख्या	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की दिनांक	लेखों की अवधि	कुल निवेश	वर्ष का लाभ(+)/ हानि(-)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	1 जुलाई 1957	1996-97	5339.30	(+)63.22
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	यातायात	1 अक्टूबर 1964	1996-97	127.77	(+)4.04
3.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	1997-98	669.20	(-)15.38
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर 1957	1996-97	8.15	(+)2.25

नोट: (1) नियोजित पूँजी, वर्ष के अन्त में निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यो को सम्मिलित कर) एवं कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

(2)* नियोजित पूँजी, प्रदत्त-पूँजी, संचय तथा अधिशेष, बॉण्ड्स एवं ऋण पत्रों, उधारियों तथा निक्षेपों के आरम्भिक शेष तथा अन्तिम शेष के मध्यमान को दर्शाती है।

बन्ध-**VI**

वित्तीय परिणामों को
जिनके नवीनतम वर्ष के
दिया जा चुका है

पृष्ठ 28 एवं 32 में उल्लिखित)
गये आँकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज	वर्ष के दौरान नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (7+8)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता
8	9	10	11
435.74	6217.04	498.96	8.0
6.56	169.83	10.60	6.6
74.77	685.22*	59.39	8.7
0.17	22.46	2.42	10.8

अनुबन्ध-VII

31 मार्च 1998 को निजी निक्षेप खातों में पड़े हुए ऋण, इक्विटी एवं अन्य को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(अनुच्छेद 1.2.3 (स) पृष्ठ संख्या 11 में उल्लिखित)

(रुपये करोड़ों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	31 मार्च 1998 को शेष			
		इक्विटी	ऋण	अन्य	योग
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	1.51 (1.45)	1.51 (1.45)
2.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	– (0.10)	– (–)	– (–)	– (0.10)
3.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	0.23 (2.00)	0.23 (2.00)
4.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	0.13 (1.05)	0.13 (1.05)
5.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
6.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	0.29 (–)	46.34 (–)	43.24 (124.07)	89.87 (124.07)
7.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	– (–)	2.20 (–)	2.32 (0.01)	4.52 (0.01)
8.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	(–)	1.17 (–)	0.39 (–)	1.56 (–)
9.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.03 (–)	– (–)	– (–)	0.03 (–)
10.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
11.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	1.00 (–)	1.00 (–)
12.	राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
13.	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
15.	हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
16.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	7.73 (106.30)	7.73 (106.30)
17.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	– (–)	0.37 (0.01)	– (–)	0.37 (0.01)
18.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	– (–)	0.45 (–)	8.00 (2.91)	8.45 (2.91)
19.	राजस्थान राज्य पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.01 (–)	– (–)	– (–)	0.01 (–)
	कुल योग	0.33 (0.10)	50.53 (0.01)	64.55 (237.79)	115.41 (237.90)

टिप्पणी: (1) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में पड़े शेष से सम्बन्धित हैं तथा अन्य आंकड़े बिना ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में पड़े शेष से सम्बन्धित है।

(2) पूँजी अंशदान (0.33 करोड़ रुपये), ऋण (49.96 करोड़ रुपये) तथा अन्य निधियों (34.55 करोड़ रुपये) पर राज्य सरकार की रोक लगी हुई थी।